राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक २] द्वितीय विधान सभा के द्वितीय सत्र, १९५७ का आठवां दिवस [संख्या ५

सोमवार, ११ नवम्बर, १९५७

विधान सभा की बैठक म. पू. ११. १० बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ११८

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुनदास।

(प्रश्न कर्त्ता अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ११९

श्री सरदारसिंह।

(प्रश्न कर्त्ता अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १२०

श्री अर्जुनदास।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

श्रीमती सतवन्त कौर।

राजस्थान निर्माण के पश्चात् किसानों से वसूल की जाने वाली पटवार

१२१. **श्रीमती सतवन्तकौर** (करनपुर): क्या राजस्व मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान के किस विभाग में राजस्थान बनने के बाद पटवार किसानों से वसूल की जाती रही है ?

(ख) क्या सरकार किसानों से पटवार की वसूली बन्द करने का आदेश दे चुकी है ?

(ग) क्या यह सच है कि ऐसे आदेश दिये जाने के बाद भी तहसील पदमपुर और गंग कैनाल कोलोनी के दूसरे अधिकतर क्षेत्र में पटवार की रकम वसूल की जाती रही है ?

(घ) क्या सरकार उक्त पटवार की रकम किसानों को वापिस दिलाने का इन्तजाम करेगी ? यदि हां तो कब तक ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) सूची सदन की मेज पर रखवा दी गई है।

(ख) जी हां, अस्थाई रूप में।

(ग) जी हां, कुछ पटवारियों की लाइल्मी से किसी-किसी जगह पटवार की वसूली की गई किन्तु उसकी वापसी की कार्यवाही जारी है और जल्दी ही वसूल शुदा रकम वापिस कर दी जावेगी।

(घ) इसका उत्तर प्रश्न के खण्ड (ग) में दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

Page No.2

श्री मूलचन्द डागा : जो पटवार वसूल की गई क्या उसकी रसीदें भी दी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां।

एक माननीय सदस्य : बन्द करने के आदेश कौन सी तारीख को दिये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : तारीख की तो मेरे पास इस समय सूचना नहीं है।

श्री लक्ष्मीचन्द : जिन्होंने पटवार वसूल की क्या उनके खिलाफ सरकार कोई एक्शन लेने को तैयार है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कुछ पटवारियों की ला इल्मी से, उनकी गलती से यह वसूली हो गई है इसलिये कोई एक्शन लेने की उनके खिलाफ जरूरत नहीं समझते।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या सरकार ने इसकी जांच कर ली है कि उन्होंने जान बूझकर वसूली नहीं की ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जांच करके ही यह जवाब आपको दिया जा रहा है।

प्रश्न संख्या १२२

श्री अध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह।

ट्रेजरी अकाउन्टेन्ट्स का युनीफाइड पे स्केल्स के अधीन फिक्सेशन

१२३. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि राजस्थान के मिनिस्टिरियल स्टाफ का फिक्सेशन युनीफाइड पे स्केल के मार्फत १-४-५० से किया गया है किन्तु ट्रेजरी एकाउन्टेन्ट्स का फिक्सेशन तारीख १-४-५० के बजाय १०-५-५४ से किया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ख) क्या यह सत्य है कि राजस्थान के ट्रेजरी अकाउन्टेन्ट्स तारीख १-४-५० के पहले से काम कर रहे थे और अकाउन्टेन्ट जनरल द्वारा उत्तीर्ण घोषित किये गये थे ? यदि हां, तो फिर उनको तब से युनीफाइड पे स्केल्स से वंचित क्यों रक्खा गया है ?

उप मन्त्री (श्री खिवचन्द धारीवाल) :

(क) हां, उन्हीं का जिनकी जगह इन्टीग्रेड सेट अप में १-४-५० से नियुक्ति कर दी गई थी। चूंकि अकाउन्टेन्ट्स का कैडर ही १०-५-५४ से बना था जिसमें ट्रेजरी अकाउन्टेन्ट्स भी सम्मिलित थे, उनकी फिक्सेशन १०-५-५४ से होने का कारण स्पष्ट है।

(ख) अकाउन्टेन्टेस की कैडर ही जब १०-५-५४ को बना है तो उससे पहिले ही उसकी वेतन शृंखला को युनीफाइड पे स्केल्स में शामिल करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) हां, १-१०-४६ से उन्होंने अकाउन्टेन्ट जनरल द्वारा प्रबन्धित कोई भी परीक्षा पास नहीं की। इस बीच में उनका सिलेक्शन इस पद पर एड हॉक बेसिस पर किया गया था।

गत पांच वर्षों से एक तहसील से दूसरे में स्थानान्तर न हुए गंगानगर जिले के पटवारी

१२४. **श्रीमती सतवन्तकौर** (करनपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) जिला गंगानगर में कितने ऐसे पटवारी हैं जिनका पिछले पांच साल से एक

Page No.3

(श्रीमती सतवन्तकौर)

तहसील से दूसरी तहसील में तबादला नहीं हुआ है ?

(ख) क्या यह सच है कि जब उनके तबादले का कोई आदेश होता है तो वे उसी तहसील में साथ वाले हल्के में तबादला करा लेते हैं ?

(ग) क्या सरकार उपरोक्त पटवारियों का जो पांच साल से अधिक समय से एक ही तहसील में रह रहे हैं, दूसरे जिलों में शीघ्र ही तबादला करने का प्रबन्ध करेगी ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) ४१.

(ख) जी नहीं, तबादलों के समय इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि कोई पटवारी एक तहसील में ही दूसरे हल्कों पर न बदलता रहे। माह जुलाई तथा अगस्त में होने वाले तबादलों के समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है।

(ग) आम तौर पर पटवारियों के तबादले एक जिले से दूसरे जिले में नहीं किये जाते।

श्रीमती सतवन्तकौर : क्या माननीय मन्त्री महोदय को यह जानकारी है कि क्या यह सच है कि जो पटवारी कर्मचारियों के साथ मिले रहते हैं उनका तबादला नहीं होता ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं हैं। आम तौर पर ज्यादा तबादले नहीं किये जाते।

श्रीमती सतवन्तकौर : क्या इसकी जांच की है सरकार ने ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जांच करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आम तौर से एक जिले से दूसरे जिले में नहीं भेजे जाते।

जिला सिरोही की राजकीय प्राथमिक पाठशालाएं

१२५. **श्री मोहब्बतसिंह** (सिरोही) : Will the education minister be pleased to state.

(1) What is the total number of Government Primary Schools in Sirohi District ?

(2) Is it a fact that twenty nine primary schools in Siorhi District remained closed last year ?

(3) Will the Government institute an inquiry in this respect ?

उप शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) १७८.

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

श्री मोहब्बतसिंह : इतनी बड़ी संख्या में स्कूलों के बन्द रहने का क्या कारण हुआ ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसका कारण यह रहा कि गांव वालों को यह चाहिये था कि मास्टरों के रहने के लिये मकान व भवन स्कूलों के लिए वे बनवा देते और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिये भेजते। बहुत से केसेज़ में न बच्चे भेजे गये और न मकान की सुविधा दी गई इसलिए बन्द रहे।

श्री मोहब्बत सिंह : दूसरे जिलों में जालौर और पाली में जैसे वहां भी इतनी बड़ी संख्या में स्कूलें बन्द रहीं, इसका क्या कारण है ?

Page No.4

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : संख्या के बारे में तो नहीं कह सकता मैं, पर बन्द रहने की शिकायत अमूमन हर जगह से आती रहती है।

श्री मोहब्बतसिंह : सरकार ने फिर क्या सोचा है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : बहुत कुछ सोचा है।

श्री मोहब्बतसिंह : क्या सोचा है। बताने की कृपा करेंगे और यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उनको वापिस शुरू करने में जनता से सम्पर्क किस तरह से साधा जाए ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : पहली चीज तो यह है कि जनता के नुमाइन्दों को दरख्वास्त भेजी जावेगी कि वे अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी का दौरा करके, जनता को समझाकर भवनों का निर्माण कराएँ और फिर जनता के सहयोग से, जो बच्चों को पढ़ने नहीं भेजते हैं उनको राजी करें कि वे अपने लड़कों को भेजें।

श्री श्रीभानसिंह : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसी कितनी स्कूलें थीं जो बच्चों के नहीं आने की वजह से बन्द रहीं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसके लिये अगर आप अलग से प्रश्न करेंगे तो मैं उत्तर दे सकूंगा। इस प्रश्न में ऐसा सवाल नहीं किया गया था इसमें तो केवल एक जिले के लिये पूछा गया और वह भी स्कूलें बन्द रहने के बारे में पूछा गया इसलिए इस समय समय तो ऐसी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह : आपने फरमाया कि लड़कों की वजह से स्कूलें बन्द रहीं यह भी एक कारण था तो जिस जिले का आप उत्तर दे रहे हैं, वहीं के लिये मैं पूछ रहा हूँ कि वहां ऐसे कितने स्कूल थे जो लड़कों के न आने के कारण बन्द रहे ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसकी अलग-अलग सूचना मेरे पास इस समय नहीं है। पर यह आपकी जानकारी के लिये मैं और कह दूं कि उनमें से बीस चालू कर दिये गये हैं और ६ अभी भी बन्द हैं।

श्री जनार्दनराय नागर : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जहां जनता ने भवन नहीं बनाये हैं वहां स्कूलें नहीं खुलेंगी ?

श्री मोहब्बतसिंह : दूसरी जगह जो स्कूलें खोली गई तो क्या वहां गांव वालों ने भवन देने की बात कही थी ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आम तौर पर यही होता है कि गांव वाले हमें भवन बना देने की बात कहते हैं और लड़कों को पढ़ाने की बात कहते हैं तो खोल दिये जाते हैं।

श्री जनार्दनराय नागर : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जहां भवन गांव वाले नहीं देंगे वहां के लिए क्या यह सरकार की नीति है कि स्कूल नहीं खोले जावेंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : दोनों में से एक चीज आवश्यक होगी; या तो नया भवन बनाया जाए या किराये पर उपलब्ध हो और जहां पर दोनों ही उपलब्ध नहीं हों वहां पर मुश्किल है।

श्री जनार्दनराय नागर : क्या यह सरकार की निश्चित नीति है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आम तौर से वहीं पर खोलते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सतवन्तकौर।

तहसील पदमपुर के बीभवायला क्षेत्र में भूमिपातियों को भूमि नियतन

१२६. **श्रीमती सतवन्त कौर** (करनपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि तहसील पदमपुर के बीभवायला क्षेत्र में ऐसे व्यक्तियों को जो भूमिपति हैं, उनके विरुद्ध आपत्तियों उठाये जाने के बावजूद भूमि अलॉट (वितरण) की गई है ?

(ख) क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांच करेंगे ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) तहसील पदमपुर के बीभवायला क्षेत्र में ऐसे किसी भूमिपति को भूमि अलॉट नहीं की गई।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मूलचन्द डागा : क्या अलॉट करने की सरकार की कोई प्रणाली है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, इसके नियम हैं।

श्री मूलचन्द डागा : किस एक्ट के नीचे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के नीचे हैं, कोलोनाइज़ेशन एक्ट के नीचे भी हैं।

श्री मूलचन्द डागा : लैण्ड रेवेन्यु एक्ट की किस दफा के नीचे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह कानून की बात है आप उसे देख लीजिये।

श्री मूलचन्द डागा : मेरे ख्याल से उसमें ऐसा कोई प्रोवीज़न नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपका ख्याल गलत है, इसमें दफा १०१ देखें।

सन् १६५०-५१ से अब तक विभिन्न डिवीजनों में बेची गई शराब

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १६५०-५१ से अब तक शराब की कितनी बिक्री किस-किस डिविज़न में हुई ?

(ख) कितनी अवैध शराब इन्हीं वर्षों में बरामद की गई और उसके कितने केसेज़ का चालान हुआ ? चालान की संख्या कृपया डिविज़न वाइज़ बतावें।

(ग) उपरोक्त मुकदमों में कितने केसेज़ में अभियुक्तों को सजा हुई तथा कितने मामले अभी तक विचाराधीन हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : इसकी जानकारी अभी दफ्तर से प्राप्त नहीं हुई है, दूसरे समय इसकी जानकारी दे दूंगा।

श्री तनसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह हमारा प्रश्न किस भाव पड़ा फिर ? फिर दुबारा उसी प्रकार नोटिस दें, फिर भी न जाने कब जाकर जवाब दें। फिर हमारा प्रश्न मियाद के भीतर था, काफी अर्से पहले हमने इसे भेजा और इस अवधि के अन्दर तो उत्तर आ जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : अब नोटिस की आवश्यकता नहीं है। उत्तर आपको नेक्स्ट टर्न पर दे दिया जावेगा।

Page No.6

प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के अन्त तक प्रति व्यक्ति औसत आय।

१२८. **श्री भीमसेन** (लूनकरनसर) : क्या योजना एवं विकास मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में राज्य के विभिन्न जिलों की प्रति व्यक्ति औसत आमदनी क्या रही है तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के अन्त तक कितनी अनुमानित है ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) प्रथम पंचवर्षीय योजना काल के प्रति व्यक्ति की औसत आमदनी के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के अन्त तक के विभिन्न जिलों के प्रति व्यक्ति की औसत आमदनी के आंकड़े अब भी कहना सम्भव नहीं है।

तहसील सांचोर (जिला जालोर) में इस वर्ष बैल खरीदने हेतु तकावी के रूप में वितरित धन-राशि

१२६. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) तहसील सांचोर, जिला जालोर में इस वर्ष बैलों की खरीद के लिये कितना रुपया तकावी के रूप में वितरित किया गया है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि तकावी का रुपया कम होने के कारण काफी दरख्वास्तें कमेटी द्वारा खारिज की गई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार भविष्य में ज्यादा रुपया दिलवाने की व्यवस्था करेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास):

(क) ३२५०)

(ख) जी हां, कुछ दरख्वास्तें खारिज की गई थीं। अब विकास-खण्ड की ओर से १५,०००) रुपये तकावी वितरण के मंजूर हुए हैं वे तकसीम किये जावेंगे।

श्री लक्ष्मीचन्द : तकावी का अलॉटमेन्ट किस तरह से किया जाता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अलॉटमेन्ट की जो टोटल ग्रान्ट होती है अलग-अलग डिविजन में तकसीम कर दी जाती है और फिर डिवीज़नल कमिश्नर अपनी तहसीलों में तकसीम कर देते हैं।

श्री लक्ष्मीचन्द : सब को बराबर मिलता है या कम-बेशी मिलता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उनकी आवश्यकता तथा आबादी के अनुपात से तकसीम किया जाता है।

गतवर्ष बाड़मेर जिले में समाज-कल्याण विभाग द्वारा छात्र-वृत्ति हेतु स्वीकृत धन-राशि

१३०. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या मन्त्री, समाज कल्याण विभाग यह, बताने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १६५६।५७ में बाड़मेर जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा कितनी राशि छात्र-वृत्ति के लिये स्वीकृत की गई थी ?

(ख) किस-किस को उक्त छात्र वृत्ति दी गई ?

(ग) क्या कोई रकम लैप्स भी हुई ? यदि हां, तो क्यों ?

उपमन्त्री (श्री भीखाभाई) : (क) समाज कल्याण विभाग द्वारा सन् १६५६-५७ में बाड़मेर में ४६५) रुपये की छात्र वृत्ति स्वीकृत की गई थी।

(ख) छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को दी गई है।

(ग) कोई रकम लैप्स नहीं हुई है।

श्री तनसिंह : मैं पूछ रहा हूं किस-किस को उक्त छात्र-वृत्ति दी गई ? बाड़मेर में दी गई, यह तो मैं भी जानता हूं।

श्री भीखाभाई : उनके नाम इस प्रकार हैं। ताराचन्द, मांगीलाल, चेतनलाल व सागाराम ...... (अश्रव्य)

ये तो हैं उनके नाम, जिनको मात्र स्कॉलरशिप मिली है। जिनको एक मुश्त ग्रान्ट मिली है उनके नाम कई हैं। जिनको आप कहें तो पढ़कर सुना दूं।

श्री तनसिंह : आप सदन की मेज पर रख दें तो मैं देख लूंगा।

श्री भीखाभाई : रख दी गई है........ रख दी जावेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचंद।

उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने एवं उनके नियतन की प्रक्रिया

१३१. **श्री लक्ष्मीचंद** (साँचोर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) हायर सेकन्डरी स्कूल्स खोलने के लिये सरकार क्या प्रोसिज़र एडॉप्ट करती है और किस किस डिस्ट्रिक्ट को इसके लिए एलॉटमेन्ट किस किस तरह से किये जाते हैं ?

(२) क्या आबादी के लिहाज से भी इस बारे में निर्णय लिये जाते हैं ?

(३) क्या यह सत्य है कि तहसील सांचोर जिला जालोर में कोई हाईस्कूल नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार यहां पर शीघ्र ही हायर सेकन्डरी स्कूल खोलने की व्यवस्था करेगी ?

(४) क्या यह सत्य है कि लूनी जंक्शन जो कि जोधपुर से करीब २० मील व पाली से करीब २५ मील है, अभी हाल में एक हायर सेकेन्डरी स्कूल खोला गया है और सांचोर जैसी जगह को जहां दूर दूर तक पढ़ाई के ठीक साधन नहीं हैं उपेक्षित किया गया है जब कि इस सम्बन्ध में कई दरख्वास्तें भी की गई हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप मन्त्री (श्री पूनमचंद बिश्नोई) : (१) सरकार हायर सेकेन्डरी स्कूल वहीं खोलती है जिस जिले के स्कूलों में उस स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या सबसे ज्यादा हो और हायर सेकेन्डरी स्कूल के लिये पर्याप्त हो।

(२) जी नहीं, स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या ध्यान में रखी जाती है।

(३) आगामी वर्ष अन्य स्कूलों को हायर सेकेन्डरी बनाते समय यहां के छात्रों की संख्या, भवन की सुविधा तथा सरकार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रख कर विचार किया जावेगा।

(४) स्कूल के विद्यार्थियों की बड़ी संख्या व जनता के सहयोग को ध्यान में रख कर लूनी जंक्शन पर हायर सेकन्डरी स्कूल खोला गया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भीमसेन ।

तहसील लूनकरणसर में प्रशासनिक भवनों एवं सरकारी कर्मचारियों हेतु निवास व्यवस्था

१३२. **श्री भीमसेन** (लूनकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

लूनकरणसर तहसील में प्रशासनिक भवनों एवं सरकारी कर्मचारियों के लिये मकानों की व्यवस्था की कमी को दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : अभी यह मामला सरकार के विचाराधीन है ।

श्री भीमसेन : कब से विचाराधीन है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह सन १९५६ से विचाराधीन है ।

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह

पलाना (बीकानेर) के कोयले की खानों से १९५१.५२ से अब तक प्रतिवर्ष लाभ

१३३. **श्री तनसिह** (बाड़मेर) : क्या खनिज मंत्री निम्न यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) बीकानेर पलाना की कोयले की खानों से १९५१-५२ से अब तक प्रतिवर्ष क्या लाभ रहा ?

(२) लाभ में प्रतिवर्ष कमी के क्या कारण हैं ?

उप मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) लाभ की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) १९५३-५४

माइन्स एक्ट १९५२ के लागू होने से कोयले का उत्पादन ३०,००० टन ही हुआ जब कि १९५२-५३ में उत्पादन ४०,००० टन एवं १९५१-५२ में ४५,००० टन था । प्रशासनिक एवं ओवर हैड व्यय करीब-करीब वही रहा ।

१९५४-५५

लाभ में कमी का मुख्य कारण अकाउन्टेन्ट जनरल द्वारा रेलवे साइडिंग चार्जेज के लिये १६-१०-४८ से ३१-१२-५३ तक की रकम ७८,७२० रुपया का एडजस्टमेंट किया है । इस प्रकार ५ वर्ष का व्यय एक ही वर्ष में साइडिंग चार्जेज में जमा करने से लाभ में कमी हुई ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री पी० के० चौधरी : What is the rate per ton at which the coal is sold there ?

श्री ऋखबचन्द धारीवाल : That probably I may not be able to give you just now because the rates are being fixed from time to time.

श्री पी० के० चौधरी : At what rate the coal is extracted ?

लेबर चार्जेज क्या हैं पर टन के ।

श्री ऋखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि ३०,००० टन उत्पादन होता है। पहले ४० हजार टन और ४५ हजार टन उत्पादन होता था लेकिन उसका मुख्य कारण यह है कि माइनिंग एक्ट के अनुसार फर्स्ट क्लास मैनेजर न हो, मैनेजर के पास फर्स्ट क्लास का सर्टिफिकेट न हो तब तक ३० हजार टन से अगर ऊपर उत्पादन करे तो नहीं कर सकता है ।

Page No.9

श्री जनार्दनराय नागर : क्या फर्स्ट क्लास के मैनेजर को प्राप्त करने के कभी कोई प्रयत्न किये गये ?

श्री रिखबचंद धारीवाल : जी हां। तीन चार दफा प्रयत्न किये गये। एडवरटाइज़मेन्ट भी किया गया लेकिन कुछ समय के लिए आये और चल दिये और बहुत से आये नहीं। हाल में ही फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट होल्डर मैनेजर को अपोइन्ट करने की कार्यवाही चल रही है और आशा है जल्दी ही चार्ज ले लेंगे।

श्री जनार्दनराय नागर : क्या मंत्री महोदय की और इस विभाग की यह राय है कि फर्स्ट क्लास माइनिंग इन्जीनियर मिलते नहीं है और इसलिए मामला खटाई में पड़ा है ?

श्री रिखबचंद धारीवाल : ऐसा नहीं है। क्लास माइनिंग मैनेजर के अपोइन्टमेन्ट की कार्यवाही चल रही है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मि० फेल नाम के व्यक्ति को नियुक्त भी कर दिया गया है।

श्री पी. के. चौधरी : Is it correct that the labourers are paid two rupees per eighty cubic feet of coal which is equivalent to one and a half ton ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : Unless and until you give notice it is not possible to give an off-hand reply for that.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ; उक्त खान में घाटे का कारण ५० हजार का घोटाला होने के कारण हुआ ?

श्री रिखबचन्द : जी नहीं, आपको गलत फहमी है।

श्री पी. के. चौधरी : Is it correct that tne ccal is sold at the rate of Rs. 21/-per ton ?

श्री रिखबचन्द : I have already told that this is the information which you are giving. If you give any particulars it may be possible for me to reply leter on.

श्री पी. के. चौधरी ! At any time was it sold at the rate of Rs. 21/- per ton.

श्री अध्यक्ष : He has no information on the subject. Why do you repeat the same kind of question ?

(घंटी)

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह, आपको कुछ पूछना है ?

श्री तनसिंह : मुझे यह निवेदन करना है कि अभी जो बताया गया है कि रेलवे साइडिंग को लेकर घाटा हो गया लेकिन एप्रोप्रियेशन अकाउन्ट्स १९५३–१९५४ में जो कारण बताया गया है वही कारण ५४-५५ के लिए भी बताया गया है। मंत्री महोदय भी वही कारण बता रहे हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री रिखबचन्द : ५३-५४ में आउट पुट में रिडक्शन हुआ है यानि ४५ हजार टन के बजाय ३० हजार टन के किया गया और इसका कारण यह था कि कुछ तो माइनिंग कन्डीशन्स की डिफिकल्टीज़ थी और कोलेरी का जो एरिया था वह कम्प्लीटली एग्ज़ॉस्ट हो गया था और जो पुराना वर्क चल रहा था उस पर

Page No.10

काम करना पड़ा। उसके बाद नया एरिया मिल नहीं सका इसलिए ५३-५४ में नुकसान हुआ और ५४-५५ में कुछ रिडक्शन उसमें हो गया जैसा कि मैंने आपको पहले निवेदन किया था कि फर्स्ट क्लास मैनेजर का अपोइन्ट-मेन्ट नही हो सका और इस कारण से अधिक उत्पादन नहीं कर सके।

श्री तनसिंह : मैं आपको ५३-५४ का नहीं पूछ रहा हूं। आपने ५४-५५ के लिए निवेदन किया है कि रेलवे साइडिंग का जो खर्चा हुआ उसको एक साथ पांच वर्ष का जोड़ दिया इसलिये घाटा हुआ। लेकिन एप्रोप्रियेशन अकाउन्ट ५४-५५ में लिखा हुआ है और वहां कारण है जो ५३-५४ में था। यह कहा गया कि फर्स्ट क्लास मैनेजर नहीं था। इसलिए घाटा हुआ ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी हां। यह यह सही है।

श्री तनसिंह : अभी तो आप यह कह रहे थे कि घाटा इसलिए हुआ कि रेलवे साइडिंग का पांच वर्ष का खर्चा एक साथ जोड़ दिया। अब यह है कि दो वर्ष तक मैनेजर नहीं रखा इसलिए हुआ, क्या सही है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल: सन् ५३ से ही फर्स्ट क्लास मैनेजर की नियुक्ति की कार्यवाही जारी थी। अपोइन्टमेन्ट कर दिया लेकिन चार्ज नहीं लिया, फिर कोशिश की गई। इस प्रकार कार्यवाही चलती रही।

श्री तनसिंह : क्या कारण था कि अपोइन्टमेन्ट नहीं हो सका ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : क्योंकि दूसरी जगह और स्थान उनको उपलब्ध थे।

श्री तनसिंह : क्या दूसरी जगह स्थान उपलब्ध थे तो राजस्थान से अधिक तनख्वाह इन वहां मिल सकती थी और राजस्थान सरकार नही दे सकती थी इसलिए नहीं आ सके ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह भी एक कारण था।

श्री तनसिंह : सम्भवतः घाटे को देखते हुए तनख्वाह बढ़ाने के प्रश्न पर सरकार उस समय कर सकती थी और किसी व्यक्ति की नियुक्ति कर सकती थी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : व्यक्ति की नियुक्ति की जा चुकी है।

श्री तनसिंह : अब तो की जा चुकी है लेकिन मैं उस समय के लिए पूछ रहा हूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने आपको आपके प्रश्न के उत्तर में जिसमें आपने कहा था नियुक्ति पर विचार नहीं किया, निवेदन किया कि विचार कर लिया और व्यक्ति की नियुक्ति कर दी गई।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भीमसेन।

राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज शुदा कृषक

१३४. **श्री भीमसेन** (लूनकरनसर) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

दफा १५ राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत बीकानेर जिले में अब तक कुल कितने काश्तकारों को राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज किया गया है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): तहसील बीकानेर में ११६ काश्तकार खातेदार दर्ज हुए। तहसील लूणकरणसर में

(श्री दामोदरलाल व्यास)

५०० काश्तकारों को खातेदार दर्ज करने के आदेश दिये जा चुके हैं व तहसील मगरा व नोला में गिरदावरी के बाद इन्तकाल दर्ज करने की कार्यवाही की जावेगी।

श्री भीमसेन : क्या यह सच है कि कानून के अन्तर्गत अपने आप काश्तकारों को खातेदार दर्ज कर देना चाहिए जो सम्वत् २००० के बाद से काबिज हैं जिन जमीनों पर ?

श्री दामोदरलाल व्यास : दफा १५ के तहत ऐसी हिदायतें जारी कर दी गई हैं रेवेन्यू बोर्ड से भी और सरकार से भी कि जो खातेदारी के मुश्तहक हों उनको खातेदार दर्ज कर दिये जावे।

श्री भीमसेन : लेकिन इसके सम्बन्ध में व्यावहारिक कठिनाइयां आ रही हैं और इसका क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कोई कठिनाई ऐसी नहीं आ रही है। खास तौर पर आप किस जगह के लिए पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं।

श्री भीमसेन : मैं तहसील लूणकरणसर के लिए पूछना चाहता हूँ।

श्री दामोदरलाल व्यास : तहसील लूणकरणसर में खास कठिनाई है। वहां के काश्तकार जमीन आराजी काश्त के लिए लिया करते हैं। चार साल के बाद उसको छोड़ देते हैं, वे वहां पर मुस्तकिल नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन इस कानून के अन्तर्गत खातेदारी के लिए चार साल बाद भी लगान की अदायगी उन पर पड़ती है। इसलिए लेना नहीं चाहते। अगर लेना चाहेंगे तो जरूर देंगे।

श्री भीमसेन : लेना चाहते हैं लेकिन फिर भी उनको जमीनें नहीं दी गई।

श्री दामोदरलाल व्यास : गश्त गिरदावरी के बाद इन्तकाल दर्ज कराने की कार्यवाही होगी तो जरूरी खातेदारी दर्ज होगी।

श्री लक्ष्मीचन्द : इस एक्ट के अन्तर्गत कई जिलों के किसानों को खातेदारी के अधिकार नहीं दिये गये हैं, क्या सरकार उनको देने को तैयार है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप स्पेसिफिक जगह बतायें।

श्री लक्ष्मीचन्द : जिला जालौर में।

श्री दामोदरलाल व्यास : जिला जालौर में इस एक्ट के दफा १५ के तहत खातेदारी राइट्स पाने के मुस्तहक हैं। वे अपने आप बन जाते हैं। आप स्पेसिफिक इन्स्टान्स बतायें कि अमुक व्यक्ति को नहीं दिये गये हैं। एक कानून बना रखा है। ऑफिसरों को हुक्म दे रखा है। उनको उसमें अपील करने का प्रोवीज़न दे रखा है इस बारे में एग्जीक्यूटिव के इन्टरफियरेन्स का मौका नहीं दे रखा है। अगर माननीय सदस्य यह मुनासिब समझते हैं कि उनको नहीं दिया गया है तो वे उन लोगों को जो एग्रीव्ड हैं सलाह दें कि वे कानूनी कार्यवाही करें और अपील करें।

श्री भीमसेन : इसमें किसी के कानूनी कार्यवाही करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार को अपने आप करना चाहिए।

श्री दामोदरलाल व्यास : हिदायतें जारी कर दी गई हैं। बावजूद इसके भी किसी ने खिलाफवर्जी की है तो उनको कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री भीमसेन : उनका पालन नहीं किया गया है तो सरकार को स्टेप लेने चाहिए।

एक माननीय सदस्य : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि बीकानेर जिले की मगरा तहसील में किसानों को खातेदारी हक प्राप्त नहीं हुए हैं जब कि उसी जिले की बीकानेर और लूनकरनसर तहसीलों में मिल गये हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष : कार्यवाही चल रही है।

(विराम)

श्री तनसिंह।

खनिज विभाग की बकाया

१३५. श्री तनसिंह (बाड़मेर) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) खनिज विभाग का कुल बकाया कितना है ?

(२) इसमें से उन लोगों के नाम और बतावें जिनमें १०००) रू० या इससे अधिक बकाया है ?

(३) उपरोक्त रकम कब से बकाया है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उप मन्त्री) : (१) कुल बकाया दिनांक ३१-३-५७ को रू० ३२,४४,६२६,१४ आ० थी।

(२) सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

(३) वांछित सूचना भिन्न २ कार्यालयों से मंगवा कर, एकत्र की जाकर प्रस्तुत की की जा सकेगी। कुल रकम एक ही तिथि तथा एक ही वर्ग से नहीं लेनी है, अपितु भिन्न २ वर्ग में भिन्न २ तिथियों से बाकी निकल रही है।

श्री तनसिंह : इस ३२ लाख का कोई अन्दाजा बताया जा सकता है कि किस वर्ष का बकाया है और क्या करेन्ट ड्यूज़ भी इसमें शामिल हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अभी तक का कुल बकाया ३२,४४,६२६ रु० १४ आ० है।

श्री पुरुषोत्तमलाल : सब से पुराना बकाया कौन से साल का है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह नहीं बताया जा सकता है इसमें।

श्री तनसिंह : माननीय अध्यक्ष, मेरे प्रश्न का जो उत्तर दिया गया है वह इन्कम्प्लीट है इसमें प्रश्न के भाग (३) में निवेदन किया गया था, 'उपरोक्त रकम कब से बकाया है ?" यह एक मेटीरियल चीज़ थी जिससे कि हम मालूम कर सकें कि सरकार वसूली में कितनी ढीलढाल कर रही है। मेरे पास जो सूचना भेजी गई है उसमें (अअव्य) का कालम खाली पड़ा है। इसलिये मैं चाहता हूँ कि आयन्दा टर्न पर मेरे बिना नोटिस दिये सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने उत्तर में निवेदन किया था कि सूचना मांगी गई है और आने पर प्रस्तुत कर दी जायगी।

जि० सिरोही में चराई भूमि की कमी होने पर भी गुजरात से ढोरों को चराने के लिए लाना

१३६ श्री मोहब्बतसिंह (सिरोही) : Will the Revenue Minister be pleased to state :-

(1) Is the Government aware that there is acute scarcity of grazing land in Sirohi District?

Page No.13

(श्री मोहब्बतसिंह)

(2) Is the Government award that Patanwadis from Gujrat and Kutch come to Sirohi District to graze their cattle ?

(3) Does the Government contemplate to restrict or stop the Coming of such outsiders for grazing their cattle specially when there is already a problem for local people to graze their own cattle ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :

(1)There is no acute scarcity of grazing land in Sirohi District. Of course, the position is not so easy as it used to be before.

(2) Yes.

(3) It is not possible these days to entirely stop the incursion of cattle from the neighbouring State of Bombay. Ofcourse, action will continue to be taken as hithertofore to impose some restriction on the movement of these cattle within our State as situation demands.

श्री मोहब्बत सिंह : क्या सरकार इस प्रोब्लम को सोल्व करने के लिए ऐसे आर्डर्स वहां पहुंचा सकती है कि वहां जो केटल बाहर के आते हैं वे १५ रोज तक एक गांव में रहें ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वे एक जगह रह सकते हैं, एक गांव के अन्दर नहीं रह सकते हैं। वे जंगल में रहते हैं, क्योंकि वहां उन्हें चराने का मौका मिलता है। वहां वे १५ रोज़ से ज्यादा नहीं ठहर सकते हैं।

श्री मोहब्बत सिंह : १५ रोज़ का जो समय रखा है उससे प्रोब्लम को राहत नहीं पहुँचती है। १५ को घटा कर इसको २-३ रोज़ ही कर दिया जाय ताकि वे एक जगह से दूसरी जगह उसी डिस्ट्रिक्ट में घूमें तो यह प्रोब्लम सोल्व हो जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास : १५ रोज़ का मेगज़िमम टाइम रखा गया है। कलेक्टर्स को अधिकार है कि १५ रोज़ से कम भी वे रख सकते हैं।

श्री पुरुषोत्तमलाल व्यास : १५ रोज़ के बाद में....

श्री दामोदरलाल व्यास : कलेक्टर्स वहां पर मौके पर रहते हैं और जैसी सिचुएशन डिमान्ड करती है, वैसा करते हैं।

श्री मोहब्बत सिंह : कलेक्टर को हर मुमकिन तरह का अधिकार है और जैसी सिचुएशन डिमान्ड करती है, वैसा करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट डेफिनिट ऑर्डर्स पास क्यों नहीं कर देती है कि वे दो तीन रोज ही एक जगह रख सकते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : किस वक्त क्या सिचुएशन एराइज़ होगी और क्या डिमान्ड करेगी वे कलेक्टर्स ही मौके पर रहते हैं, वे उसके मुताबिक सोच सकते हैं और कर सकते हैं। गवर्नमेंट उसको एन्टीशियेट नहीं कर सकती है।

श्री मोहब्बतसिंह : क्या गत वर्ष में ऐसी सिचुएशन एराइज़ हो गई थी कि फाइरिंग तक की नौबत आ गई थी।

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां।

श्री मोहब्बतसिंह - तो फिर सरकार

Page No.14

(श्री मोहब्बतसिंह)

इस विषय में डेफिनिट ऑर्डर्स पास करने की स्थिति में क्यों नहीं है कि वे वहां दो तीन रोज़ से ज्यादा एक जगह केटर न करें।

श्री दामोदरलाल व्यास : डेफिनिट ऑर्डर्स थे लेकिन उस समय कुछ लोगों ने भड़काया था उन लोगों को और ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई थी कि फाईरिंग किया जाय।

एक माननीय सदस्य : ऐसे डेफिनिट आर्डर्स क्यों नहीं इश्यू कर दिये जायं कि आयन्दा लोगों को भड़काने का मौका न मिले।

श्री दामोदरलाल व्यास : कानून भड़काने वालों के लिए पहले भी था और अब भी है। बाकी ऑर्डर्स पास कर दिये गये हैं कि ऐसी स्थिति हो तो क्या एक्शन लेना चाहिये।

अजमेर एवं अन्य जिलों में विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड डीलर्स

१३७. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर): Mr. Speaker, I may be permitted to put this question:

Will the Finance Minister be pleased to state :

(1) (a) How many dealers have been registered under the Central Sales Tax Act uptil now in Ajmer and other districts ?

(b) What is the total number of Declaration forms 'C' issued every quarter in Ajmer area and other districts ?

(c) How many forms have been supplied to the dealers in Ajmer area so far ?

(d) How many forms are supplied to a dealer at a time ?

(e) Why are the dealers not being given these forms freely ?

(2) Is the Government aware that in absence of adequate supply of declaration forms 'C' the businees of importing goods has been materially affected in Rajasthan ?

(3) When does the Government propose to issue these forms freely or allow the dealers to get these forms printed ?

उप मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (१) (अ) तारीख २६ अक्टूबर, १६५७ तक अजमेर क्षेत्र में १७०६ व्यापारी।

(ब) शेष राजस्थान में लगभग १५००० व्यापारी रजिस्टर्ड किये गये हैं।

(स) फॉर्म आवश्यकतानुसार दिये जाते हैं। अजमेर में २६ अक्टूबर, १६५७ तक १३१६५ फॉर्म्स दिये गये हैं।

(द) कोई संख्या निर्धारित नहीं है।

(इ) आवश्यकतानुसार फॉर्म दिये जाते हैं।

(२) जी नहीं। फॉर्म्स का कोई अभाव नहीं है।

(३) जी नहीं। फॉर्म्स आवश्यतानुसार दिये जा रहे हैं।

(४) फॉर्म्स आवश्यकतानुसार वितरित

Page No.15

(श्री सम्पतराम)

किये जा रहे हैं। व्यापारियों के फॉर्म छपवाने की अनुमति देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : what about 1 (b) ? What is the total number of Declaration form 'C' issued every quarter in Ajmer area and other distrctts ?

श्री सम्पतराम : अजमेर में २३६६५ फॉर्म दिये गये हैं। सारे राजस्थान की सूचना तो इस समय नहीं दी जा सकती।

श्री पुरुषोत्तमलाल : कौन सी डेट को दिये गये हैं अजमेर क्षेत्र में।

श्री सम्पतराम : व्यापारी जब आते हैं अपनी आवश्यकतानुसार ले जा सकते हैं। कोई निश्चित तारीख नहीं है।

श्री पुरुषोत्तमलाल : क्या मन्त्री महोदय को पता है कि वहां के लोगों को बहुत दिनों तक फार्मों के लिए इधर-उधर भटकना पड़ा है ?

श्री सम्पतराम : कई दिन तक भटकना पड़ा हो ऐसी सूचना मेरे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास आवश्यकता के मुताबिक काफी फॉर्म्स हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या जयपुर जिले की कोई शिकायत इस सम्बन्ध में नहीं है ?

श्री सम्पतराम : मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है कि कोई शिकायत की गई हो।

श्री मनोहर कोठारी : गांवों में जहां सेल्स टैक्स आफिसर के हैडक्वार्टर्स नहीं हैं वहां ये फार्म्स किस प्रकार से सप्लाई किये जाते हैं ?

श्री सम्पतराम : डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स पर सप्लाई किये जाते हैं। गांव वालों के लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं है। लोग अपने आप आवश्यकतानुसार वहां से ले जा सकते हैं।

श्री पुरुषोत्तमलाल : तहसील हैडक्वार्टर्स पर क्यों नहीं भेज दिये जांय ?

श्री सम्पतराम : तहसील हैडक्वार्टर पर इतनी आवश्यकता नहीं होती है इसलिए जिलों में रखे जाते हैं। कोई भी आदमी वहां से ले जा सकता है।

श्री मनोहर कोठारी : क्या मन्त्री महोदय को पता है कि उदयपुर से भीम कितनी दूर है क्योंकि आपने फरमाया है कि गांव वाले उदयपुर पहुंचकर फॉर्म लाने की कोशिश करें।

श्री सम्पतराम : हमारी यही व्यवस्था है और फार्म वहां सप्लाई होते हैं। उसके मुताबिक आदमी चाहे जितने वहां से ले जा सकता है। तहसीलों में फार्म मिलने की दिक्कत पैदा नहीं होती है।

श्री मनोहर कोठारी : तहसील हैड-क्वार्टर्स पर फार्म एवेलेबल हों क्या जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऐसी व्यवस्था की जायगी ?

श्री सम्पतराम : इसको एग्ज़ामिन किया जा सकता है। इस वक्त मैं कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या इन

Page No.16

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

फोर्म्स को प्राइवेटली प्रिन्ट करा सकते हैं बिजनेसमेन ?

श्री सम्पतराम : जी, बिल्कुल नहीं ।

लैंड रेकॉर्डस में गिरदावरी की दुरुस्तियों सम्बन्धी गलत कार्यवाहियां

१३८. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि लैण्ड रेकॉर्ड्स में गिरदावरी की दुरुस्तियें तहसीलदार व नायब तहसीलदार करते हैं जब कि इन अधिकारियों को टन्टे की जमीन की दुरुस्ती करने के अधिकार लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के अन्तर्गत नहीं हैं ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस तरह की गलत कार्यवाहियों को रोकने के लिये जल्दी ही आवश्यक कदम उठायेगी ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) लैण्ड रेकॉर्ड्स मेन्युअल की धारा ३५५ के अनुसार तहसीलदार व नायब तहसीलदार गिरदावरी का निरीक्षण करते हैं और उस समय जो त्रुटियां पाई जाती हैं उनकी दुरुस्तियां करवा देते हैं ।

(ख) टन्टे की जमीन की दुरुस्ती करने के अधिकार तहसीलदार व नायब तहसीलदार को नहीं हैं। लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा १२५ के अन्तर्गत टन्टे के मामले सब डिवीज़नल ऑफिसर तय करते हैं, और अब यह सब अधिकार पंचायतों को दे दिये गये हैं ।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या इस एक्ट के अन्तर्गत तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के कार्य को इल्लीगल मानेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसमें गलत मानने न मानने का सवाल नहीं है, म्युटेशन के लिये कानून बना है । यदि म्युटेशन गलत किया है तो अपील कर सकते हैं इसलिये सरकार के मानने न मानने की बात नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह आदेश पंचायतों के पास पहुँचा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां ।

श्री मूलचन्द डागा : सेक्शन १२५ के अन्तर्गत कलेक्टर्स को अधिकार है, एस. डी. आदि को नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उसके बाद जो विज्ञप्तियें राज-पत्र में प्रकाशित हुई हैं उनको देखते तो यह प्रश्न करने की नौबत नहीं आती ।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या पंचायतों के पास म्युटेशन की इतला पहुँच चुकी है ? और क्या वे इम्मूवेबल प्रोपर्टीज को डील कर सकती हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : म्युटेशन के पॉवर दे सकते हैं ।

श्री दयाकृष्ण व्यास : क्या म्युटेशन इम्मूवेबल प्रोपर्टी का नहीं होता !

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन ।

विस्थापितों के लिये भवन तथा दुकानों का निर्माण

१३९. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या पुनर्स्थापन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) सन् १९५०. ५१ से अब तक प्रति वर्ष कितने मकान अथवा दुकान कहां कहां सरकार अथवा सहकारी समितियों द्वारा विस्थापित व्यक्तियों के लिये बनाए गए ?

Page No.17

(श्री तनसिंह)

(२) उपरोक्त दुकानों व मकानों के निर्माण हेतु कितनी धन-राशि सरकार को ऋण अथवा सहायता के रूप में देनी पड़ी तथा इनमें से कितनी दुकानें अथवा मकान प्रयोग में नहीं लाए गए ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) ९ सहकारी समितियों द्वारा १०४० मकान बनाए गये जिनका व्यौरा इस प्रकार है :

जयपुर

जयपुर पुरुषार्थी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी २०६ मकान

जयपुर रिफ्यूजी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी २१२ ,,

पंजाबी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी २०६ ,,

पंजाब रिहेब्लीटेशन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ११४ ,,

सिंधी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी १४० ,,

ब्रह्मपुरी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी १५ ,,

उदयपुर

बिलोचिस्तान कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी उदयपुर ८६ ,,

श्री अर्जुन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ५८ ,,

भोपाल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ::

योग १०४०

(२) सहकारी समितियों द्वारा जो मकान बनाये गये उन पर २६, २८, १५८ रु० ८ आ० खर्च हुए जिसका व्यौरा इस प्रकार है :

१९५०-५१	५१-५२	५२-५३	५३-५४	५४-५५	५५-५६	५७-५८
९७३५००	६२२२५०	४५८१८७८	६२४१४५	६४०००	१५६०७६	० ०

कुल २६२८१५८. ८. ०

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जो मकान व दुकानें बनाने में खर्च हुआ उसका व्यौरा अब तक एकत्रित नहीं हो सका है। उपलब्ध होने पर पेश कर दिया जावेगा।

(३) जो मकान अथवा दुकानें प्रयोग में नहीं लाई गईं उनका व्यौरा इस प्रकार है :

	स्थान	नीलाम दुकानें	दुकानें खाली नीलाम होनेवाली	मकान नीलाम हुए	मकान खाली नीलाम होनेवाले
१.	जोधपुर	२१	०	२३	०
२.	बीकानेर	८	०	०	०
३.	जयपुर	२	२	६	२
४.	पाली	०	०	२१	०
५.	कोटा	०	१५	०	७
६.	बूंदी	०	०	०	३४
७.	उदयपुर	०	०	१३	एक स्टाल लकड़ी का नीलाम हुआ
		३१	१७	६३	४३

श्री तनसिंह : यहां जितने विस्थापित हैं वे खाली उदयपुर और जयपुर जिलों में ही हैं या और जगह भी हैं यह जानने का प्रयास सरकार द्वारा कभी किया गया या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ज्यादातर यहां हैं। यहां वालों ने डिमान्ड किया और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की मार्फत बनाये गये।

श्री तनसिंह : क्या आप इन विस्थापितों का अनुपात बता सकते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपके सामने फिगर्स हैं।

श्री तनसिंह : हमारे सामने तो ये बैठे हुए हैं। फिगर्स नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने बताया कि इन जिलों में इतने हैं।

श्री तनसिंह : उन्होंने बताया उदयपुर और जयपुर जिलों के बारे में। मेरा निवेदन यह है कि दूसरे जिलों में भी मकान बनाये या नहीं। आपका अभिप्राय यह है कि इन दो जिलों में विस्थापित ज्यादा हैं इसलिये उनके लिये मकान बनाये गये। मैं यह जानना चाहता हूँ कि दूसरे जिलों में भी विस्थापित हैं। वहां उनके लिये मकान और दुकानें बनाई गई हैं या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मकानात वगैरह जोधपुर और कोटा में भी है। सवाल आपका यह है कि सन् १९५०-५१ से अब तक प्रति वर्ष कितने मकान अथवा दुकान कहां कहां सरकार अथवा सहकारी समितियों द्वारा विस्थापित व्यक्तियों के लिये बनाये गये। विस्थापित व्यक्तियों द्वारा सहकारी समितियों की मार्फत बनाये गये उनका प्रश्न था। इसके अलावा और भी स्कीम्स थी मकान और दुकानें बनाने की, वे इसमें शामिल नहीं हैं। विस्तृत प्रश्न होता तो उसका भी उत्तर दिया जाता।

श्री पी. के. चौधरी : आपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ द्वारा जो मकान बनाए गए हैं उनके बारे में ही बताया है, सरकार ने कितने बनाये यह नहीं बताया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ६ सहकारी समितियों १०४० मकान बनाये हैं।

श्री पी. के. चौधरी : सरकार की तरफ से कितने बनाये गये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इनडिपेन्डेन्टली नहीं हैं।

राजस्थान कालेज का वार्षिक बजट व वेतन दर

१४०. डॉ० चन्द्रकला (श्री जगदीशप्रसाद की अनुपस्थिति में) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) इस वर्ष से चालू किये गये राजस्थान कॉलेज का वार्षिक बजट क्या है ?

(ख) क्या इस कॉलेज में नियुक्त कॉलेजों के प्राध्यापकों के वेतन एवं योग्यता में अन्य कॉलेजों के प्राध्यापकों से अन्तर है ? यदि हां, तो क्यों ?

उप शिक्षामंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) :

(क) २, ४०, ००० रु०

(ख) जी हां। योग्यता में कोई अन्तर नहीं रखा गया। वेतन में अन्तर रखने का कारण यह है कि जिससे योग्यतम शिक्षकों को राजस्थान कॉलेज के लिये आकर्षित किया जा सके। इस कॉलेज की शिक्षा का स्तर भी ऊंचा

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

है। यहां के प्राध्यापकों को अन्य कॉलेजों के बनिस्पत अधिक समय तथा अधिक परिश्रम से कार्य करना पड़ता है। प्रत्येक विद्यार्थी की दिनचर्या की देखभाल करने का भार भी उन पर होता है। इस कॉलेज में जनरल लेक्चर्स के अलावा ट्युटोरियल भी शामिल किये गये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या ट्युटोरियल की व्यवस्था हो गई है? आपने अभी कहा कि अध्यापकों की योग्यता वही है लेकिन उनका वेतन ज्यादा है क्यों कि उनको अधिक समय देना पड़ता है, इसलिये क्या वहां पर ट्युटोरियल्स की व्यवस्था हो गई है?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां हो गई है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : इन छात्रों की जब परीक्षा होगी तब कौन से अध्यापक इनके पर्चों की जांच करेंगे?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : युनिवर्सिटी करेगी।

श्री मनोहर कोठारी : इसमें कितने विद्यार्थी हैं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ५३.

श्री पी. के. चौधरी : कितने टीचर्स हैं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अलग से प्रश्न पूछिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इनके लिये रेजिडेन्शियल लोकेल्टि कब बनेगी?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसके लिये प्रयत्न कर रहे हैं।

पुरुषार्थी परिवारों को जमीन देकर पुनर्स्थापन करने सम्बन्धी

१४१. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) क्या पुनर्स्थापन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) सरकार ने सन् १९५० से अब तक प्रति वर्ष कितने पुरुषार्थी परिवारों को जमीन देकर पुनर्स्थापित किया?

(२) उपरोक्त परिवारों को कुल कितना रूपया सहायता अथवा ऋण के रूप में दिया गया?

श्री दामोदरलाल व्यास : (१) राजस्थान में सन् ५०-५१ से अब तक कुल ४१,५७७ पुरुषार्थी परिवारों को जमीन देकर बसाया गया। वार्षिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(२) इन परिवारों में से ३७,११३ पुरुषार्थी परिवारों को २,२६ ७३,६१६ रू. १३ आ० कर्जे के रूप में दिया गया।

राज्य सेवा में पेन्शनयाफ्ता अधिकारी

१४२. **श्री गिरधारीलाल** (नोखा) : क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कुछ पेन्शनयाफ्ता अधिकारी राज्य सेवा पर कार्य कर रहे हैं?

(ख) क्या उनके स्थान पर विभागीय अनुभवी अधिकारी नहीं लिये जा सकते हैं?

(ग) अगर हां, तो फिर इन्हें नियुक्त करने के क्या कारण हैं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : (क) हां।

(ख) राजस्थान सर्विस रूल्स में सिर्फ विशेष परिस्थितियों को छोड़ कर अवकाशप्राप्त सरकारी कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति पर

Page No.20

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

रोक है। विशेष परिस्थितियों में तथा प्रशिक्षित एवं अनुभवी व्यक्तियों के अभाव में ही ऐसे कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति जन हित में अल्प काल के लिये की जाती है। पुनर्नियुक्ति में एक वर्ष तक के काल के लिये नियुक्ति विभाग की तथा एक वर्ष से अधिक के काल के लिये वित्त विभाग की भी एवं दो वर्ष से अधिक काल के लिये जन सेवा आयोग की भी सहमति की आवश्यकता होती है। नियुक्ति विभाग अपनी सहमति प्रदान करते समय इस बात का विशेष तौर से विचार रखता है कि इस स्थान के लिये विभागीय अनुभवी अधिकारी उपलब्ध हैं या नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री गिरधारीलाल : कितने पेन्शनयाफ्ता अधिकारी काम कर रहे हैं इस वक्त उनकी संख्या कितनी है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया सारी जानकारी तो प्राप्त नहीं है लेकिन जहां तक गजटेड ऑफीसर्स का प्रश्न है उनकी संख्या ३७ के करीब है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ४ वर्ष से अधिक समय से जो लोग काम कर रहे हैं उनकी संख्या बता सकते हैं क्या, जिनके लिये पी. एस. सी. की सेंक्शन है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसके लिये मैं नोटिस चाहूंगा जानकारी निकालने के लिये।

श्री गिरधारीलाल : आपने फरमाया था कि विशेष परिस्थितियों में नियुक्त किये जाते हैं। वे विशेष परिस्थितियां कौनसी हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वे मेरे उत्तर में आ चुकी हैं।

प्रश्न संख्या १४३

श्री अध्यक्ष : श्री धर्मपाल पंवार।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

टैक्स बुक्स राष्ट्रीयकरण मंडल द्वारा की गई अनियमितताओं सम्बन्धी जांच

१४४. श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Will the Education Minister be pleased to state:

(a) Was an enquiry conducted into the irregularities, if any, committed by the Text Books Nationalisation Board ?

(B) If so, by whom and what were the findings and what action if any has been taken by the Government ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्रीभानसिंह : Has the Government not gone through the Audit Report ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : Yes, we have gone through the Audit Report.

श्री श्रीभानसिंह : Has the Audit Report not pointed out the irregularities of this Committee ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : Not regarding this.

श्री श्रीभानसिंह : Did this Commettee appoint itself as the Nationalisation Committee ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : I am talking about the Nationalisation Board.

श्री श्रीमानसिंह : Did this Board coincide with the Committee?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : No, the Board came into existence later on.

श्री श्रीमानसिंह : On which date did this Board come into existence?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : The exact date is not available just now, but it came into being in 1956.

प्रश्न संख्या १४५

श्री अध्यक्ष : श्री धर्मपाल पंवार ।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

श्री प्रभुलाल पुरोहित ।

कर्मचारियो में भ्रष्टाचार इत्यादि की निरोधक शासकीय योजना

१४६ श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

१ क्या राजस्थान सरकार का प्रशासन का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है और विभागों के कर्मचारियों में भ्रष्टाचार व कामचोर की आदतें घुसी हुई हैं ?

२ यदि हां, तो फिर इस ओर कब ध्यान दिया जायेगा ?

मुख्यमंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : १. व २ : यह कहना गलत है कि राजस्थान सरकार का प्रशासन का स्तर दिन-प्रतिदिन गिरता जा रहा है। कुछ कर्मचारियों में भ्रष्टाचार व कामचोर की आदतें पाया जाना सम्भव हो सकता है। इस ओर सरकार का बराबर ध्यान रहा है। भ्रष्टाचार कर्मचारियों के खिलाफ सरकार ने आवश्यक कार्यवाही हेतु स्पेशल इन्सपेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तथा कमिश्नर, विभागीय जांच की नियुक्तियां की हैं। भ्रष्टाचार निरोधक बोर्ड का पुनर्गठन भी किया जा चुका है।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : जब एक विशेष आइ. जी. पी. की नियुक्ति की गई, तो यह क्यों नहीं माना जाय कि प्रशासन का स्तर गिरता जा रहा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : भ्रष्टाचार को मिटाने की विशेष उत्सुकता ही मानी जा सकती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : स्पेशल आई. जी. पी. ने कितने केसेज़ डील किये हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री जगदीशप्रसाद : आपने पूछा है कि कितने केसेज़ उन्होंने डील किये हैं और कितनों पर कार्यवाही की गई है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसकी जानकारी तादाद के रूप में नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र : आपने बताया कि कुछ अधिकारी कामचोर हैं, इसका आपके पास कुछ डेटा है, या वैसे ही कह रहे हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने निवेदन किया था कि हो सकता है।

प्रश्न संख्या १४७

श्री अध्यक्ष : श्री धर्मपाल पंवार।

(अनुपस्थित)

पटवारियों द्वारा पंचों की उपस्थिति में गश्त गिरदावरी

१४८. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान के राजस्व विभाग की ख आज्ञा संख्या एफ ८ संख्या ।१८६। राजस्व (ख) ५७ दिनांक ११ सितम्बर, १९५७ के अन्तर्गत कितनी तहसीलों में पटवारियों ने पंचायतों को गश्त गिरदावरी की सूचना देकर पंचों की उपस्थिति में गश्त गिरदावरी की तथा किन किन तहसीलों में इस आज्ञा के अनुसार काम नहीं किया गया ? (ख) क्या जिन तहसीलों में इसके अनुसार काम नहीं किया गया, उन तहसीलों के अधिकारियों से जवाब तलब किया गया है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदर लाल व्यास) : (क) प्रश्न में चाही गई सूचना एकत्रित करने में बहुत समय लगेगा। यदि माननीय सदस्य किसी तहसील विशेष के बारे में सूचना चाहते हैं तो कृपया जानकारी देवें। प्रश्न नहीं उठता।

माननीय अध्यक्ष, इस सवाल का आप मुलाहिज़ा फर्मा लीजिये। यह मुमकिन नहीं है कि जल्दी जवाब दिया जाय।

श्री श्रीभानसिंह : यह आपकी परमीशन लेकर कहें। यह सीधा कहें कि रिप्लाई नहीं दिया जा सकता, यह प्रोसीजर ठीक नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि यह जो सवाल आया है, इसकी सूचना जल्दी नहीं मिल सकी है।

श्री अध्यक्ष : यह बेहतर होता, इसकी आप पहले इतला कर देते, तो यह प्रश्न आता नहीं।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह गलती जरूर हुई है।

गेहूँ की फसलों को हुई क्षति से रूपवास तहसीलों को सहायता एवं छूट

१४९. श्री श्रीभानसिंह (बयाना): Will the Famine Relief Minister be pleased to state:

How many villages of Rupbas Tehsil were given relief or remission due to damage of crops of wheat ? Please give the list and the date when the relief was given ?

अकाल सहायता मंत्री (श्री दामोदर लाल व्यास) : 25 villages. A list of villages has been placed on the Table of the House. Orders for relief or remission were passed on 30. 4. 1957.

श्री श्रीभानसिंह : Are you in a position to state the total amount of relief which the Government has given out ?

श्री दामोदरलाल व्यास : The total sum cannot be stated but remission and suspension according to the rules was given on 30. 4. 57.

श्री श्रीभानसिंह : रेमीशन बता दीजिये जो विलेजेज़ में की है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : रूल्स में जो है वह किया गया है। फिगर्स मालूम नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या ११८, श्री अर्जन दास।

डॉ० चन्द्रकला : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर दें।

राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के आठवीं कक्षा तक के छात्रों से शिक्षण शुल्क

डॉ० चन्द्रकला (श्री अर्जुनदास की अनुपस्थिति में) : Will the Minister for Education be pleased to answer:

(a) What amount of tuition fee is charged from students upto VIII class ?

(b) Have the Government aided schools also been directed to charge the same fees ?

(c) What amounts are actually taken from such students of the Government schools and Government aided schools respectively ?

(d) Why does the Government not take cave to see that the charges are common to both the Government schools as well as aided schools and why not these charges can de reduced ?

(e) What other charges are the schools entitled to realise from the students in the Government as well as aided schools ?

उपमंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) राजकीय स्कूलों में कक्षा ८ तक कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जाती।

(ख) जी नहीं।

(ग) कक्षा तीन से पांच तक २॥ रु० सालाना तथा कक्षा ६ से ८ तक ७॥ रु० सालाना ली जाती है।

सहायता प्राप्त पाठशालाओं में फीसों की दर भिन्न भिन्न हैं।

(घ) राजकीय व सहायता प्राप्त पाठशालाओं में फीसों की दर एक सी करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(ङ) राजकीय स्कूलों में कक्षा ८ वीं तक के छात्रों से जो अन्य फीसें ली जाती हैं वह निम्न प्रकार हैं :

	तीसरी से ५	६ठी से ८वीं तक
खेल फी.	१ रु० सालाना	२ रु० सालाना
वाचनालय फीस :	कुछ नहीं	१ रु० सालाना
परीक्षा फीस	१॥ रु० सालाना	४॥ रु० सालाना

तीन परीक्षाओं के लिये।

सहायता प्राप्त स्कूलों में भिन्न भिन्न फीस ली जाती है।

डा० चन्द्रकला : सरकार का आठवीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा घोषित करने का क्या अर्थ है ? अगर दूसरी संस्थाओं में फीस ली जाती है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : वे सरकार के सीधे मेनेजमेन्ट में नहीं है। उनकी मेनेजमेंट कमेटी हैं और वे जनता द्वारा चलाई जाती हैं।

श्री मनोहर कोठारी : ऐसे स्कूलों की सरकारी एड बन्द करनी चाहिए।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जब लड़कों की फीस बढ़ाई तो उन्होंने हड़ताल की, अगर इन स्कूलों की सरकारी एड बन्द की, तो ये स्कूलें हड़ताल करेंगी।

डॉ० चन्द्रकला : निःशुल्क शिक्षा है, यह घोषणा नहीं करनी चाहिए। सरकारी

Page No.24

(डॉ० चन्द्रकला)
स्कूलों में फीस नहीं लगेगी, यह होना चाहिए आठवीं क्लास तक निःशुल्क शिक्षा है, इसका क्या मतलब है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली संस्था हैं, उनमें ट्युशन फीस नहीं ली जायगी ।

श्री श्रीभानसिंह : In respect of those sohools not following the line of Government policy; is the Government Contemplating to stop their aid ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : I have given the reply and the reply is "no."

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या हड़ताल के भय से यह कदम नहीं उठाया जा रहा है ? जैसा आपने कहा कि फीस बढ़ाई तो लड़कों ने हड़ताल की और अगर एड बन्द की तो ये स्कूलें हड़ताल कर देंगी ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह एक कन्सीडरेशन हो सकता है ।

श्री श्रीभानसिंह : Is this sufficient reason कि जो इन्सटीट्यूशन गवर्नमेंट की पोलिसी को फोलो नहीं करती हैं, उसको एड देने का क्या रीजन है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : Why not ? It is practical expediency. They are catering to the needs of the population and the Government is not in a position directly to open. schools when they are being managed by private parties, the Government is not in a position to coerce them to do so in the present circumst,ances until and unless they are able to replace it by Government owned institutions.

श्री श्रीभानसिंह : The Government can utilise the sum in their own institutions.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : That shall fall short of the required needs.

(घंटी)

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह ।

२१ से २३ जुलाई तक जिला टोंक में अतिवृष्टि से विभिन्न ग्रामों को क्षति

११६. **श्री जगदीशप्रसाद** (रावराजा श्री सरदार सिंह की अनुपस्थिति में): क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या तारीख २१,२२,२३ जुलाई, १९५७ को, टोंक डिस्ट्रिक्ट में अतिवृष्टि के कारण कई ग्रामों को नुकसान पहुंचा है ?

(ख) अगर हां, तो किस किस तहसील के किस किस ग्राम में और कितना कितना तथा पीड़ित व्यक्तियों को तत्कालीन क्या क्या सहायता प्रदान की गई ?

(ग) क्या यह सही है कि बहुत से ग्रामों को अब तक भी राहत नहीं दी गई और बहुत से ग्रामीण अब भी मकानों के अभाव में खुले मैदानों में पड़े हुए हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदर लाल व्यास) : (क) जी हां ।

(ख) तहसील उनियारा के ११ ग्रामों में ३१०० रु० की हानि हुई, ११ बंधे टूटे व ३४० मकानों को नुकसान हुआ ।

(१२ बजे के भोंपू का बजना प्रारम्भ)

श्री जगदीश प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, जब तक भोंपू बज रहा है तब तक के लिए कार्यवाही बन्द रहे।

श्री अध्यक्ष : आवाज काफी तेज है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मोहम्मद गढ़, तूर्म्बीपुरा, गलबतिया, पचाला, सखाड़िया, गोन्डा, विजयगढ़, उनियारा, सूथड़ा, कालपुरा व विलासपुरा। तहसील टोंक के १० ग्रामों में ६१५६ रु० की हानि हुई, ६ बंधे टूटे और ५१ घरों को हानि पहुँची।

चन्दलाई, दालिया, पराना, सकलपुरा, हरचन्देड़ा, लबादर, वजीरपुरा, खुर्द, पालडी व विशनपुरा।

क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को नियमानुसार तत्कालीन नकदी निम्न प्रकार सहायता दी गई :

तहसील उनियारा : ३४२२ रु०

तहसील टोंक : १००० रु०।

(ग) जी नहीं। नियमानुसार जिन्हें सहायता मिल सकती थी, उन सबको सहायता दी गई और कोई व्यक्ति खुले मैदान में नहीं पड़े रहे।

डा० चन्द्रकला : क्या निवाई तहसील में कोई सहायता दी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : निवाई तहसील में नुकसान होने की सूचना नहीं है।

प्रश्न संख्या १२०

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जनदास।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

सिरोही में स्कूल भवन निर्माणार्थ गत वर्ष के बजट में व्यवस्था

१२२. **श्री मोहब्बतसिंह** (सिरोही) : Will the Education Minister be pleased to state :

(a) Was there any provision of seventy thousand rupees in the last year's budget for the construction of a school building at Sirohi ? If so, who was resposilble for the lapse of this amount ?

(b) Does the Government contemplate to construct there a School or college building early ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई): (क) जी नहीं।

(ख) भवन निर्माण के प्रश्न पर अगर जनता भी अपना सहयोग दे तो विचार किया जा सकता है।

श्री मोहब्बतसिंह : अगर भवन निर्माण की समस्या पर जनता सहयोग नहीं दे तो ऐसी सूरत में आपकी तरफ से क्या होगा ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : विश्वास दिलाया गया था कि सहयोग देंगी।

(हंसी)

श्री लच्छूराम : श्री धर्मपाल पंवार के कौन कौन से प्रश्न के जवाब दिये हैं ?

श्री अध्यक्ष : कौनसा प्रश्न है ? उनके कई प्रश्न हैं।

श्री लच्छूराम : प्रश्न संख्या १४३.

श्री अध्यक्ष : This qusetion has some general intrerest. हरिजनों को कितनी भूमि अलॉट की गई ?

भाखड़ा क्षेत्र में आज तक भूमि हीन हरिजनों को नियत की गई भूमि।

१४३. **श्री लच्छूराम** (श्री धर्मपाल पंवार की अनुपस्थिति में) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भाखड़ा क्षेत्र में भूमिहीन हरिजनों को आज तक कितनी भूमि अलॉट की गई ?

(ख) क्या भूमि वितरण में हरिजनों को प्राथमिकता दी गई है ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों नहीं और यदि हां, तो कितनी भूमि उनके लिये रिजर्व की गई ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) स्थाई रूप में कोई भूमि अलॉट नहीं की गई है।

(ख) भूमि नियमों के मातहत अलॉट की जायगी

(ग) तमाम भूमिहीनों की स्थिति एक जैसी है इसलिए प्राथमिकता देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री लच्छूराम : लैंडलेस से एप्लीकेशन्स कब इन्वाइट की गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इस पर विचार नहीं किया, यह नहीं कहा। जनरल स्तर पर अलॉटमेंट नहीं हुआ है।

श्री लच्छू राम : कब इनवाइट की गई ?

श्री दामोदर लाल व्यास : इसके लिए अलग नोटिस देकर सवाल पूछिये।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पुनर्ग्रहीत जागीर के जागीरदारों की राज्य-सेवा में नियुक्ति

१. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार ने अब तक पुनर्ग्रहीत जागीरों के कितने जागीरदारों को राज्य सेवा में लिया है ?

(ख) कृपया उनके नाम और पते बतावें ?

(ग) इस सम्बन्ध में कितने प्रार्थना-पत्र सरकार को प्राप्त हुए ?

(घ) जिनके प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किये गये उनके क्या कारण हैं ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) ३०।

(ख) सूची सदन की मेज पर रखवादी गई है।

(ग) ६८।

(घ) ३७ प्रार्थना-पत्र अभी विचाराधीन हैं और जिन्हें स्थान रिक्त होने पर राज्य सेवा में लिये जाने की कार्यवाही की जावेगी।

अन्य प्रार्थना पत्रों पर इसलिए कोई विचार नहीं किया जा सकता कि वे जिन पदों के लिए प्रार्थी हैं उनके योग्य नहीं हैं।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

राजस्थान सरकार द्वारा कुल विनियोजित धन-राशि तथा उससे प्राप्त व्याज एवं लाभांश

२. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : Will the Finance Minister be pleased to state :

Page No.27

(श्री तनसिंह)

(a) What is the value of total investments inherited by Rajasthan State from various covenanting States and what is the value of total investments of Rajasthan Govt. at present ?

(b) What investments have been lost in liquidation ?

(c) What is the value of those concerns which are either running at loos or have declared no dividends ?

(d) What is the total return by way of interest and dividends ?

वित्त मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) :

(a) Face value of total investment is Rs. 19,37,27,157/15/9 which comprise of the following items :

(a)	G. P. Notes	15,89,08,000/-/-
(b)	Sterling Securities	£ 169762/0/4 or Appxly. Rs. 22,07,000/-/-
(c)	Fixed Deposits	76,70,782/2/9
(d)	Postal Certificates.	38,28,192/8/-
(e)	Shares	2,11,13,183,/5/-

The above figures are inclusive of investments relating to 'Trust Funds'.

(b) Face value of total investments of Rajasthan Government as on 1-4-57 is Rs. 15,43,58,353/- which comprises of the following items :

(a)	G. P. Notes	12,65,20,200*
(b)	Sterling Securities	£ 169759/8/8 or Appxly Rs. 22,06,960
(c)	Fixed Depcsits	15,84,680
(d)	Postal Certificates	51,070
(e)	Shares.	2,39,95,443

The above figures are inclusive of investments relating to Trust Funds.

*This is exclusive of holdings in 4% Rajasthan Development Loan 1968 for Rs. 39,50,000/- Out of these G. P. Notes for Rs.1214.13 lakhs are lodged with State Bank of India, Jaipur against overdraft limit of Rs. 1067.87 lakhs.

(c) Liquidation of only one Company i. e Dungarpur Mining Syndicate, Dungarpur has been completed. A sum of Rs. 1,00,000/- was invested by the Govt. in this concern.

(d) Face value Rs. 88,34,560/-
In loss Rs. 1,80,000/-
In profit by dividend not declared-Rs. 70,23,850/-
Others (In liquidation or New) (except Cooperative Societies.) Rs. 13,01,710/-

Cooperative Societies. 3,29,000/-

(e) During the year 1956-57 a sum of Rs. 49,06,083 and Rs. 17,91,560/15/10 was received by Government as iaterest and dividend respectively against the total investments of Rs. 15,43,58,353/- as on 1-4-57

भूतपूर्व जयपुर राज्य द्वारा कांग्रेस अधिवेशन के अवसर पर कांग्रेस को दिया गया ऋण एवं उसकी वसूली

३. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कांग्रेस अधिवेशन जयपुर के लिए भूतपूर्व जयपुर सरकार ने कितना कर्ज कांग्रेस पार्टी को किस तारीख व किस शर्त पर दिया ?

(ख) इसमें कितना मूलधन और व्याज लोटाया गया, कितना राइट आफ किया तथा कितना बकाया है ?

(ग) उपरोक्त कर्ज की रकम में कितने रुपये का सामान लेकर सरकार ने एडजस्टमेन्ट किया ? यह सामान क्या क्या था और किस किस कीमत का था ?

वित्त मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (क) भूतपूर्व जयपुर सरकार ने कांग्रेस अधिवेशन की जनरल सेक्रेटरी स्वागत समिति की प्रार्थना पर १८,३८,००० अंके अठारह लाख अड़तीस हजार रुपये लोहा और अन्य सामान की सीक्योरिटी पर जो गांधी नगर में थे कर्ज निम्नलिखित तारीखों को दिया।

तारीख	रकम
६-११-१९४८	५,००,०००
२२-११-१९४८	५,००,०००
२९-१२-१९४८	६,८८,०००
३- १-१९४९	१,५०,०००
कुल	१८,३८,०००

(ख) उपर्युक्त १८,३८,००० की वसूली सामान के रूप में व कुछ रोकड़ के रूप में सरकारी महकमों द्वारा हो गई। अब कोई रकम लेना बाकी नहीं है व्याज की कोई शर्त नहीं थी।

(ग) मुख्यतया निम्नलिखित महकमात ने विशेषकर लोहे का सामान कांग्रेस स्वागत समिति से लिया।

१.	इलैक्ट्रिकल एण्ड मैकेनीकल डिपार्टमेंट जयपुर	१०.९५ लाख
२.	सप्लाई डिपार्टमेंट	२.४२ ,,
३.	रिलीफ एन्ड रिहबिलिटेशन डिपार्टमेंट	५.०० ,,
४.	अन्य विभाग	०.०१ ,,
	कुल	१८,३८ लाख

मद नं० १ की विवरण पत्रिका साथ संलग्न है।

मद नं० २ व ३ की रकम जोकि सामान की कीमत थी सरकारी कोष में महकमों द्वारा नकद के रूप में जमा करा दी गई।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

सन् ५०-५१ से अब तक राज्य कर्मचारियों को मकान एवं मोटर हेतु दी गई उधार धन-राशि

४. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को मकान बनाने तथा मोटर गाड़ियां खरीदने के लिए कितना रुपया सन् १९५०-५१ से अब तक प्रतिवर्ष उधार दिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (क) राजस्थान सरकार ने १९५०-५१ से

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

१९५६-५७ तक मकान बनाने व मोटर गाड़ियां खरीदने के लिए निम्नलिखित कर्जा सरकारी कर्मचारियों को दिया :

वर्ष	मकान बनाने के लिए		मोटर गाड़ियां खरीदने के लिए	
१९५०-५१	३,९६,७०६		१,६०,५२०	
१९५१-५२	१,९९ २८५		२,११,०२९	
१९५२-५३	८२,६२६		५७,९३०	
१९५३-५४	१,४४ ००७		५३,१७०	
१९५४-५५	३,०२,३७३		७१,१०१	
१९५५-५६	५,४७,५६६		१,६३,३५०	
१९५६-५७	६,७५,८७५	अक्टूबर तक	१,३५,८९३	अक्टूबर तक
	४,६६,८९८	मार्च तक	१,४४,१२०	मार्च तक
	११,४२,७७३		२,८०,०१३	
योग	२८,०५,३३६		९,९७,११३	

सन् १९५१ से अब तक प्रत्येक वर्ष की ३१ मार्च को गबन के मामलों की संख्या तथा उसमें निर्लिप्त धन-राशि

५. श्री तनसिंह (बाड़मेर) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५१ व बाद के प्रत्येक साल की ३१ मार्च के दिन सरकारी धन के दुरूपयोग और गबन के कितने मामले विचाराधीन थे ?

(ख) ऐसे मामलों में प्रतिवर्ष कुल कितनी धन-राशि का प्रश्न सम्बन्धित था ?

(ग) कृपया उन मामलों के जोकि पांच वर्ष या इससे भी अधिक समय से विचाराधीन हैं, के अभियुक्तों के नाम, गबन की अथवा दुरूपयोग की अनुमानित तिथि तथा धनराशि बतावें तथा यह भी बतावें कि ये किसके पास विचाराधीन हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (क) सन् १९५४ व बाद के प्रत्येक वर्ष की ३१ मार्च के दिन सरकारी धन के दुरुपयोग और गबन के निम्नांकित मामले विचाराधीन थे :

३१ मार्च १९५४	१२२ मामले
३१ मार्च १९५५	२३५ मामले
३१ मार्च १९५६	३०० मामले
३१ मार्च १९५७	३१३ मामले

१९५४ के पहले के आंकड़े नहीं दिये जा सकते क्योंकि उस समय कोई संग्रहीत पत्रावली नहीं थी।

(ख) कुल धन-राशि जिसका सम्बन्ध ऐसे मामलों से था, इस प्रकार है :

३१ मार्च १९५४— ६,५६,३९८।९।०
,, १९५५—१५,२६,५८१।९।६
,, १९५६—१६,८३,३९१।४।५
,, १९५७—१७,८८,४५२।०।९

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

(ग) ३१ मार्च सन् १६५४ को जो मामले विचाराधीन थे वे उनमें से जो आज भी विचाराधीन हैं उनकी सूची मय पूछे गये विवरण के सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

इस वर्ष राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड, शिव में हुआ श्रमदान

६. श्री तनसिंह (बाड़मेर) : क्या सामुदायिक विकास योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड शिव में इस वर्ष श्रमदान पखवाड़े में कितने रुपये की कीमत का श्रमदान हुआ ?

(ख) श्रमदान कहां कहां और क्या क्या हुआ ?

सामुदायिक विकास योजना मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) ६०,४००) रु० का श्रमदान हुआ।

(ख) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

११.५८ म० पू०

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूँ कि राजा मानसिंह ने दिनांक ४ नवम्बर से १० नवम्बर १६५६ तक विधान सभा की बैठक से अनुपस्थित रहने आज्ञा के लिए प्रार्थना की है।

क्या सदन की अनुमति है कि उनको अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

१२ मध्यान्ह

राजस्थान नगर सुधार विधेयक, १६५७ की प्रवर समिति के सदस्यों की नामावली

श्री अध्यक्ष :

Select Committee on the Rajasthan Urban Improvement Bill, 1957.

1. Minister-in-charge.
2. Shri Jwala Prasad.
3. Shri Rameshwar Dayal.
4. Shri Ram Prasad Ladha.
5. Shri Bhawani Shankar Nandwana.
6. Shri Gokul Chand.
7. Shri Tikaram Paliwal.
8. Shri Manohar Kothari.
9. Dr. Chandra Kala.
10. Shri Anand Singh Kachhwaha.
11. Shri Shankar Lal.
12. Shri Bhimsen.
13. Shri Sampat Raj.
14. Shri Raghubir Singh Jaoli.
15. Shri Veera Ram.
16. Shri Satish Chandra.
17. Shri Murli Dhar Vyas.
18. Shri Arjan Dass.
19. Shri Prithvi Raj.
20. Shri Mohar Singh.
21. Shri Nathi Singh.

(विराम)

श्री अध्यक्ष : अब राजस्व मन्त्री अकाल की स्थिति के बारे में वक्तव्य देंगे।

Page No.31

१२. २. म० ५७

अनावृष्टि इत्यादि से उत्पन्न खाद्यान्न सम्बन्धी अभाव की स्थिति पर राजस्व मन्त्री का वक्तव्य

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में गत सितम्बर माह में वर्षा न होने से उत्पन्न स्थिति पर एक बयान देने के लिए खड़ा हुआ हूं।

जैसा कि आप को विदित है, राजस्थान में हम लोगों पर मानसून की बहुत कृपा नहीं रही है और राजस्थान के निर्माण के समय से ही राज्य के एक या दूसरे भाग में अभाव की स्थिति रहना एक सामान्य बात हो गई है। या तो वर्षा देर से प्रारम्भ होती है या बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाती है अथवा वर्षा के बीच बीच में कष्टकर लम्बी अवधियां निकल जाती हैं और वर्षा नहीं होती।

इस वर्ष भी जुलाई का महीना जो देश के इस भाग में वर्षा ऋतु का प्रधान महिना है, बहुत अच्छा नहीं गुजरा। कुछ जिलों में छोड़ कर, अगस्त सामान्य रूप से उत्तम रहा, लेकिन सितम्बर का अगला महीना ज्यादातर जिलों में सूखा निकल गया। इसके अतिरिक्त राज्य की कई तहसीलों में जिनमें खास कर सीकर व राजनगर, रेलमगरा, कोटा जिले के ६ गांवों में तथा भरतपुर व धौलपुर के कुछ भागों में ओले पड़ने से फसलों को काफी नुकसान पहुँचा है और नतीजा यह हुआ कि सब मिलाकर राज्य के एक बड़े भाग में फसलों को बहुत हानि पहुँची।

जिला कलेक्टरों से अब तक सरकार को प्राप्त रिपोर्टों से यह प्रकट होता है कि राजस्थान के १५ जिलों अर्थात् सीकर, झुंझुनू उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, गंगानगर, चूरू बीकानेर, सिरोही, पाली, नागौर, जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर और जोधपुर की ७२ तहसीलों पर पूर्णतः या अंशतः प्रभाव पड़ा है। पूर्णतः या अंशतः प्रभावित गांवों की कुल संख्या लगभग ७,००० है, जिनकी कुल जनसंख्या ३७,००,००० के आस पास है। जब कि फसलों की पहुँची क्षति की मात्रा का केवल क्षेत्र निरीक्षण गश्तगिरदावरी के पश्चात् ही पता चल सकेगा, अभी संपूर्ण उपलब्ध सूचना से यह प्रकट होता है कि इन १५ जिलों की तहसीलों के गांवों की खरीफ की फसल ज्यादा खराब हो गई है तथा इन जिलों की ज्यादातर तहसीलों में रबी की फसल जमीन के सूख जाने से बहुत ही कम काश्त हुई है। इन तहसीलों के नामों की सूचना इस प्रकार है:

जोधपुर जिले में, फलोदी के ६६ गांव। शेरगढ़ के ३ गांव, जोधपुर के ३ गांव, बाड़मेर जिले में बाड़मेर के २४७ गांव, शिव तहसील के २६ गांव, चोहटन के ७६ गांव, पचवाड़ा के २२ गांव, सिवाना के ५ गांव।

जालौर जिले में :

सांचोर की करीब करीब सभी तहसीलें। जसवन्तपुरा की करीब करीब सभी तहसीलें।

जालोर के कुछ गांव, आहोर के कुछ गांव। गांवों की तादाद पूरी नहीं आ सकी है और गश्त गिरदावरी हो रही है।

जैसलमेर जिले के:

रामगढ़ के ४२ गांव, साम की करीब करीब सभी तहसीलें। पोकरन के कुछ गांव, जैसलमेर के १०१ गांव, नाचणा के ४५ गांव।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

नागौर जिले में :

नागौर ११, जायल के ४ गांव।

पाली जिले में :

पाली की करीब करीब सभी तहसीलें। देसूरी के २६ गांव, बाली के १०६ गांव।

सिरोही के :

सिरोही के कुछ गांव, पिन्डवाड़ा के कुछ गांव। शिवगंज के कुछ गांव। रेवडर के कुछ गांव। आबू रोड के कुछ गाँव। इनके गांवों की तादाद नहीं आई है, हर एक में कुछ न कुछ गांव हैं।

बीकानेर के :

बीकानेर, नोखा की करीब करीब सभी तहसीलें। लूणकरणसर, मगरा, चूरू, सरदारशहर, डूंगरगढ़ और तारानगर की करीब करीब सभी तहसीलें। रतनगढ़ के ८७ गांव, सुजानगढ़ के १२६ गांव, राजगढ़ के १५७ गांव, गंगानगर की नोहर और भादरा तहसीलों में वैरानी कुछ नहीं।

उदयपुर जिले की :

आमेट, भीम, देवगढ़, लसाड़िया, सराड़ा, सालूम्बर और खेरवाड़ा की समस्त तहसीलें।

बांसवाड़ा जिले की :

बांसवाड़ा के कुछ गांव, घाटोल की समस्त तहसीलें। कुशलगढ़ का सर्किल रामगढ़ व तिमेड़ा। बागीडोरा का सर्किल भूखियां व शैरगढ़। गढ़ी की समस्त तहसीलें।

डूंगरपुर जिले की :

सागवाड़ा, आसपुर, और डूंगरपुर की सारी तहसीलें।

सीकर जिले की :

फतेहपुर के १८ गांव, लक्ष्मणगढ़ के ८८ गांव, श्री माधोपुर के ३१ गांव, नीमका थाना के कुछ गांव, सूची अभी प्राप्त नहीं हुई है। सीकर दांतारामगढ़ के गांवों के नाम नहीं आये हैं।

झुंझनू जिले के :

झुंझनू, चिड़ावा, खेतड़ी और उदयपुर इनके गांवों की सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि कौन गांव अभाव ग्रस्त हैं।

सरकार ऐसी स्थिति पर निरन्तर दृष्टि रखे हुए है और उसका मुकाबिला करने के लिये वह विभिन्न कदम उठा रही है।

सम्बन्धित जिलों के कलेक्टरों को टेस्ट सहायता कार्य चालू करने के लिए १ लाख ३० हजार रुपये की धन-राशि स्वीकार कर ली गई है। वृद्धों, निर्बलों और जरूरतमन्दों को तुरन्त अनुग्रह स्वरूप सहायता देने के लिए अलग धन-राशि दे दी गई है। बाड़मेर, जालौर, नागौर और जैसलमेर जिलों में पहिले से ही सहायता कार्य चालू किये जा चुके हैं तथा अन्य प्रभावित क्षेत्रों में भी सहायता कार्य चालू किए जाने वाले हैं। मोटे अनाज, मक्का, बाजरा और ज्वार का आवश्यक कोटा प्रदान करने के लिए पहले ही भारत सरकार को लिखा जा चुका है और कलेक्टरों से, तहसीलवार और महिनेवार अपनी आवश्यकताएं बतलाने के लिए कह दिया गया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो धन राशि स्वीकृत है उन कार्यों की अकाल सहायता कार्य के साथ चालू किए जाने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

बाड़मेर, जालौर, जैसलमेर, पाली बीकानेर, चूरू, गंगानगर और उदयपुर जिलों

(श्री दामोदरलाल व्यास)

में सस्ते अनाज की दुकानों की संख्या में वृद्धि की जा रही है और कुछ अन्य सस्ते अनाज की दुकानों का कोटा बढ़ाया जा रहा है।

चारे के सम्बन्ध में ८ जिलों से कमी की रिपोर्ट मिली है लेकिन पशुओं का अभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रारम्भ नहीं हुआ है। यद्यपि बाड़मेर, सिरोही, और जैसलमेर जिलों से ऐसे प्रोविजन की शंका है, जिसके लिए सामान्य रीति से आवश्यक प्रबन्ध किये जायेंगे। सम्बन्धित कलेक्टरों ने चारे की अपनी आवश्यकताओं से सूचित कर दिया है। पाली और सिरोही जिलों में वन विभागों के पास विभिन्न पशु चारा संग्रहागारों में १, ०७, ५००० मन घास स्टाक में उपलब्ध है। यह रिपोर्ट मिली है कि कमी वाले क्षेत्रों की मांग पूरी करने के लिए स्वयं राजस्थान में ही लगभग ३, ००,००० मन चारा आसानी से इकट्ठा किया जा सकता है। यदि आवश्यकता हुई तो पंजाब और यू० पी० के समीपस्थ क्षेत्रों से चारा आयात कर लिया जायगा। इस बीच में चारे के उपलब्ध स्टाक की कमी से प्रभावित क्षेत्रों में पहुँचाने के प्रबन्ध किये जा रहे हैं।

जल की अभी तुरन्त कमी नहीं है लेकिन जोधपुर और बीकानेर के कमिश्नरों को अत्याधिक प्रभावित क्षेत्रों में पीने के पानी के लिए प्रबन्ध करने के लिये धनराशि दे दी गई है। पानी की वास्तविक कमी का अनुभव गर्मी के मौसम में होने की संभावना है जिसके लिए रेल द्वारा ले जाये जाने वाले पानी के टैंकों के जरिये पानी प्रदान करने के लिए तथा वर्तमान कुओं की मरम्मत और उनको गहरा करने के लिए आवश्यक प्रबन्ध किये जाऐंगे।

गश्तगिरदावरी के पश्चात् जिला प्राधिकारियों से सिफारिशें प्राप्त होने पर नियमों के अनुसार लगान के स्थगनों और छूटों के सम्बन्ध में अवश्य ही स्वीकृति दी जायगी।

उपसंहार करते हुये मैं सदन को आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में अपने उत्तरदायित्व के प्रति सरकार पूर्णतया जागरुक है और संकट को कम करने के लिए जो कुछ करना संभव है वह किया जा रहा है और किया जायगा।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : अध्यक्ष महोदय, यह सारा विषय सदन के विचारने योग्य है।

श्री अध्यक्ष : आपका स्थगन प्रस्ताव था?

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : हां साहब।

श्री अध्यक्ष : आप ५ मिनिट इस पर बोल सकते हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो अकाल की जो स्थिति पैदा होती है, हम यह मानते हैं कि किसी प्रकार ईश्वर की अकृपा हुई है कि हमारे यहाँ अकाल पड़ा है, पर वास्तव में जब एक योजना के आधार पर चल रहे हैं और प्रथम पंचवर्षीय योजना जिसमें कि सबसे अधिक ध्यान इसी तरफ दिया गया था, ध्यान ही नहीं दिया गया था पर इस बात का ढिंढोरा पीटा गया था कि अनाज के सिलसिले में हम सेल्फ सफिसियेंट हो जायेंगे। हमारे प्रधान मंत्री ने भी कहा था कि हम प्रथम पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने तक अन्न के मामले में सेल्फ सफिशियेन्ट हो जायेंगे।

पर आज गांव में इस प्रकार की अवस्था हो रही है कि जो अनाज के भंडार थे वहां

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

अनाज नहीं मिल रहा है। शहरों में रिलीफ वर्क शुरू किये हैं, सस्ते अनाज की दुकानें खोली हैं पर उनसे किसी प्रकार का रिलीफ नहीं दिखाई दे रहा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जिसे खास तौर से कृषि सम्बन्धी योजना कहा जा सकता है, उसके बावजूद आज इस प्रकार का अकाल पड़ा है, इससे स्पष्ट दिखाई देता है कि यह बिलकुल असफल दिखाई दे रही है।

आज कई स्थानों पर यह अवस्था, सीकर, लक्ष्मणगढ़ आदि जिलों में जा कर देखें, ओले पड़ने से यह स्थिति हो गई है कि मवेशियों के चराने के लिए चारा नहीं मिल रहा है। वहां किस प्रकार से इमीजियेट रिलीफ किस प्रकार का पहुँचाया जायगा! माननीय मंत्री महोदय द्वारा जो वक्तव्य दिया गया उसमें यह बताया गया कि सीकर वगैरह जिलों की लिस्ट नहीं मिली है, उन्हें यह मालूम नहीं कि किन गांवों में मवेशियों के लिये चारा उपलब्ध नहीं हो रहा है। उन गांवों की लिस्ट ही मंत्री महोदय के पास नहीं आई इससे यह जाहिर होता है कि सरकार की ओर से इस विषय में विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैंने सुना है कि इसी प्रकार पिछली बार भी राजस्थान में अकाल पीड़ितों को सहायता देने के लिये एक अकाल पीड़ित समिति बनाई गई थी और अब भी बनाई जावेगी और चूंकि अभी जल बोर्ड का काम समाप्त हो रहा है इसलिये उन्हीं लोगों को लेकर पुनः अकाल समिति बनाई जा रही है। मैं यह आपसे निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की कमेटी से कोई लाभ नहीं होने वाला है। मैं यह निवेदन करूंगा कि सदन में जिस क्षेत्र में अकाल पड़ता है उस क्षेत्र के एम. एल. ए. को भी नहीं पूछा जाता कि किस प्रकार उसको राहत पहुँचाई जानी चाहिये। इस प्रकार से जो वक्तव्य दिया गया है मैं समझता हूं कि किसी प्रकार से मानने योग्य नहीं है, केवल वक्तव्य देने से काम नहीं चलता है। गांवों की क्या स्थिति है, यह उनको मालुम नहीं है। गांवों में भुखमरी की स्थिति कहीं कहीं हो रही है। समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से उन लोगों को तकावी दी जा रही है और वहां के स्थानीय लोगों को साथ लेकर काम क्यों नहीं किया जा रहा है, इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, जो वक्तव्य दिया गया है वह अधूरा है और जो मेजर्स लेने चाहिये उनके लिये वहां के स्थानीय कलेक्टर, जनता के प्रतिनिधि आदि हों उनसे राय लेनी चाहिये और उसके बाद कोई काम किया जाए तो वह ठीक ढंग से हो सकेगा।

श्री अध्यक्ष : (श्री राजस्व मंत्री को संबोधित करते हुए) आप कुछ उत्तर देना चाहेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : और कोई भी बोलना चाहें तो बोल सकते हैं।

(विराम)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो मेरे वक्तव्य पर टीकाटिप्पणी की है उससे मुझे ऐसा लगता है कि या तो वे अपने जिले की स्थिति को सही जानते नहीं या उन्होने सही तरीके से जानने की कोशिश नहीं की। मैं इस में अदब से अर्ज करना चाहता हूँ कि किसी भी जगह ऐसी स्थिति, जैसी कि वे भुखमरी की बतलाते हैं, नहीं है। मैं सरकारी रिपोर्ट पर ही नहीं बल्कि खुद अपनी निजी जानकारी पर कह सकता हूं कि न तो कहीं भुखमरी की

Page No.35

(श्री दामोदरलाल व्यास)

हालत है और न कहीं मवेशी मर रहे हैं। अलबत्ता उनका यह कहना कि गांवों की फेहरिस्त नहीं दे सका, इसके लिये मैंने पहले ही कहा कि गश्त गिरदावरी अभी हो रही है और जब तक गश्त गिरदावरी पूरी नहीं हो तब तक गांवों के नाम बताना सम्भव नहीं क्योंकि वह तभी पता लग सकता है जब गश्त गिरदावरी हो। मैंने सीकर तहसील के गांवों के नाम बताये हैं। इसके अलावा मैंने शुरू में ही कह दिया कि कितना नुकसान कहां कहां किस किस गांव में हुआ यह गश्त गिरदावरी होने के बाद ही मालूम होगा। मैंने यह भी कहा है कि जहां पर ओले गिरे वहां पर काफी नुकसान हुआ है और उनको तकावी के रूप में रकम जितनी आवश्यक थी दी गई है। इसके अलावा ८०-८५ गांवों में टेस्ट रिलीफ वर्क भी खोले जा रहे हैं और जो लोग वहां पर आवेंगे उनको काम दिया जायगा। सेकिण्ड फाइव इयर प्लान में जो सड़क बनने वाली है वह काम भी चालू कर दिया गया है। फिर मैं नहीं समझता कि आप क्या राहत पहुँचाना चाहते हैं? इसके अलावा कोई भी सज्जन इस राहत दिलाने के कार्य में सुझाव देंगे मैं खुशी से उनका स्वागत करूंगा और वाजिब बात होगी उसको मानने के लिये तैयार रहूँगा। बगैर किसी संकोच के कोई भी व्यक्ति अपना सुझाव दे सकता है।

एक माननीय सदस्य : इन्होंने भी तो सुझाव ही दिया है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : कमेटी बनाई जावे तो उसमें एम. एल. ए. को तो लिया जाए।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप जिस समय भी चाहें सुझाव दे सकते हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : आपने, विधान सभा के सदस्य हैं उनको भी नहीं लिया है, क्या उनको भी नहीं लिया जाएगा?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): अवश्य सेवाभावी व्यक्तियों को इसमें लिया जावेगा।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा तहसील में भी ओले गिरे थे मगर माननीय मन्त्री महोदय ने उनका नाम तक नहीं लिया।

श्री दामोदरलाल व्यास : नाथद्वारा में ८ गावों में ओले पड़े, मैं कहना भूल गया।

प्रवर समिति के प्रतिवेदन उपस्थापन के लिए समय की वृद्धि.

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पुलिस विधेयक, १९५७ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के हेतु नियत समय को ११ नवम्बर, १९५७ तक बढ़ाया जावे।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि समय बढ़ाया जावे।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री रामकिशोर व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं पुलिस विधेयक १९५७ पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थित करता हूं।

जनलेखा समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन,

श्री हरिदेव जोशी : माननीय अध्यक्ष, मैं नियोजन लेखा १६५३–५४ (एप्रोप्रियेशन एकाउन्ट्स १६५३–५४) पर जनलेखा समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ।

१२. ३ म० प०

फ्रेजर पुल पथ–कर वैधकरण विधेयक, १६५७

(पुरः स्थापन)

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय अध्यक्ष, मैं फ्रेजर पुल पथ–कर वैधकरण विधेयक, १६५७ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(विराम)

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ

१२. ६ म० प०

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विधेयक, १६५७

(अग्रेतर खण्डशःविचार-विमर्श)

श्री अध्यक्ष : राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विधेयक, १६५७ के क्लॉज़ ४ पर वाद–विवाद चल रहा था। चार माननीय सदस्यों ने संशोधन रखे हैं. उन पर कोई बोलना चाहे तो बोल सकते हैं।

श्री पुरुषोत्तमलाल (किशनगढ़) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ४ में माननीय पी. के. चौधरी ने जो संशोधन पेश किया है उसके पक्ष में मैं हूँ और बाकी के जितने भी संशोधन हैं उनका मैं विरोध करता हूं। हमारे देश में स्त्री शिक्षा की कमी है और जो भी बोर्ड बनाया जावे उसमें स्त्री शिक्षा विशेषज्ञ को रिप्रेज़ेन्टेशन देना जरूरी हो जाता है किन्तु इस बोर्ड में कोई भी स्त्री शिक्षा विशेषज्ञ को कहीं भी रिप्रेज़ेन्टेशन नहीं दिया गया है।

उप शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई): माननीय सदस्य की जानकारी के लिये मैं कह देना चाहता हूं कि दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : आप बतला दें कि किस क्लॉज में यह है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : They are three in number. Out of twentysix three shall be women members and regarding others it will be open for the Board to take women members as many as it likes.

श्री पुरुषोत्तमलाल : वह तो आपने दिया है लेकिन एक्स ओफिसियो में नहीं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : एक्स ओफिसियो और उनके कर्तव्यों में कोई फर्क नहीं होगा।

श्री पुरुषोत्तमलाल : एक्स ओफसियो कोई कर्मचारी नहीं है जो उसमें जरूरी हो और अपना योग दें।

श्री अध्यक्ष : आप अपना भाषण जारी रखिये।

श्री पुरुषोत्तमलाल (किशनगढ़) : बाकी जितने भी संशोधन पेश हुए हैं मैं उनका विरोध करता हूं। जैसा कि बताया गया है कि इसका चेअरमैन कोई वैतनिक शिक्षा शास्त्री रखा जावे और डाइरेक्टर को हटा दिया जाए और इसका कारण यह बताया गया कि डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन शिक्षा विशेषज्ञ नहीं होते और केवल आई. ए. एस. और आई. सी. एस होते हैं और उनको समय नहीं मिलता। लेकिन मैं यह प्रार्थना करूंगा कि अगर डाइरेक्टर आफ एजुकेशन इसके अध्यक्ष नहीं होंगे तो इसमें बहुत डिफिकल्टी पैदा हो जावेगी। यदि चेअरमैन दूसरा होगा और डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन अलग होगा तो आपस में अगर किसी बात पर विरोधाभाव चला तो काम चलना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा क्योंकि शिक्षक कर्मचारी तो डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन अन्डर में काम करेंगे और वह यह नीति निर्धारित करेगा। इसके अलावा आप एक तरफ यह कहते हैं कि प्रशासन खर्च कम हो और दूसरी ओर एक वैतनिक व्यक्ति को रख रहे हैं, इससे खर्चा किस प्रकार कम हो सकेगा ? यह हो सकता है कि आज डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन कोई शिक्षा विशेषज्ञ नहीं है, इसके लिये सरकार को चाहिये कि शिक्षा विशेषज्ञ को डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन मुकर्रर करे, जिससे इस कार्य की पूर्ति हो सके। यह कहना कि इस समय कोई शिक्षा विशेषज्ञ डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन नहीं हैं इसलिये वैतनिक चैअरमेन रख दिया जावे, क्योंकि हम एक बोर्ड बनाने जा रहे हैं। आगे हमें कठिनाईयों का जो सामना करना है उसको हमें सोचना है और यह इसीलिये रखा गया है कि एक दूसरे की विरोधी भावना नहीं हो, काम सुचारू रूप से चलता रहे और प्रशासनिक खर्चा भी न बढे। इसलिये डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन ही रहें तो उचित होगा। इसलिये मैं इस संशोधन को उचित नहीं समझता।

दूसरा संशोधन यह आया है कि सीनेट से चुनाव नहीं कराये जाने चाहिए। मैं इस बात का समर्थक हूं कि सीनेट से ही चुनाव कराये जाने चाहिए और यह आवश्यक भी है क्योंकि ये विशेषज्ञ होते हैं। इसलिए यह जो संशोधन लाया गया है बिलकुल ही गलत है और इसको मन्जूर नहीं किया जाना चाहिए।

तीसरा संशोधन यह आया है कि इस हाउस में से तीन सदस्यों को लिये जाने का प्रावीजन रखा जाना चाहिए और इसमें यह बताया कि सिलेक्ट कमेटी ने भी इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है। तो मैं, अध्यक्ष महोदय, प्रार्थना करूंगा कि हाउस के द्वारा मनोनीत किये जाने की हम यह एक ऐसी परिपाटी डाल रहे हैं कि जिससे एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट अभी राजनीति से अलग है, दलगत राजनीति के आ जाने की आशंका है। हम इस देश की प्रगति के लिए जिस बोर्ड को बनाने जा रहे हैं उसमें हम चाहते हैं कि किसी प्रकार की कोई राजनीति घर न कर जाये। राजनीति के व्यक्ति जो हाउस में बैठकर दलगत राजनीति चलाते हैं अगर वहां पर भी अड़ंगा डालेंगे तो बहुत कठिन हो जावेगा। यह एजुकेशन डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको सभी वर्गों की उन्नति का डिपार्टमेंट माना जा सकता है। साथ ही बताया गया कि जो तीन सदस्य वहां बोर्ड में भेजे जायें उनमें से एक स्त्रियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, एक गांव का प्रतिनिधित्व करने के लिए और एक शहरों का प्रतिनिधित्व करने के लिए होना

(श्री पुरुषोत्तमलाल)

चाहिए। तो हमें वहां जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करवाना है। यह बोर्ड कोई गांव की जनता का नहीं है। यह तो शिक्षा का बोर्ड है। ऐसी अवस्था में, मैं हाउस से कोई भी सदस्य मनोनीत करना उपयुक्त नहीं समझता। फिर साथ ही यहां भी यह सोचा जायेगा कि यहां हाउस से चुन कर किन किन को भेजा जायेगा, तो यह मामला भी कठिन हो जायगा। क्योंकि यहां भी कई पार्टियां हैं और फिर वही आलोचना होगी कि अपने ही पक्ष वालों को भेज दिया। इसलिए यह संशोधन मन्जूर नहीं किया जाना चाहिए।

एक मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो क्लॉज 'ए' 'ए' बढ़ाने के लिए कहा है चेयरमैन शब्द रखे जाने के लिए यह उपयुक्त नहीं है। यह शब्द तो जहां एक्स ओफिशियो ही हैं तो मैं कहता हूँ कि बाहरी व्यक्ति चेयरमैन एक्स-ओफिशियो नहीं हो सकता। एक्स-ओफिशियो कौन कौन होंगे इस बावजूद क्लॉज है इसलिए यह जो संशोधन है यह यहां मानने योग्य नहीं है।

एक संशोधन यह भी लाया गया कि 'ओ' क्लॉज जो है वह ओमिट कर दिया जाय। मैं इसके लिए कहूंगा कि यह क्लॉज ओमिट किये जाने के योग्य नहीं है। जब हम कानून बनाने जाते हैं तो हमें आगे आने वाली सभी कठिनाइयों का सामने करने के लिए सोचना होगा कि न मालूम किस समय आगे क्या परिस्थिति सरकार के सामने हो। सरकार की शिक्षा संस्था या रिप्रेज़ेन्टेशन इसमें देना जरूरी समझे और जिनका कि रिप्रेज़ेन्टेशन नहीं आया है। अगर ऐसी मांग आये तो इस एक्ट में ऐसा क्लॉज होना चाहिए जिससे कि सरकार सुलभता से मनोनीत कर सके। इसलिए यह क्लॉज 'ओ' रखा गया है कि सरकार समय-समय पर उपयुक्त समझे उसी को रिप्रेज़ेन्टेशन दे। इसलिए यह नहीं सोचा जा सकता कि सरकार ऐसे-वैसे व्यक्ति को मनोनीत कर देगी। सरकार आज कांग्रेस की है और कल दूसरी पार्टी की भी हो सकती है। इसलिए कानून में सभी चीज का समावेश होना चाहिए ताकि कानून सभी के लिए ठीक तरह से बने। इसीलिए क्लॉज 'ओ' रखा है, यह जरूरी है और यह रहना चाहिए।

माननीय सदस्य श्री श्रीमानसिंह जी की तरफ से यह कहा गया है कि हमारे यहां पर अध्यापकों की तनख्वाहें कम हैं। मैं यह प्रार्थना करूंगा कि यह बोर्ड कोई वेतन स्तर को या वेतन के नियम बनाने के लिए नहीं बनाया जा रहा है जिससे कि टीचर्स एसोसियेशन के एक सदस्य के बजाय दो रख दिये जायें। यहां तो यह तय किया जायगा कि कि शिक्षा को किस तरह से कार्यान्वित किया जाय और उसके किस किस प्रकार के नियम होंगे? तो जब ऐसी बात है तो ऐसी अवस्था में इस बोर्ड में शिक्षा विशेषज्ञ और सभी विचार के लोग आचुके हैं, ऐसी हालत में टीचर्स एसोसियेशन के एक के बजाय दो रखना, मैं उपयुक्त नहीं समझता। बोर्ड न तो कोई वेतन सम्बन्धी झगड़े ही तय करेगा और न कोई नौकरी आदि के सम्बन्ध में ही बातें तय करेगा। यहां तो यह तय किया जायगा कि सेकेन्ड्री एजुकेशन को किस तरह से चलायें और किस तरह परीक्षा आदि लें? तो ऐसी अवस्था में यह जो संशोधन है यह बिलकुल ही गलत हो जायेगा और एक ही सदस्य इस बोर्ड के लिए मुकर्रर हुआ है, यही होना चाहिए।

मैं आशा करता हूं कि सिवाय एक के सभी संशोधन इसमें मानने योग्य नहीं हैं।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन इस बिल में आया है कि हायर सेकन्डरी बोर्ड का अध्यक्ष शिक्षा विभाग का डाइरेक्टर न हो कर अनुभवी शिक्षा-शास्त्री हो, मैं इसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह कहना चाहता हूँ कि जब यह सवाल प्रवर समिति के सामने आया तो इसमें मेरा व्यक्तिगत मतभेद था कि इस बोर्ड का अध्यक्ष शिक्षा विभाग का डाइरेक्टर हो। सभी दृष्टिकोणों से अध्यक्ष महोदय, मुझे शिक्षा विभाग के डाइरेक्टर को इस बोर्ड का अध्यक्ष बनाने का जो प्रस्ताव है वह नहीं जचता है। आज माध्यमिक शिक्षा का जो प्रश्न है, वह केवल इतना ही प्रश्न नहीं है कि हम एक बोर्ड बना दें और बोर्ड इम्तिहान ले ले और कुछ कानून आदि बना दे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज उच्च माध्यमिक शिक्षा का सारा सवाल है देश की समूची शिक्षा प्रणाली को बदलने का। आज देश में काफी अर्से से यह सेकन्डरी एजुकेशन के सवाल को लेकर काफी बड़ी बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं और नये ढांचे के स्कूल हमारे देश में कायम किये जा रहे हैं। हम इस सारी कार्यवाही को इस रूप में देखते हैं कि इधर प्राथमिक शिक्षा में परिवर्तन अवश्यम्भावी हो गया और उधर उच्च शिक्षा में परिवर्तन की बात होने लग गई। खास बात तो यह है कि माध्यमिक शिक्षा का प्रबन्ध और नियोजन एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया है कि अगर उसमें सावधानी से नहीं संभले तो आगे जाकर इस ढर्रे को बदलना मुश्किल हो जायेगा।

शिक्षा विभाग के डाइरेक्टर को इस प्रस्तावित बोर्ड का चेयरमैन बनाने का प्रस्ताव दो कारणों से रखा गया है। एक तो हायर सेकेन्डरी एजुकेशन कमीशन की रिपोर्ट में इस बात की सिफारिश की गई है कि बोर्ड का अध्यक्ष शिक्षा विभाग के डाइरेक्टर को ही बनाया जाय और कुछ राज्यों ने इस प्रकार का बोर्ड बनाते समय डाइरेक्टर को ही चेयरमैन बनाया है। मैं समझता हूं कि जो हायर सेकेन्डरी एज्युकेशन की कमेटी ने सिफारिश की है वह हमारे लिए अनिवार्य नहीं है कि हम उसको मानें ही। उनकी एक सिफारिश है, अध्यक्ष महोदय, यदि मुझे इजाजत दी जाये तो मैं सदन को सूचना देना चाहूँगा कि इस संबंध में मैंने भारत सरकार के शिक्षा मंत्री से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की है और उनसे बातचीत करने के बाद में, मैंने इस बात का इत्मीनान कर लिया कि यह कमेटी की सिफारिश है और वह सिफारिश होने के कारण ही अगर हम इसको नहीं मानें तो कोई अनुचित बात नहीं है। मैं यह नहीं समझ पाता कि चूंकि दूसरे राज्यों ने बोर्ड का चेयरमैन डाइरेक्टर आफ एजुकेशन को बनाया है इसलिए हम भी उसी को बनायें, यह कोई आवश्यक नहीं है। यह केवल सिफारिश ही तो है। यह पुरानी जीर्ण परम्परा है जिसको आज हम चालू रखना चाहते हैं। आज शिक्षा विभाग में इतना काम हो गया है कि डाइरेक्टर आफ एजुकेशन शिक्षा विभाग के काम को नहीं संभाल पाता है। ऐसी अवस्था में एक परिवर्तन शील शिक्षण क्षेत्र में हम जहां विकास करना चाहते हैं वहां शिक्षा विभाग के डाइरेक्टर को अध्यक्ष बना देते हैं, तो मेरा ऐसा मत है कि हम केवल माध्यमिक शिक्षण बोर्ड बनाकर ही सन्तोष करना चाहते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मतलब यह है कि समूचे शिक्षा के क्षेत्र में हम इस प्रकार का परिवर्तन करना

(श्री जनार्दनराय नागर)

चाहते है, इस प्रकार से प्रगति लाना चाहते हैं जिससे निश्चित रूप से हमारे राजस्थान में हम प्रगतिशील शिक्षण कायम कर सकें । इसलिये यह आवश्यक है कि इस बोर्ड का अध्यक्ष अनुभवी शिक्षा शास्त्री होना चाहिये जो पूरे समय के लिये इस पद पर काम कर सके और बोर्ड की नीति और इसकी गतिविधि को विकसित करने में पूरा समय दे सके । इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम हायर सेकेन्डरी स्कूल खोलने लगे हैं, हमारी तमन्ना यह बनी हुई है कि हम इस शिक्षण को आगे बढ़ाते हुए विश्वविद्यालय के शिक्षण में भी परिवर्तन ला सकें । हमारी आज की समस्या, हमारी आज की चिन्ता है वह यह है कि प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाते हुए शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति और क्रान्तिकारी परिवर्तन ला सकें । अगर शिक्षा विभाग के अध्यक्ष को इस बोर्ड का चेयरमेन बना देते हैं तो मेरा यह मानना है कि हम एक ढर्रे को चलायेंगे जहां इसके अन्दर गति आनी चाहिये, जो स्वायत्त और प्रगतिशील नीति आनी चाहिये वह नहीं ला पायेंगे । जब हम पहले तीन वर्षों के लिये वाइस-चान्सलर को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता कि तीन साल के बाद में नयी परिस्थितियां ऐसी कौनसी पैदा हो जायेंगी, ऐसी कौनसी असमीचीनता सरकार के सामने आजायगी कि जिसकी वजह से वाइस-चान्सलर की जगह शिक्षा विभाग के अध्यक्ष को चेयरमेन बनायेंगे । उसूलन यह बात एक प्रकार से महत्व रखती है, दूसरा चेयरमेन हो नहीं सकता । मैं अध्यक्ष महोदय, नम्रता के साथ सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि प्रारम्भ में वे वाइस-चान्सलर को किस उसूल से चेयरमेन बनाना चाहती है । इसका खास मकसद यह है कि वाइस-चान्सलर एक ऐसा व्यक्ति है जो शिक्षा के क्षेत्र में अनुभवी होता है और राजस्थान की गैर सरकारी शिक्षण व्यवस्था में सर्वोच्च पदाधिकारी और विद्वान है इसी कारण हम प्रारम्भ में उसे तीन वर्ष तक बोर्ड का चेयरमेन बनाना चाहते हैं और तीन वर्ष के बाद में तो बोर्ड का कुछ विकास भी हो जायगा, कुछ वास्तविकता भी इसमें आजायगी, तो फिर तीन वर्षों के बाद में ऐसी कौन सी स्थिति हो जायगी जिससे गैर सरकारी शिक्षा शास्त्री को बदल कर शिक्षा विभाग के अध्यक्ष को चेयरमेन आप बनाना चाहते हैं ? प्रारम्भ में जहां सरकार अच्छे सिद्धान्त को लेकर चलना चाहती है वैसी स्थिति में, मैं अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जिस सिद्धान्त को हम प्रारम्भ में मान कर चलते हैं, जो एक प्रगतिशील और सही चीज है उसी नीति को सरकार इस कानून का अंग बना दे ।

गैर सरकारी शिक्षा शास्त्री बोर्ड का अध्यक्ष बना देने से हमें कई लाभ होंगे । हमारे बोर्ड का केवल यही कार्य नहीं है कि वह परीक्षाएँ ले या पाठ्य पुस्तकों की रचना करे । हमारे इस बोर्ड का मुख्य ध्येय यह है कि नवजवान जो हमारी पौध है उसका मस्तिष्क, हृदय और उसकी मनोवृति को समझे और उसके स्वरूप को बदल सके । बोर्ड इस बात को भी देखे कि आज शिक्षा के क्षेत्र में जो विविध परिवर्तन हो रहे हैं, उसमें से अधिकाधिक प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की ओर किये जा रहे हैं और इस कार्य के लिये भारत सरकार भी तमाम राज्यों को काफी आर्थिक सहायता भी दे रही है । मुझे इस बात की खुशी है और गर्व है कि राजस्थान सरकार ने, आज से दो वर्ष पहले

Page No.41

(श्री जनार्दनराय नागर)

माध्यमिक शिक्षा के लिये जो भारत सरकार ने कमेटी स्थापित की थी, उसकी जो सिफारिशें थीं उसमें से अधिकांश को मन्जूर कर लिया है। इसलिये मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि जहां सरकार ने सिफारिशों को मन्जूर कर लिया है और उसी के अनुसार विश्व विद्यालय में तीन वर्ष का डिग्री कोर्स लाने का उपक्रम भी हो रहा है। हायर सेकेन्डरी स्कूल्स भी स्थापित कर दिये गये हैं, उसके लिये हम स्वायत्त बोर्ड भी बना रहे हैं ताकि हम इस शिक्षण को गति दे सकें, नये नये सुधार शिक्षा के क्षेत्र में कर सकें, उसके अन्दर गति उत्पन्न कर सकें। इसलिये यह आवश्यक है कि बोर्ड का अध्यक्ष पद गैर सरकारी शिक्षा शास्त्री को देना चाहिये। अगर सरकार यह चाहती है कि जिस प्रकार शिक्षा विभाग का इन्तजाम जिस ढचरे पर आजतक चला आ रहा है उसी पर चलता रहे और शिक्षा विभाग के अध्यक्ष को इस बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जाय, तो मैं इस पर अपनी सहमति नहीं दे सकता। हम तो आज इस चिन्ता में हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो चालू ढचरा चला आ रहा है उसको बन्द कैसे करें? हमारे सामने महत्वपूर्ण शिक्षा के सवालात मौजूद हैं अगर हम उसी ढचरे पर चलते रहे तो मैं समझता हूं हमारी प्रगति इस क्षेत्र में एक तरह से रुक जायगी। जहां हम इस बोर्ड में शिक्षा विभाग के अध्यक्ष को रख देते हैं तो एक तो उसके पास समय नहीं रहेगा जिससे वह पूरा योग इसमें दे सके। इस सम्बन्ध में यह भी सरकार द्वारा कहा जा सकता है कि औद्योगिक शिक्षण के लिये हम अलग डाइरेक्टर का पद कायम कर रहे हैं। हमारे पास उप-संचालक शिक्षा विभाग के पद भी हैं, इसलिये शिक्षा विभाग के डायरेक्टर इस काम के लिये ज्यादा समय दे पायेंगे; लेकिन वास्तविकता यह है कि उन्हें इस कार्य के लिये समय नहीं मिलेगा। इसीलिये यह जरूरी है कि इस पद पर गैर सरकारी अनुभवी शिक्षा शास्त्री को रखा जाय, उसको रखने से यह होगा कि माध्यमिक शिक्षण के लिये जो कमेटी भारत सरकार ने बनायी है उसकी सिफारिशों में जो स्पिरिट है उसी के अनुकूल कार्य भी करवा सकेंगे। अभी हमारी सरकार ने पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण किया। राष्ट्रीयकरण की हुई पुस्तकों को देखने का मुझे भी अवसर मिला, मैं निसन्देह यह कह सकता हूँ इसके लिये जो बोर्ड बनाया गया उसने जो किताबें बनायी हैं, वे पाठ्य पुस्तकें अच्छी बनी हैं। इसी प्रकार हमें इस ओर भी ध्यान देना चाहिये इस बोर्ड का अध्यक्ष गैर सरकारी शिक्षा शास्त्री होगा तो निश्चित रूप से माध्यमिक शिक्षण में जो जो हम प्रगति देना चाहते हैं, वह सही रूप में दे पायेंगे। वैसे भी हम देखें तो हमें पता चलेगा कि इस बोर्ड के अन्दर सरकारी सदस्यों का बहुमत है। इसलिये मैं यह उचित समझता हूँ गैर सरकारी चेयरमेन का होना अत्यंत आवश्यक है। बोर्ड में जो पच्चीस सदस्य हमने रखे हैं उसको देखते हैं तो पन्द्रह-सोलह तो केवल सरकारी सदस्य ही हैं। हालांकि वे बड़े बड़े कॉलेजेज़ के अध्यक्ष हैं, अनुभवी लोग हैं, लेकिन सही बात यह है कि इस बोर्ड में सरकारी सदस्यों का ही बहुमत है और उस पर भी हम इस बोर्ड के अध्यक्ष पद पर शिक्षा विभाग के अध्यक्ष को रख देते हैं, तो जहां हम इस बोर्ड को स्वायत्त, स्वाधीन बनाना चाहते हैं वह नहीं हो पायगा। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि इस बोर्ड के अध्यक्ष पद पर गैर सरकारी और अनुभवी शिक्षा शास्त्री को बैठाया जाय।

(श्री जनार्दनराय नागर)

मेरा ऐसा मत है कि जहां सरकारी अधिकारियों का बहुमत हो जाता है चाहे उसमें कितने ही शिक्षा विशारद क्यों न हों, उनका दृष्टिकोण सही नहीं होता, वे एक ही दृष्टिकोण से सोचते हैं और वह दृष्टिकोण होता है सरकारी, इसलिये मैं यह कहना चाहाता हूं कि सरकार के अधिकारी अनुभवी होते हुए भी सरकार का डर उनके मस्तिष्क में ऐसा बना रहता है कि प्रगति की दृष्टि से सोचना उनके लिये नामुमकिन हो जाता है। वे एक प्रगति को, एक सुधार को, एक अन्वेषण को चाहते हुए भी नहीं कर पाते। इसके अतिरिक्त जहां इस बोर्ड में सरकारी सदस्यों का बहुमत है, वहां हम अध्यक्ष पद पर डाइरेक्टर को रख देते हैं, तो एक अन्तरंग स्थिति पैदा होजायगी, वह यह कि बोर्ड जो कुछ भी प्रगति, संयोजनायें लाना चाहेगा, या तो वे आ ही नहीं पायेंगी और अगर आयेंगी भी तो वह देरी से आयेंगी। कुल मिलाकर माध्यमिक शिक्षा की प्रगति की दृष्टि से राजस्थान सरकार जो कर रही है, उससे राजस्थान की जो पौध है, नवजवान पीढ़ी है, उनके मस्तिष्क और उनकी आत्मा की ज्योति में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाना चाहती है। तो मेरा ऐसा मत है कि राजस्थान सरकार को चाहिये कि इस पद पर गैर सरकारी शिक्षा शास्त्री की नियुक्ति करे। डाइरेक्टर को इस बोर्ड का अध्यक्ष बनाकर आप सरकार की एक मति को, एक पद को, कुर्सी को अध्यक्ष बना रहे हैं, दूसरी तरफ गैर सरकारी शिक्षा शास्त्री को अध्यक्ष बना देते हैं तो आप नयी प्रवृति, नयी दृष्टि, नये चरण, नयी उम्मीदें और नयी उमंगों को अध्यक्ष बना रहे हैं। आज मुख्य सवाल जो हमारे सामने है, वह शिक्षा के क्षेत्र में क्रान्ति लाने का है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस सुधार का हामी हूं परन्तु केवल इसी बात से मुझे सन्तोष नहीं है, मैं यह चाहता हूं कि हमारी नव पौध में उनकी आत्मा के अन्दर, एक ज्योति पैदा हो और यह तभी हो सकता है कि जब हमारी हिन्दुस्तान की शिक्षा नीति में स्थिति स्थापित्य का मिलाप होगा। भारत सरकार की इस संबन्धी जो नीति है, उससे व्यक्तिगत रूप से मुझे सन्तोष नहीं है, हालांकि इस संबन्ध में सरकार का सुधारवादी दृष्टिकोण है। फिर भी यह पूरी तरह से हल नहीं किया जा रहा है, इसमें राजस्थान सरकार ज्यादा आतुरता बरत रही है यह निस्सन्देह प्रशंसनीय है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार बोर्ड के जरिये करवाना चाहती है। यह बोर्ड केवल परीक्षायें ले, यह बात नहीं। हम तो मेज और कुर्सी के स्कूलों को बदलना चाहते हैं। पाठ्य पुस्तकों के आधार पर जो पढ़ाई चलती है, उसको बदलना चाहते हैं; तो निस्सन्देह हमको गैर सरकारी शिक्षा शास्त्री को इस बोर्ड का नेतृत्व देना चाहिये। यह नेतृत्व देने के बाद में सरकार से मतभेद होते हुए भी हम निश्चिन्त होंगे, ऐसे बोर्ड में नेतृत्व के बिना काम नहीं चल सकता। आज भारतीय जनतन्त्र के प्रयोग काल में साहसिक नेतृत्व की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आप इसको बोर्ड का अध्यक्ष बनाकर, बोर्ड को उसके भरोसे छोड़ देंगे तो बोर्ड की मीटिंगों में भी कभी वहां जा पावेंगे और कभी नहीं जा पावेंगे, उनके अपने स्वयं के अधिक काम में उलझे होने की वजह से। नेतृत्व को पैदा करने की सरकार की भावना है। पर इसके लिये यह कहा जावे कि ऐसा हम चाहते हुए भी नहीं कर सकते, इसलिये कि सेकन्डरी एजुकेशन कमीशन की यह सिफारिश है। इसके लिये मेरा निवेदन है अध्यक्ष. महोदय, कि ऐसी

Page No.43

(श्री जनार्दनराय नागर)

बात भी नहीं है। मैंने भारतीय राज्य के शिक्षामन्त्री से बात की है और मुझे व्यक्तिगत रूप से उनकी क्या राय है, यह बताने में तनिक भी संकोच नहीं है कि कमीशन की सिफारिश से आप अगर इस माने में थोड़ा इधर जाकर कुछ कर लेते हैं तो इसका मतलब कमेटी की सिफारिश से कोई मतभेद हो, ऐसा नहीं है। यदि, थोड़ी देर के लिये आप मान लें, मतभेद भी हो, तो भी मैं कहता हूं अध्यक्ष महोदय, मान लीजिये हमारा मतभेद है इस पर, कमेटी ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उससे हमारा मतभेद है, इस मामले में इसको मन्जूर करके चलना चाहिये इस केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित कमेटी की एक राय है, इसलिये इसको आंख मूंद कर और अपने हित में न होते हुए भी मान लें, यह ठीक नहीं है।

शिक्षा के संयोजन में, इसके विकास में हमारा राज्य स्वायत्त है। यह हमारा विषय है, इसलिये यदि हम किसी मामले में अपने हिताहित को देखकर केन्द्रीय कमेटी की सिफारिश से अलग पड़ते हैं और समग्र शिक्षण को, इसके प्रश्न को, लेकर, इसकी अन्तरंग गतिविधि को संयोजन करने की दृष्टि से मतभेद रखते हैं तो हमें इसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये। हमें एक सबल नेतृत्व पैदा करना चाहिये और एक नया पथ, नया प्रकाश पैदा करने के लिये एक अनुभवी शिक्षा शास्त्री को अगर हम स्थान देते हैं, तो हम उनसे एक कदम आगे होंगे, एक नहीं पन्द्रह, बीस, पचास बल्कि ५१ कदम आगे होंगे! यह कहा जाए कि अन्य स्टेटों ने भी तो इसको माना है पर यह कोई तर्क नहीं है। क्योंकि वे करते हैं इसलिये नह हम भी करें, तो यह तर्क नहीं हुई। यह आध्यात्म ट्रेन्ड जरूर है, पर कोई विज्ञान नहीं है। आज की आवश्यकता का तकाजा यह है कि हम इस बोर्ड का नेतृत्व एक अनुभवी, क्रान्तदर्शी, साहसी, शिक्षा शास्त्री के हाथों में दें जो विवेक से, साहस से, ओज के साथ उमंग के साथ, प्रेमपूर्वक इस बोर्ड का नेतृत्व कर सके।

प्रवर समिति ने जो रिपोर्ट रक्खी है उसको हम यह मानकर न चलें कि यह बोर्ड केवल परीक्षा ही नहीं लेगा, पर माध्यमिक शिक्षा के सूची क्रम में सेमीनार करेगा, शिविर करेगा, यह करेगा, वह करेगा, माध्यमिक शिक्षण को अधिक से अधिक विकसित करने का काम करेगा। यदि यह केवल परीक्षा के लिये ही बनाया जाता तब तो ऐसे कई बोर्ड देश में बनाये हुए हैं। पर यह हमें देखना है कि यह बोर्ड ऐसा हो जो भविष्य की हमारी पीढ़ी की आवश्यकता को देख सके। उसके भविष्य के विकास को सोच सके और साहस के साथ उसको क्रियात्मक रूप देने के लिये आगे बढ़ने का संकल्प करे। यह हम चाहते हैं और इसके लिये निःसन्देह इस बोर्ड का नेतृत्व हमें एक साहसी शिक्षा शास्त्री के नेतृत्व में देना पड़ेगा, न कि डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन के हाथों में।

सरकार की तरफ से यह दलील दी जा सकती है कि हम स्वयं डाइरेक्टर ही ऐसा बनावेंगे जो अनुभवी शिक्षा शास्त्री होगा। सरकार की इस भावना की पूरी इज्जत करते हुए में कहना चाहता हूं कि यह न आज तक मुमकिन हो सका है और न भविष्य में भी शायद हो सकेगा। यह तो एक सरकारी ढच्चर है जो अजीब किस्म से चलता है, सोचता है, उठता है और बैठता है। तो सरकार की व्यवस्था मैं जानता हूं, आप सभी जानते हैं,

Page No.44

(श्री जनार्दनराय नागर)

उसकी मजबूरीयां भी जानते हैं और दुःख भी जानते हैं। फिर भी सरकार के इस दिशा में प्रयत्नों के अन्दर विश्वास रखते हुए मैं सरकार के सामने एक बात विनम्रता पूर्वक रखना चाहता हूं कि किसी अच्छे शिक्षा शास्त्री को आप डाइरेक्टर बनादें और इसके साथ इसका चेयरमेन भी बनाये रक्खें तो यह भी सम्भव नहीं, उसके लिये कि वह अपने डाइरेक्टर के काम के साथ साथ इस दशा में उमंग के साथ काम कर सके। उमंग और स्फूर्ति के साथ जो प्रेरणा-दायक प्रगति इस दशा में चाहिये, वह डाइ-रेक्टर में नहीं आ सकेगी वह, उस आसान पर बैठ कर उसी में दब जावेगा। इसलिये मैं बहुत ही वेदना के साथ कहना चाहता हूँ कि अगर हम शिक्षा की दिशा में सही प्रगति करना चाहते हैं तो हमें स्वतन्त्रता पूर्वक सोचना चाहिये, केन्द्रीय सरकार ने सिफारिश करदी है या बम्बई या यू. पी. ने एक बात की है, इसलिये राजस्थान वाले भी उसी को करें तो बम्बई दिल्ली की बात मैं नहीं जानता, मैं तो राजस्थान की बात जानता हूँ और दावे के साथ कह सकता हूँ कि शिक्षा के अभिनव प्रयोग में राजस्थान को किसी से कुछ पूछना नहीं है। शिक्षा के अभिनव प्रयोग की दिशा में आज भी राजस्थान किसी से पीछे नहीं है, आगे ही है। बल्कि सही बात तो यह है कि जो प्रगतिशील शिक्षण के विविध प्रयोग यहां हो रहे हैं, उनको मैंने ध्यान से और बहुत समीप से देखा है और इसलिये विश्वास के साथ मैं कहना चाहता हूं, अभिनव शिक्षण के प्रयोगों को साकार करने की दिशा में, अपने नये सपनों को साकार करने में, अपने परम लक्ष्य की दिशा में उद्योग करने में राजस्थान अन्य बहुत से प्रगतिशील राज्यों के समक्ष है। आज हमारा यह कर्तव्य है कि केन्द्रीय समिति ने पुराने ढर्रे की जो सिफारिश की है, हम आज के इन शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव प्रयोगों की दिशा में, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के प्रयत्नों में उस पुराने ढर्रे की सिफारिश को तोड़ें। अगर इस दिशा में आप केन्द्र के रौब में आकर गलत निर्णय कर बेठेंगे, तो जो चीज आज हम बनाने के सपने ले रहे हैं वह ठिठक जावेगी। अगर हम ऐसा ही अध्यक्ष बनावेंगे तो ढर्रा जरूर चलता रहेगा, उसी पुराने ढर्रे से लोग पढ़ेंगे, पर वह गति नहीं आवेगी, वह स्पिरिट, वह उमंग नहीं आवेगी जो किसी स्वतन्त्र स्वायत्त शिक्षण शास्त्री की अध्यक्षता के जरिये हमें प्राप्त हो सकती है।

श्री सतीशचन्द्र : My amendments to clause 4 have been circulated here.

Shall I be permitted to move them ?

श्री अध्यक्ष : They reached us very late.

श्री सतीशचन्द्र : They have been circulated and so I may be permitted to move them because day-before--yesterday when Shri Narain Singh wanted to move, he was allowed to do so in the House.

श्री अध्यक्ष : It may not be allowed as a routine.

श्री सतीशचन्द्र : As a special case, sir.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप शिक्षा मंत्री): My submission is that these may not be allowed at such a late stage be-

Page No.45

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

cause as a matter of fact whatever amendments they were moved that day, today they have been kept for general discussion. Moreover, these amendments are of such a general nature that I could not reply off-hand. So these should not be allowed to be moved in the House.

श्री दयाकृष्ण विजय : माननीय अध्यक्ष, जो संशोधन आते हैं, उनको लेने में मेरी समझ में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिये, क्यों कि कुछ सजेशन ऐसे वेल्यूएबल नेचर के हैं जो एक्सेपट भी हो गये हैं, सर्कूलेट भी हो गये हैं। उन पर विचार होना चाहिये; ऐसा मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : The Hon' ble Member may throw light on his amendments in the course of general discussion on the clause and we will see if we can accept them formally.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Without moving my amendments it shall not be possible for me to make a submission in the House. I will once more request the Hon' ble Chair to allow me to move my amendments.

श्री अध्यक्ष : Will you throw some light on the nature of your amendments, whether they are really important ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : They are very important. As far as the appointment of the Secretary, as far as the Chairman of the Board is concerned, as far as the composition of the Board and as far as the duties and functions of the Board are concerned they are very important.

As far as clause 4 is concerned... उपाध्यक्ष महोदय, I am sorry;

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेन्डरी एजुकेशन बिल के क्लॉज ४ में जो संशोधन प्रस्तुत किये हैं उनमें मुख्यतया विशेष बातें हैं और वे यह हैं कि गवर्नमेन्ट ने एक्स-ओफिशियो नोमिनेटेड मेम्बर्स बोर्ड में रखे हैं। एक है हेड ऑफ दी कामर्स एन्ड इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट, सर्कल कमान्डर, एन. सी. सी.। नोमिनेटेड मेम्बर्स जो कि गवर्नमेन्ट से नोमिनेट किये जावेंगे। वन प्रिन्सपल ऑफ इन्जीनियरिंग कॉलेज, वन प्रिन्सिपल आफ ए मेडीकल कॉलेज इन दी स्टेट, वन प्रिन्सिपल ऑफ एन एग्रीकल्चर कॉलेज इन दी स्टेट, वन प्रिन्सिपल ऑफ ए वेटेरिनरी कॉलेज इन दी स्टेट आदि। यह अमेन्डमेन्ट पहले ही हाउस के सामने आ चुका है, मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि जहां तक एक्स-ओफिशियो मेम्बर्स का सवाल है, हम शिक्षा के सम्बन्ध में एक बोर्ड बनाने जा रहे हैं, जो कि एक ऑटोनोमोस बोडी होगी, इसमें सरकार के अधिक आदमियों को रखने की व्यवस्था की गई है, जो नहीं होनी चाहिये। हेड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट हैं; जैसे डाइरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज एण्ड कॉमर्स आए दिन बदलते रहते हैं, दो चार महीने में बदलते रहते हैं, वे सेकन्डरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन का कितना काम कर सकेंगे, यह एक सोचने का विषय है। सब क्लॉज (सी) में सर्कल कमान्डर को एक्स-ओफिशियो मेम्बर रखा गया है। इनको फिजिकल इन्स्ट्रक्टर के तौर पर रखा है; लेकिन हम देखते हैं कि सब-हैड 'एल' में "One person being an expert

Page No.46

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

in physical education"

अतः मैं यह नहीं समझ पाया कि जब फिजिकल एजुकेशन के लिए फिजिकल एक्सपर्ट जो रख दिया है तो फिर सब हैड' सी' में सर्कल कमान्डर को रखने की क्या आवश्यकता है ? इसलिए सब-क्लॉज 'सी' और 'डी' को उड़ा दिया जाय।

सब-हैड 'एच, आई, जे, के' के अन्तर्गत नोमिनेटड मेम्बर्स रखे हैं, प्रिन्सिपल्स, इन्जीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, एग्रीकल्चरल कॉलेज, वेटेरिनरी कॉलेज। इनको गवर्नमेन्ट नोमिनेट करेगी इस शिक्षा के क्षेत्र में जितनी गवर्नमेन्ट के द्वारा नोमिनेशन की पद्धत्ति कम रखा जाय, उतना ही अच्छा है। यह रखा है :

"Three persons elected by the Senate of the University"

इसके स्थान में ६ डीन्स ऑफ फेकल्टीज आर्टस, साइन्स, मेडिसिन, इन्जीनियरिंग कोमर्स, एग्रीकलल्चर को रखा जाय। ये सिन्डीकेट के मेम्बर्स हाइली क्वालिफाइड होते हैं। माननीय सदस्य जानना चाहेंगे कि ६ डीन्स को क्यों रखा है ? मैं यह निवेदन करूंगा कि जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है और हाइयर सेकन्डिरी एजुकेशन बोर्ड का सम्बन्ध है, कम से चुनाव की पद्धत्ति पर होने चाहिये। चूंकि जो ६ डीन्स युनिवर्सिटी की सीनेट द्वारा चुने जाते हैं, वे हाइली क्वालिफाइड होते हैं, इनको रख लिया जाय और तीनों को उड़ दिया जाय।

दूसरा अमेन्डमेन्ट सामने आ चुका है। उसके बारे में विशेष कहने की भी आवश्यकता नहीं है। सब-क्लॉज 'पी' है :

"Two persons being distinguished educationists, co-opted by the Board."

मैं समझता हूं कि जब ६ डीन्स, आर्ट्स, साइन्स, मेडिसिन्स, इन्जीनियरिंग, एग्रीकल्चर, वेटेरिनरी, इसमें रख लेते हैं, फोर पर्सन्स हाई लेवल के ले लिये गये हैं, डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन, डाइरेक्टर ओफ टेक्निकल एजुकेशन, चेयरमेन, वाइस-चेयरमेन, तो फिर यह सब-क्लॉज रखने की क्या आवश्यकता है ? क्या इसके उपरान्त भी सरकार यह समझती है कि कुछ शिक्षा शास्त्री बच जावेंगे जिनको कि सरकार नोमिनेट या कोऑप्ट करना चाहती है ? चेयरमेन, वाइस-चेयरमेन, ६ डीन्स ओफ फेकल्टीज, ले लिये तो फिर कोऑप्ट करने की क्या आवश्यकता है ? एक को कोओप्ट करलें; इसलिए मैंने यह क्लॉज ४ में संशोधन रखा है। बाकी के संशोधन बाद में आवेंगे, मैं समझता हूं, इसलिए बोलने की आवश्यकता नहीं।

श्री मूलचंद डागा (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार इस मामले में किस कारण से तुली हुई है, यह समझ में नहीं आया। जो माननीय सदस्य उदयपुर से आये हुए हैं, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला और यह बात सही बताई गई कि किसी भी स्थिति में यदि हम शिक्षा में परिवर्तन लाना चाहते हैं और एक आमूल परिवर्तन शिक्षा में करना चाहते हैं और जिस प्रकार कि आपको शिक्षा के माध्यम का उद्देश्य बताया है उसके अनुसार एक परिवर्तन, एक क्रान्ति, एक इन्कलाब लाना चाहते हैं, उस स्थिति में, मैं यह अर्ज करूंगा कि हमें ऐसे ज्ञान मार्गी को शिक्षा संस्था या बोर्ड का अध्यक्ष मुकर्रर करना चाहिए जो सरकारी ढांचे के अन्तर्गत न रह सके। कारण यह है कि आज भी हम यह मान चुके हैं कि अगर किसी संस्था पर उसके अध्यक्ष की छाया पड़ती है, किसी संस्था पर....

Page No.47

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि चेयरमेन के बारे में क्लॉज़ १५ है। आप बहस कर रहे हैं कि चेयरमेन कौन हो? इसलिए जब क्लॉज़ १५ पर डिस्कशन करें तब यह करें तो अच्छा हो।

श्री मूलचन्द डागा : इसमें संशोधन आया है।

श्री अध्यक्ष : १५ ए का आया है।

श्री मूलचन्द डागा : एक अमेन्डमेन्ट श्री नारायणसिंह जी ने पेश किया है।

श्री अध्यक्ष : कोई अमेन्डमेन्ट नहीं।

श्री नारायणसिंह : I had given one amendment with the permission of the Chair.

श्री अध्यक्ष : You have not given it in writing.

श्री नारायणसिंह : Because I will be taking it back it is mis-placed, but I had given that amendment.

श्री अध्यक्ष : So the discussion is misplaced too. So there cannot be any amendment on the Chairman in this clause. We are taking the clause about the composition of the Board.

श्री मनोहर कोठारी : माननीय अध्यक्ष, मैंने एडीशनल मेम्बरका अमेन्डमेन्ट मूव किया था। एडीशनल मेम्बर जो कि १५ ए के अन्तर्गत चेयरमेन होगा उसके सम्बन्ध में है। अगर माननीय सदस्य उस पर प्रकाश डालना चाहें तो उनको इजाजत होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : १५ ए का अमेन्डमेन्ट जब पेश होगा तब करना पड़ेगा। शिक्षा शास्त्री तो गवर्नमेंट द्वारा हो सकते हैं, इसलिए यहां यह अनिवार्य नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : मैं यह समझूं कि १५ ए में जब संशोधन आवेगा तब इस पर वाद-विवाद होगा ?

श्री अध्यक्ष : जी हां। ठीक है।

श्री नारायणसिंह : Should I take back my amendment, Sir?

(विराम)

श्री अध्यक्ष : उत्तर दीजिये। First let us hear the Minister.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप शिक्षा मन्त्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज के बारे में भिन्न-भिन्न अमेन्डमेन्ट्स पेश हुए हैं। पहला अमेन्डमेन्ट यह है कि :

"Subject to the proviso of Section 15 A"

इसमें से हटा दिया जावे और दूसरा यह है कि असिस्टेन्ट डाइरेक्टर ऑफ फीमेल एजुकेशन इसमें रखा जावे तीसरा यह है कि क्लॉज 'ई' की जगह तीन एन. एल. एज़ रखे जावे और उस के बाद 'जी' में यह अमेन्डमेन्ट आया है कि उसमें टीचर्स एसोसिशयेशन के एक सदस्य के बजाय दो सदस्य कर दिये जावें।

उसके बाद में यह आता है कि सब क्लॉज 'ओ' को डिलीट कर दिया जाय।

१ म. प.

माननीय अध्यक्ष महोदय, सब ने इसको एमेण्ड करने के लिये कहा है, लेकिन किसी भी माननीय सदस्य ने बताने की कोशिश नहीं की है कि आखिर में वे यह उस बोर्ड को किस तरह का बनाना चाहते हैं? १५ ए में यह

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

डिलीट करने का जो सुझाव है उसका मकसद यह है १५ ए में जो डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन चेयरमेन होगा, वह तीन साल के बाद में नहीं होना चाहिये। इसके लिये में यह अर्ज कर दूं कि यह जो बोर्ड गठित हो रहा है वह सेकन्डरी एजुकेशन कमीशन की रिपोर्ट की ताहत में बन रहा है। सेकन्डरी एजुकेशन कमीशन ने सब राज्यों का दौरा करके जितने भी शिक्षा शास्त्री थे और जो संस्थाओं को चला रहे थे उन सब से पूछताछ की, उनसे मिले और उसके बाद में एक रिपोर्ट पेश की और उस रिपोर्ट में यह है कि जो सेकन्डरी एजुकेशन का बोर्ड हो वह एक नये तरीके से गठित होना चाहिये। उन्होंने यह भी सिफारिश की और उसके साथ में यह भी कहा कि जो डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन है, वह उसका चेयरमेन होना चाहिये। तो मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि जब आप सेकन्डरी एजुकेशन कमीशन की रिपोर्ट को मानते हैं, तो डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन जिसके लिये उन्होंने सिफारिश की है कि वह बोर्ड का चेयरमेन होना चाहिये, उसको क्यों नहीं मानते? उनके डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन को चेयरमेन बनाने के कई कारण थे। एक कारण यह था कि आज जो शिक्षा है, वह तेजी से बढ़ रही है। आज वह जमाना नहीं है कि हर व्यक्ति जो कुछ भी करता है उन सब का वह मास्टर हो या वह सब चीजें बना सकता हो। शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति जो एक दो साल उससे दूर रह जाता है तो वह लेटेस्ट ट्रेन्ड जो है, उससे दूर हो जाता है। आप इस बोर्ड के पूरे गठन को देखेंगे तो हमारे देश में जो कई प्रवृत्तियां चल रही हैं, उन सब का ख्याल करके बोर्ड का कम्पोजिशन किया गया है। उसमें यह देखा गया है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वे मेडीकल कॉलेज में जायेंगे तो मेडीकल कॉलेज का क्या स्टेन्डर्ड होना चाहिए? उसको देखने के लिए मेडिकल कॉलेज के प्रिन्सीपल को लिया है। खेतीबाड़ी की तरफ हम तरक्की करना चाहते हैं जिसके लिए एग्रीकलचर कॉलेज खोल रहे हैं, नहरें और बड़े बड़े बान्ध बना रहे हैं तो उनके लिए किस तरह के व्यक्तियों की जरूरत रहेगी, इसके लिए एग्रीकलचर कॉलेज के प्रिन्सिपल को उसमें लिया गया है। इसी तरह से एग्रीकलचर के अलावा नेशनल कैडेट कोर, वेटरनरी और दूसरी जितने भी विषय हैं उनके जानने वालों को इसमें लिया गया है। पुराने आदमियों को हम लेते हैं तो बढ़ई का काम, सुथारी का काम, डॉक्टरी का काम खुद कर सकते थे, लेकिन आज हम जानते हैं कि हमारे पहनने के कपड़े तक हम खुद नहीं बना सकते हैं, इलाज नहीं कर सकते हैं, बच्चों को खुद नहीं बढ़ा सकते हैं। जब कि हमारी सोसाइटी आज इतनी कॉम्पलेक्स होती जा रही है, तो उस जमाने में हम कैसे कहें कि एक्सपर्ट्स को न रखो। मैं निवेदन करूंगा कि जो हमने एक्सपर्ट्स रखें, उनसे ज्यादा एक्सपर्ट्स के लिए किसी ने सुझाव नहीं दिया है। इस क्षेत्र में जो ज्यादा जानकारी रखते हैं, वह सुझाव किसी ने पेश नहीं किया है। डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन से ज्यादा एजुकेशन के विषय में दूसरा व्यक्ति कौन जान सकता है? जो एजुकेशन की कल पोजीशन थी आज हम उसको नये रूप से ढाल सकते हैं और फिर एक साल के बाद परिस्थितियों में फर्क आ सकता है। कोई दूसरी नई रूपरेखा बन सकती है। मेरा ख्याल यह था कि डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन जो होगा, वही व्यक्ति इस बोर्ड का चेयरमेन

Page No.49

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

होगा, वही सरकार के शिक्षा विभाग का प्रमुख अधिकारी है, इसलिए उसकी आंखों से बोर्ड की कोई रिकमन्डेशन बच नहीं सकेगी। उसको उसकी पूर्ण जानकारी होगी। जो चीज़ तय हो गई है वह कार्यान्वित हो रही है या नहीं, इसकी उसे पूरी जानकारी होगी।

यह भी उसमें कहा गया है कि पहले तीन साल क्यों रखा जा रहा है? उसके बाद में रखने की क्या व्यवस्था है? राजस्थान थोड़े अर्से पहले ही बना है और राजस्थान सेकन्डरी एजुकेशन का जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि राजस्थान नया ही प्रयास कर रहा है, वह सब सरकारों से आगे है, तो इस क्षेत्र में हम चाहते थे कि पहले तीन साल के लिये, जब तक कि व्यवस्था ठीक न हो जाय, तब तक हम एक अनुभवी व्यक्ति को इसमें लें और जब कि हम युनिवर्सिटी से सेकन्डरी एजुकेशन को अलग कर रहे हैं तो एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो युनिवर्सिटी एजुकेशन और सेकन्डरी एजुकेशन दोनों को ठीक तरह से जोड़ सके। इसलिए पहले तीन साल के लिए हमने यूनिवर्सिटी के वाइस-चान्सलर को सेकन्डरी एजुकेशन के बोर्ड का चेयरमन रखा है। उसके बाद में क्या परिस्थितियां हों, कितने व्यक्ति कैसे चाहिये, कैसी शिक्षा होनी चाहिये, लेटेस्ट रिपोर्ट क्या है और लेटेस्ट क्या चाहिए, इस अनुभव को ध्यान में रखते हुए और यह जानते हुये कि डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन से ज्यादा दूसरा नहीं जान सकता है, इसलिए डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन को रखा गया है।

उसके बाद में यह सुझाव दिया गया कि राजस्थान सरकार बातें तो बड़ी करती है, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने को कहते हैं, लेकिन जब कार्य रूप में आते हैं तो किसी स्त्री को बोर्ड में नहीं रखा है। मैं नम्र निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य इस क्लॉज़ को पढ़ने की....

श्री जनार्दनराय नागर : स्त्री शब्द के बजाय कोई दूसरा शब्द रखें तो ठीक होगा।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : I correct myself.

कोई महिला नहीं ली गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि २५ मेम्बरों के बोर्ड में ३ महिलाएं तो हैं ही, वह इस क्लॉज़ में लिखा हुआ है। यह कह देना कि जो एडीशनल डाइरेक्टर्स ऑफ एजुकेशन है वह यूनिवर्सिटी से आने वाले या प्रिन्सीपल्ज़ ऑफ कॉलेजेज़ से जो आयेगीं उनसे ज्यादा जानकार होंगी, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। उसके अलावा दो डिस्टिन्गिवश्ड एजुकेशनिस्ट्स के लिये any other interest which is not represented और प्रिन्सीपल्स में भी यह नहीं रखा है कि वहां से महिलाएं न आ सकेंगी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि महिलाओं के लिए तीन तो वैसे ही लिख दी गई हैं। इसमें प्रोवीज़न रखा है कि तीन महिलाएं तो होंगी ही, इसके अलावा और ज्यादा भी हो सकती हैं। मैं निवेदन करूंगा कि यह संशोधन महिलाओं की तरफ से नहीं आया है, तो कैसे उम्मीद करते हैं कि इस बोर्ड में महिलाओं को प्लीड करने वाला या स्त्री-शिक्षण के लिए कहने वाला कोई न होगा, मैं नहीं मानूंगा। प्रवर समिति के सामने भी इस सवाल पर बहुत बड़ा जोर दिया गया था और महिलाओं की तरफ से नहीं पुरुषों की तरफ से दिया गया था और उसमें मैं भी कहने में शामिल था। मैं नम्र निवेदन करूंगा कि क्या असिस्टेन्ट डाइ-

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

रेक्ट्रेस ऑफ एजुकेशन के होने से ही यह हो जायगा, यह बात ठीक तौर से मेरी समझ में नहीं आई है।

उसके बाद में यह कहा गया कि इस क्लॉज़ में तीन एम. एल. एज़् के लिए प्रोवीज़न सब्स्टीट्यूट कर दिया जाय और जो तीन परसन्स लिखे हैं यूनिवर्सिटी के "Three persons elected by the Senate of University one from each of the Faculties of Arts, Science and Commenrce" उसकी जगह तीन डीन जो फेकल्टीज़ के, हैं, वह कर दिया जाय। मैं नम्र निवेदन करूंगा कि जहां तक विधान सभा के सदस्यों का सवाल है उनका क्षेत्र पहले ही बहुत बड़ा है। उनको सेवा करने का मौका सब जगह मिल सकता है। अगर डिस्टिन्गिवश्ड एजुकेशनिस्ट के नाते भी करेंगे तो वे उसमें चले आयेंगे। तो कोई बाधा उपस्थित होने की नहीं है, लेकिन मैं नम्र निवेदन कर दूं कि जहां तक हो इस बोर्ड को राजनीति से वंचित किया जाय। इन्हीं चीजों को खयाल में रखकर जो ओरीजिनल बिल में प्रोवीज़न दो असेम्बली के मेम्बर्स का था, उसको डिलीट किया था। हम जानते हैं कि हमारे इस भवन के जो सदस्य हैं उनका कार्य क्षेत्र लम्बा चौड़ा है, और उनके सोचने का जो तरीका है वह शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनसे दूसरा है। इससे हमें इसमें यह लगा कि अगर वे बोर्ड में रहेंगे तो बोर्ड के वातावरण में कुछ खराबी न आ जाय, इसलिए यह बात सोच कर ही उसको डिलीट किया था ....

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : Does the Hon'ble Member consider the Hon'ble Members of this House undesirable influences?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : Not undesirable, but that they can serve on the Committees-there is no specific bar, but at the same time, the atmosphere in the Board of Education is somewhat different from what it is in the field of politics or where we are actually working. What we fear was that lest there may be something as a player of football may not play tennis or volleyball, he may give a kick...

श्री पी. के. चौधरी : The Hon'ble Member's statement is a reflection on the Hon'ble Members of this House.

श्री अध्यक्ष : He only said that it is unsuitable for the purpose in view.

श्री पी. के. चौधरी : It is a reflection on the Members.

श्री अध्यक्ष : Not necessary.

श्री विश्म्भरनाथ जोशी : It is.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : My submission is that if the members think it is, I am prepared to withdraw it, but I am expressing my sincere feeling regarding this.

श्री पी. के. चौधरी : We will insist that the Hon'ble Minister should withdraw the remark.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : (जारी) और इसके बाद भी एक अमेन्डमेन्ट है माननीय अध्यक्ष,......

Page No.51

श्री पी. के. चौधरी : He did not speak.

श्री अध्यक्ष : He did not say more than what he has said.

श्री पी. के. चौधरी : What does the Hon'ble Member say ?

श्री अध्यक्ष : Please continue your speech.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : (उप शिक्षा मंत्री) माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ में 'जी' एक अमेन्डमेन्ट है कि टीचर्स एसोसियेशन का एक मेम्बर रखा है अध्यापकों द्वारा चुना हुआ उसकी जगह २ कर दिये जायं। मैं नम्र निवेदन कर दूं कि यदि इस बोर्ड के कोई अध्यापकों के हक हकूक का सवाल हो या उनकी वेतन वृद्धि या उसमें कटौती का सवाल होता तो अवश्य दो ही नहीं बल्कि मैं इस पक्ष में होता कि ३ ले लिये जावें और कम से कम ऐसे व्यक्ति होने चाहिये जो ५० वर्ष की उम्र के हों जो टीचर्स के हकों के लिये कह सकें। लेकिन आप इसके फंक्शन्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस क्षेत्र में वे काम करते हैं, उस क्षेत्र के बारे में माध्यमिक शिक्षा पर उनके क्या व्यूज़ हैं, इसको जानने के लिये १ टीचर रखा था। जैसा मैंने निवेदन किया था कि इस क्षेत्र की विस्तृत राय के बारे में यदि कोई माननीय सदस्य यह बतावें कि फलां क्षेत्र छोड़ दिया है तो मैं निवेदन करूं कि मुझे मंजूर करने में कोई हिचक नहीं होगी। लेकिन यह बताने का कष्ट नहीं किया कि कौनसा ऐसा पहलू है जिसको हमने छोड़ दिया और जिस पर हमने विचार नहीं किया ? टीचर्स को इसलिये रखा है कि डे टू डे क्या तकलीफें हैं, यह व्यू पोइन्ट सामने आवे इसलिये एक टीचर को रखा है। आप यह समझते हैं कि एक व्यक्ति अपने व्यू-पाइन्ट को सामने नहीं रख सकेगा दो रख सकेंगे तो मैं इस आर्गुमेन्ट से सहमत नहीं हूं।

एक संशोधन माननीय अध्यक्ष, सब-क्लॉज़ (ओ) के बारे में हैं :

"One person considered by the State Government fit and necessary to represent the interests as are otherwise not adequately represented."

अध्यक्ष महोदय, इसके पीछे कोई ऐसी मंशा हो कि सरकार किसी व्यक्ति को बढ़ावा देगी तो यह बात नहीं है। लेकिन आज हम आगे बढ़ रहे हैं और कई क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं जो शायद नजरों से चूक गये हैं, या कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसको इस बोर्ड पर रखना आवश्यक है। आज हम एज्युकेशन के क्षेत्र में एक्सपेरिमेन्ट कर रहे हैं, उसमें शायद ऐसी कोई बात हो जाय जिसके कारण किसी व्यक्ति को लेना आवश्यक हो जाय। कानून एक वर्ष या दो वर्षों के लिये नहीं बन रहा है बल्कि आगे के लिये भी बन रहा है। इसमें आगे चल कर कोई ऐसी बात हो जाये इसलिये रखा है। कल पोलिसी पर बहस हो रही थी, तब भी आया। इसलिये अर्ज करूं कि कोई परिस्थिति पैदा हो जावे तो उसके लिये हमने रखा है।

श्री अध्यक्ष : And this is the only way in which M. L. As. can get into the Board.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : Yes, Sir, there is no bar. The Hon'ble members can be nominated on the Board. There is nothing to prevent it.

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जहां तक इस बोर्ड के फंक्शन्स हैं उनको पूरा करने में और शिक्षा के किसी क्षेत्र को छोड़ दिया हो जिससे आगे बोर्ड अपना कार्य करना चाहेगा उसके लिये पूरे साधन उपलब्ध नहीं होंगे या व्यक्ति उपलब्ध नहीं होंगे, यदि यह बात कही जाती तो यह अमेन्डमेंट मन्जूर कर लिया जाता, लेकिन ऐसी कोई बात इनमें नहीं है। इसलिये इनको स्वीकार नहीं किया जा सकता।

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैंने क्लॉज़ ४ में ४ अमेन्डमेन्ट्स मूव किये हैं। जब माननीय उप मन्त्री महोदय इसका जवाब देने खड़े हुए थे, तब उनके जवाब में एक बात मुझे बड़ी अजीब लगी और वह यह कि उनके विचारों से डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन से बड़ा इस राजस्थान की धरती पर और कोई शिक्षा शास्त्री नहीं हो सकता। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि आज से करीब १ महीने पूर्व जब मैं बीकानेर रेल्वे स्टेशन पर डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन के साथ खड़ा था तब एक दूसरे पास ही खड़े हुए व्यक्ति ने जो शिक्षा विभाग में ही काम करता है, उनसे पूछा कि क्या आप अभी तक कलेक्टर चूरू ही हैं? यह कितनी बड़ी विडम्बना है कि जब मन्त्रीजी यह कहते हैं कि डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन के सिवाय और कोई शिक्षा-शास्त्री उपलब्ध नहीं हो सकता। मैं कह सकता हूं कि इस एक वर्ष में कई डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन बदले हैं और उसके स्थान पर आज तक वे लोग पदासीन किये गये हैं जो आई. ए. एस. केडर के व्यक्ति हैं। जब मैंने यह अमेंडमेंट मूव किया था, उस समय भी कहा था कि यह मैं मानता हूँ कि आई. ए. एस. के व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन में कितने ही योग्य क्यों न हों लेकिन प्रशासन ही केवल शिक्षा के लिये बहुत बड़ा आधार नहीं है, प्रशासन ही केवल शिक्षा का एकांगी और महत्वपूर्ण अंग नहीं है। बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में जो रात दिन काम करने वाले लोग हैं और जो शिक्षा-शास्त्री हैं, चाहे वे सार्वजनिक क्षेत्र में शिक्षा का काम कर रहे हों या राजकीय शिक्षण संस्थाओं में काम कर हों लेकिन आज प्रान्त में शिक्षा के क्षेत्र में कई लोग महत्वपूर्ण गवेषणात्मक प्रयोग कर रहे हैं। उनमें से या उन्हीं के समकक्ष किसी योग्य शिक्षा-विशारद को बोर्ड का चेयरमेन बनाया जा सकता है। यह भी जरूरी नहीं है कि चेयरमेन या अन्य सदस्यों में शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले केवल राजस्थान के ही लोगों को लिया जाय, मेरे विचार से राज्य के बाहर के लोगों को भी लिया जा सकता है। मैंने जो अपना संशोधन रखा है वह यह है कि शिक्षा के मामले में जो योग्य व्यक्ति हों, नये नये अनुभव और प्रयोग इस क्षेत्र में कर रहे हैं, उनमें से किसी को पूरे समय के लिये इस बोर्ड का वैतनिक चेयरमेन रखा जाय। इसलिये मैं आज फिर इस बात को दोहराता हूं कि यदि हम वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में नया परिवर्तन करना चाहते हैं तो हमें चाहिये कि जो बोर्ड गठित हो वह ऐसा ऑटोनोमस बोर्ड हो जो शिक्षा के क्षेत्र में नये-नये प्रयोग शुरू कर सके। इसलिये डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन इस दृष्टि से वर्तमान स्थिति में फिट होने वाली कड़ी नहीं है। अभी एक माननीय सदस्य ने बताया कि शिक्षाध्यक्ष के पास इतना ज्यादा काम है और इतना अधिक समय उनका अन्य

(श्री मनोहर कोठारी)

कार्य में लग जाता है कि वे ज्यादा समय इस काम के लिये नहीं निकाल सकते इसलिए मुझे भय है कि माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में किये जाने वाले नये-नये प्रयोगों में डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन कोई महत्व पूर्ण योग दे सकेंगे। अत: मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो संशोधन इस में रखा गया है वह किसी माने में ऐसा नहीं है जिसके लिये साधारण तौर पर ही विचार करने की आवश्यकता हो अपितु इस पर मेरे विचार से विशद चर्चा होनी चाहिये। मैं यह भी मानता हूँ कि सेकन्डरी एजुकेशन की रिपोर्ट जो हमारे सामने है, केवल उसी के आधार पर बिना स्वतन्त्र मत रखे यदि हम कोई निश्चय करना चाहते हैं तो हमें इस बात की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है और जो भी निर्देश उक्त रिपोर्ट में हों उन्हें बिना बहस मुबाहिसे स्वीकार कर लेना चाहिये। लेकिन हम यदि रिपोर्ट को केवल नीति के रूप में स्वीकार करते हैं तो जिसे हमे गलत समझते हैं उसको मन्जूर करना या नहीं करना सदन के सदस्यों के अधिकार की बात है।

इसके बाद मेरा जो दूसरा संशोधन है वह ओरिजनल क्लॉज़ में इस प्रकार है : "Three persons elected by the Senate of the University, one from each of the Faculties of Arts, Science and Commerce."

इसको जगह मैंने यह संशोधन प्रस्तावित किया है कि ३ कामर्स, साइन्स और आर्ट्स के डीन ऑफ दि फेकल्टीज़ जो सीनेट से चुने हुए होते है और जो उपयुक्त, अनुभव प्राप्त और शिक्षा शास्त्री होते हैं उनको एक्स ऑफिशियो मेम्बर्स की तरह स्वीकार करना चाहिये। मेरी समझ में नहीं आता कि उन व्यक्तियों को जिनका जीवन भर इसी काम में बीतता है उनको रखने में क्या ऐतराज है ? ये डीन ऑफ दि फेकल्टीज़ युनिवर्सिटी के चुने हुए व्यक्ति होते हैं। इसमें किसी व्यक्ति विशेष का प्रश्न नहीं होगा। जो चुने हुए व्यक्ति आवेंगे वे ही एक्स ऑफिशियो मेम्बर्स होंगे। इसलिये मैं समझता हूँ डीन ऑफ फेकल्टीज़ ही को रखना चाहिये। एक तरफ मन्त्रीजी फरमाते हैं कि कम से कम राजनीति को इस बोर्ड में स्थान होना चाहिये। वहां जब बाकायदा चुनाव होंगे अलग अलग लोगों के अलग अलग इन्ट्रेस्ट होंगे और अलग अलग विचार होंगे, तो फिर से चुनाव करवाने पर निश्चित रूप से राजनीति बोर्ड में प्रवेश करेगी। यदि हम सीनेट के चुने हुए सदस्यों को, जो डीन ऑफ फेकल्टीज़ तीन क्षेत्रों के लिये समय समय पर चुने जावेंगे पदेन सदस्य के रूप में स्वीकार करें तो अलग से चुनाव करने की आवश्यकता नहीं होगी और इस प्रकार बोर्ड में अनावश्यक राजनीति प्रवेश नहीं हो सकेगा।

मेरा तीसरा संशोधन था, वह बिल्कुल साफ है। ओरिजिनल बिल में सरकार ने जो व्यवस्था रखी थी वह भी, मैं समझता हूं, भारत सरकार की सिफारिश के अनुसार ही रखी गई थी, जिसमें यह कहा गया था : "Two members elected by the Rajasthan Legislative Assembly form amongst its members, of whom atleast one shall represent a rural constituency."

उसके बजाय मैंने संशोधन प्रस्तावित किया कि तीन मेम्बर राजस्थान विधान सभा से चुने जांय, उनमें से एक महिला सदस्य हो, एक ग्रामीण क्षेत्र से चुना हुआ प्रतिनिधि हो

Page No.54

(श्री मनोहर कोठारी)

और एक अन्य प्रतिनिधि उसमें हो सकता है। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब सिलेक्ट कमेटी के सामने ओरीजिनल बिल आया और सिलेक्ट कमेटी जिन धाराओं में संशोधन किये हैं, उसमें जो परिवर्तन किये हैं, परिवर्धन किये है, उनके सम्बन्ध में सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में यह बताया है कि इस कारण से फलां धारा में फला परिवर्तन किया गया है। मेरी समझ में नहीं आता कि यह धारा जो हटाई गई है, उसके बारे में सिलेक्ट कमेटी ने अपनी कोई स्पष्ट राय जाहिर क्यों नहीं की, उसमें यह क्यों नहीं बताया कि क्योंकि इससे बोर्ड में राजनैतिक पेचीदगी पैदा हो जायगी, राजनीति इस बोर्ड में घर कर जायगी, इसलिए इस विधान सभा में से चुने हुए प्रतिनिधि, जैसा कि ओरिजिनल बिल में प्रस्ताव किया था, सम्बन्धी धारा इस बिल में से हटाई गई है। मैं समझता हूं कि यह तर्क उचित नहीं है। हम ऐसे ही करेक्टर के व्यक्तियों को भेज सकते हैं, जो शिक्षा सम्बन्धी अनुभव रखते हों। मैं यह भी निवेदन करूं कि हम ऐसे रिप्रज़ेन्टेटिव को भी चुनने की व्यवस्था कर सकते हैं और ऐसे सदस्यों के लिए शिक्षा का बन्धन रख सकते हैं लेकिन बिना किसी कारण के, विचार किये सिलेक्ट कमेटी ने इस को हटा दिया ज्ञात होता है। मैं नहीं समझ सका कि विधान सभा के सदस्यों के सम्बन्ध में ओरिजिनल बिल में पहले जो योजना रखी, उसे हटाने के बारे में सिलेक्ट कमेटी ने लिखित रुप में कोई कारण क्यो नहीं बताया ? केवल यह कह देना कि वहां राजनैतिक अखाड़ेबाजी न हो जाय, इस डर से ऐसा करना चाहते हैं पर्याप्त नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, और आपके जरिये सदन को सूचना देना चाहता हूं कि हमारे देश में ऐसे शिक्षा शास्त्री हुए हैं, और हैं जो राजनीति के बड़े बड़े नेता हैं, विद्वान हैं, जिन्होंने देश की यूनीवर्सिटी के बड़े से बड़े पद पर रह कर काम किया है। मैं आपको स्मरण करना चाहता हूँ, स्वर्गीय आचार्य नरेन्द्र देव का जिन्होंने लखनऊ यूनीवर्सिटी के वाइस चान्सलर के पद पर एक राजनैतिक होते हुए भी वर्षों तक कार्य किया था। डा. राधाकृष्णन, जो तपे हुए राजनैतिक नेता हैं, इसी प्रकार के और भी नेता हैं जो राजनैतिक क्षेत्र में सक्रिय काम कर रहे हैं, विभिन्न युनीवर्सिटियों के वाइस चान्सलर के पद पर रह चुके हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि फिर विधान सभा के सदस्यों को इस बोर्ड के सदस्य रखे जाने में परेशानी क्यों अनुभव होती है ?

एक और संशोधन था, वह यह था कि इसमें जो सब सेक्शन (ओ) है, उसको डिलीट कर दिया जाय। इस सब सेक्शन में व्यवस्था की गई है :

"One person considered by the State Government fit and necessary to represent such interests as are not otherwise adequately represented."

मुझे नहीं मालूम कि कौनसा ऐसा इन्ट्रेस्ट है। पहली बात तो यह है कि यह स्पष्ट होना चाहिए कि कौन से इन्ट्रेस्ट की पूर्ति करना इस क्लॉज की मंशा है। जब हमने अच्छे अच्छे शिक्षा शास्त्री, ऊंचे ऊंचे शिक्षा के विद्वानों को स्थान दे दिया है, फिर कौन सा इन्ट्रेस्ट बच जाता है, जिसके जरिये एक और व्यक्ति को रखना चाहते हैं। मैं समझता हूँ यह सब सेक्शन बिल्कुल बेकार है। इसलिए इस सब सेक्शन को हटा दिया जाना चाहिए। यह बिल्कुल साफ बात है कि जब हम असेम्बली के प्रतिनिधित्व की आवश्यकता नहीं

(श्री मनोहर कोठारी)

समझते हैं, तो इसका सवाल पैदा नहीं होता। आपने बताया कि महिला का प्रश्न भी पहले की धारा के जरिये पूरा हो जाता है, तब भी यह सवाल पैदा नहीं होता। तो फिर ऐसा कौनसा इन्ट्रेस्ट सेफ गार्ड करना चाहते हैं, और इस सब क्लॉज के जरिये राज्य सरकार किसी व्यक्ति को नामजद करना चाहती है। यह जो मैंने संशोधन रखे थे, इन संशोधनों का पर्याप्त उत्तर मुझे नहीं मिल पाया है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो संशोधन प्रस्तुत किये गये थे, ये बड़े महत्वपूर्ण संशोधन हैं। खास तौर से जहां तक चेयरमेन ऑफ बोर्ड का सवाल है ये संशोधन बड़े महत्वपूर्ण हैं और इनके प्रति एक प्रगतिशील रुख अपनाना चाहिये।

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : On the other day I was allowed.

श्री मनोहर कोठारी : माननीय अध्यक्ष I want to withdraw my amendments.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री मनोहर कोठारी के जो संशोधन हैं, उन्हें वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई

श्री मनोहर कोठारी : मैं अपने संशोधन विद्ड्रॉ करता हूं।

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : Mr. Speaker, Sir, the other day I was allowed to move an amendment to clause 4 and to include one new sub-clause, it was in haste and hurry, I admit. Though I find now that Hon'ble Shri Nagar (Janardan Rai) has embellished my suggestion with a glamour and a golden hue I do admit that it is a bit misplaced. Even then I have got my strong feelings about putting that person as Chairman who does not belong to the educational bureaucracy and I have expressed these feelings already. I believe that bureaucratic routine of life always kills originality. I also believe that the drudgery of the bureaucratic routine has a tendency for the people to go on brass tracks only. I, therefore, think that when we are considering to recast the Secondary Education on a novel line which would fit-in with the entire educational structure that we are considering, it is very essential that people who have an in pendent experience in the secondary education and educational fields, who have devoted their whole life to this cause, who have organized and followed their own independent course in this sphere, they should be allowed to guide the sphere of such a board. They would have a broader outlook, wider vision and newer experience. They would not essentially go in that very routine way which we fear a bureaucrat of any field of administration would go. I, therefore, feel it very strongly that the Chairman of such a Board should be a person who is not necessarilly from the educational bureaucracy. It was in fact with this very mind that in the Bill itself it was

(श्री नारायणसिंह)

provided that in the beginning the Chairman would be a person who would not be the Directer of Education. I don't knew why this policy should not be followed even afterwards. It would not be only three years in which we would be able to give a shape to our educational system and the secondary educational system which is the very cennecting link to our primary educattion and which is preparatory for the Uniuersity Education. The educationists have expressed it clearly that this education has to be on the verv right lines. We have to devote more attention to it because it will be the responsibility of the secondary education that will completely characterize itself. The education which will start on basic lines, an education which would do away with the Macaulian system which we have inherited from the British imperialism and it would this type of education which would see its completion at the secondary Stage which we are conceiving of. This secondary education will also make the student complete by himself in the vocation which he would follow. He would be ready to follow any course of life after that without going to the University even. It is, therefore, very essential that while thinking of this organization which would direct this education we should be more careful, our vision should be more broad and we should invite people who have an independent experience in this field.

The Hon'ble Minister himself had just now admitted that while discussing about the point whether the M.L.As. should be members of the Board, he had said that the Members of the Assembly have got a particular atmosphere of their own which is not entirely educational, while it is a matter to be argued. what is the basis of that very contention if the very atmosphere of the Assembly is a little different from the atmosphere which might be present in the educationl field; why it should be thought that the atmosphere of the bureaucracy would be very much inconsonance with the educational system which we want to conveive ? Bureaucracy has a stamp of its own. It would not do justice that we want to do. The educationists of calibre should be allowed to head the organization of such order.

The Hon'ble Minister has also referred that in the secondary education Report of the Government of India it was recommended that the Director of Education should be the Cnairman of such a Board and he had given reasons for that. I have myself read the chapters of the Report but I did not find sufficient reasons for that. It was automatically taken for granted that the Director of Education should be the Chairman of the Board. But we are at liberty to think in

(श्री नारायणसिंह)

any other way. We have our own independent judgment. We can afford to differ a bit from the recommendations of the Commission. If we feel that what the secondary education report says is not very correct and it does not suit our purpose, we can afford to differ from it a littie. That should not be a last word for us.

Then again the Hon'ble Minister had referred to the fact that the principals of Medical and Agricuture Colleges and heads of all such other vocational and technical institutions would be taken in the Board. I had forwarded my amendment to this clause but probably it did not reach the ofiice in time and hence it could not be moved. If it were moved I would have pointed out that certain fields were overlooked. The principal of the polytechnic College, e.g., has not been kept. Then again the Secondary education has also stressed upon the fact that there might be a separate board for the Teachers' Training in the Secondary stage. It would have been much better if such a board could have been coordinated with it and certain provisions to that effect also made.

In the end I would support the amendments moved by Hon'ble Shri Manohar Kothari though he has already withdrawn them. He gave very useful suggestions in this regard. Specially I would like to stress upon the fact which he had mentioned that the heads of the three faculties of Arts, Science and Commerce should be included in the composition of the Board. I know that hon'ble Shri Manohar Kothari was hasty enough to withdraw his amendments but I think it is very important that such a sub-clause could well be added in the present structure of clause 4 which provides for a Board in this respect.

Therefore, I would request the Hon'ble Minister concerned that he might have a more liberal outlook in this respect and show the liberality of allowing us to suggest such things which would make this Board more perfect copies in its own making.

Of course I have examined my own amendment and I find that it is mis-placed. I have already expressed it in the beginning. This purpose could well be served by Section 15A and therefore I have already suggested another amendment to Section 15A.

I also feel that parts (e), (f), (p) of clause 4 (1) could provide us which such a Chairman which we conveive of. A Chairman could be elected under (e), (f) (p). If we give more attention to it-more liberal and generous attention to it and think it more ponderingly I think we would arrive at the same conclusion that the Chairman should be a person who would not belong

(श्री नारायणसिंह)

to the educational bureaucracy as such, but who would be a real known educationist, an educationist of calibre in the State.

I ofcourse withdraw my amendment in the end which I had moved that day that a new part (a) may be added to sub-clause (1) of clause 4 regarding the selection of the Chairman.

श्री पूनमचन्द विश्नोई (उप शिक्षा मंत्री) Sir, this clause may be deferred and may be taken into consideration when we consider clause 15A.

श्री अध्यक्ष: Clause 4 as a whole ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई: Yes, sir.

श्री अध्यक्ष: But we can listen to the Hon'ble Members and close the discussion today. If any amendments are to be moved by the Government there will be discussion then.

श्री पी. के. चौधरी: I have got a right of reply.

श्री अध्यक्ष: You have it.

श्री पी. के. चौधरी : माननीय अध्यक्ष, मन्त्री महोदय ने अपने जवाब में यह कहा है कि सदस्यों ने····

श्री अध्यक्ष : First we will accord permission for the withdrawal of amendment by Shri Narain Singh.

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री नारायण सिंह मसूदा ने पेश किया है उसको वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री नारायणसिंह : (मसूदा) I withdraw my amendment.

श्री पी. के. चौधरी : मन्त्री महोदय ने यह बताया कि इस सदन के सदस्यों ने अमेंडमेंट पेश किये वे कम्पोज़िशन ओफ बोर्ड के बारे में किये, पर इसके फंक्शन्स के बारे में कुछ नहीं कहा।·······

श्री पूनमचन्द (उप शिक्षा मंत्री) : it is something new beyond the scope of his amendment, sir.

श्री अध्यक्ष : Clause 9 refers to the powers and functions of the Board.

श्री पी. के. चौधरी : The Hon'ble member referred to it and so I referred to it.

श्री अध्यक्ष : Please continue.

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : मन्त्री महोदय ने बताया कि यह बोर्ड जो बना रहे हैं, यह बिल जो पेश किया है, उसके कम्पोज़िशन में हम सेकन्डरी एजुकेशन कमिशन की जो रिकमेंडेशन्स हैं, उनकी तरफ ख्याल करते हुए उसको किया है। अभी मेरा जो अमेंडमेंट था खास करके जो एक्स-ओफिशियो मेम्बर्स हैं, उसमें मैंने अमेंडमेंट मूव किया था कि इसमें राजस्थान स्टेट की महिलाओं की शिक्षा का जो भी कोई अधिकारी हो, उसका स्थान इसमें होना चाहिए और जब अमेंडमेंट मूव करते हैं तो मन्त्री महोदय कहते हैं कि आप लोगों के अमेंडमेंट

Page No.59

(श्री पी० के० चौधरी)

सेकन्डरी एजुकेशन कमिशन की सिफारिशों के माफक नहीं हैं, इसलिये इसमें स्थान देने का नहीं है डिप्टी डायरेक्टर्स ऑफ एजुकेशन की पोस्ट राजस्थान में नहीं है पर ए. डी. की पोस्ट है, जो महिला विभाग की इन्चार्ज है, यह मेरा अमेंडमेंट था कि उनका स्थान इसमें होना चाहिये। आपने कहा कि महिलाओं का काफी रिप्रेज़ेन्टेशन इसमें रखा है, तीन महिलाओं का इन्तजाम किया है, तीन महिलाओं का आपने इन्तजाम किया है पर परसेन्टेज क्या होता है, २६ में से ३ स्थान दिये हैं, जहां ५० पर्सेन्ट होना चाहिये वहां १२ परसेन्ट दे कर, कहते हैं कि हमने दिया है।

वेटेरिनरी कॉलेज का प्रिन्सिपल है उसका स्थान है, पर जो स्त्री शिक्षा रिप्रेज़ेन्टेटिव है, उसका स्थान इसमें नहीं है।

दूसरी बात जो ३ महिलाओं को स्थान दिया गया है वह तो इस प्रकार से है जैसे बच्चों को समझाने की बात हो। वे कौन होती हैं? वे एक्स-ओफिशियां नहीं हैं। आपकी जो पोलिसी है उसके माफिक आप उनको रखना चाहते हैं। क्योंकि इस बिल के स्टेटमेंट ऑफ ओब्जेक्टस एन्ड रिज़न्स जो पोलिसी ले डाउन की है उसको इम्पलमेंट करने के लिए आप उनको रख रहे हैं। एक्स ओफिशियां मेम्बर बनाये जाते हैं, उसका उसूल यह है कि उनकी वजह से काम सुचारू रूप से चलता रहे और जो ऑर्डर्स वगैरा हों उनको वे लोग इम्पलीमेंट करा सकें, क्योंकि उन्हीं व्यक्तियों को एक्स ओफिशियों मेम्बर रखा जाता है जिनके हाथ में पॉवर हो और काम को इम्पलीमेंट करा सकें। लेकिन यहां पर आपने जो तीन महिलाओं को रखा है वे एक्स ओफिशियां नहीं हैं। एक तो नोमिनेटेड होगी और दो किसी गर्ल्स हाई स्कूल की या गर्ल स्कूल की हैड मिस्ट्रेस होंगी। आपने इस सम्बन्ध में जो पोलिसी ले डाउन की है या कर रहे हैं, उसमें आपने हेड मिस्ट्रेस को और डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन को किसी निश्चय से ही रखा है। किसी पोलिटेकनीक को आपने रखा है और किसी दूसरे विभाग के व्यक्तियों को इसमें रखा है, वह भी किसी उसूल के आधार पर ही रखा है और एक्स-ओफिशियों इसी आधार पर रखा है कि वे लोग की पोस्ट होल्ड करते हैं इसलिए वर्क के करने में या आर्डर के एग्ज़िक्युशन में देर न लगेगी। सेकन्डरी बोर्ड है उसके कमिश्नर की रिपोर्ट है उसमें साफ ले-डाउन किया है और उससे साफ जाहिर होता है कि it is not an executive body but it is a body which lays down broad policies. मगर यहां यह सेकन्ड्री एजुकेशन बिल हो रहा है, वह पोलिसी ले डाउन बोर्ड है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : No please! It is not like this.

श्री पी. के चौधरी : The Hon'ble Minister should not interrupt me. It is a matter of opinion. I have got a right to express my opinion.

श्री अध्यक्ष : Please continue.

श्री पी. के. चौधरी : (जारी) मेरी राय से मैं नहीं कह रहा हूं, यह तो मैं कमिश्नर की रिपोर्ट में से क्वोट कर रहा हूं, जिसको हमारे माननीय मन्त्री महोदय बाइबल जैसी मानते हैं।

"We consider that if secondary education is to progress on right lines, the board must be a compact body mainly composed of experts,

Page No.60

(श्री पी० के० चौधरी)

whose function will be limited to the formulation of broad policies The board is not expected to function as an executive body which is the province of the Director of Education."

तो मैंने मेरी खुद की राय तो नहीं कही है। यह राय सेकन्ड्री एजुकेशन कमिश्नर की राय है और बोर्ड कोई एग्जीक्यूटिव बोडी नहीं है। इस बोर्ड में जो भी एक्स-ओफी-शियों मेम्बर रखे जाते हैं, ऐसे लोगों को रखे जाते हैं जो ऐसे माने जाते हैं कि इस महकमे का कार्य इससे इम्पलीमेंट कराना चाहिये और उसको उस महकमे के काम को इम्पलीमेंट कराने का अधिकार होता है, उनको रखा जाता है, इसलिए यह तरीका फॉल्टी रखा गया है।

आपने यहां तीन महिलाओं को रखा है। एक हाई स्कूल की हैड मिस्ट्रेस को रखा है। मैं आपको मिसाल के तौर पर बताना चाहता हूँ कि उदयपुर में महिला मण्डल है। उस महिला मण्डल में प्रिन्सीपल है आप उसको नहीं रख कर उसकी जगह किसी दूसरे को रखते हैं; जैसे आपने रामेश्वरी नेहरू को रखा, तो मण्डल का सारा काम तो प्रिन्सीपल के हाथ में रहेगा और वह करेगा, रामेश्वरी नेहरू तो उस काम को नहीं करेंगी लेकिन आपने रामेश्वरी नेहरू को रखा। आपने नोमीनेटेड को रखा है। मगर जहां तक एक्स-ओफिशियो मेम्बर का सवाल है मैं यह कहता हूँ कि यह confusion of thought है और आपने यह डेलीबेरेटली किया है और अगर नहीं किया है तो आपका यह क्लियरिटी ओफ थोट लेकिंग है और एक्स-ओफिशियों महिला विभाग के लिये होना चाहिये, उसको आप स्थान नहीं देते हैं। इसलिये जो माननीय मन्त्री महोदय ने आरग्यूमेंट रखा है, कन्फ़-यूज़िंग है और it is lacking in clearity of thought.

दूसरी बात आपने आरग्यूमेंट को ध्यान में रखते हुए यह कही और दलील दी कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए पहले तीन वर्ष के लिये वाइस Chancellor ऑफ युनिवर्सिटी को चैयरमेन बना लेंगे। That defeats the purpose of this Bill. यह भी उचित नहीं है और इस बिल के प्रिन्सीपल और ओब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स जो आपने रखे हैं उसमें सेकन्डरी एजुकेशन कमीशन ने कहा है कि it should be free from the dominating and undue influence of the University.

उससे इसको फ्री करने का मकसद है और इसीलिये सेकन्डरी एजुकेशन बोर्ड बनाया है। कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में आगे कहा है :

"And especially in the direction of organisation and......lines of making secondary education independent of the University Education and not an adjunct to it."

यह तो आपने पहले कहा है और माननीय मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया है कि वाइस-प्रिन्सीपल को तीन साल के लिये बनाया जावेगा। हमने सिलेक्ट कमेटी में अपना फैसला कर लिया है कि वाइस प्रिन्सीपल को पहले तीन साल के लिये रखेंगे। मैं यह कहूंगा कि जब आपने यह फैसला कर लिया तो आपने यह बिल क्यों बनाया है ? बिल आपने यूनिवर्सिटी के इन्फ्ल्युएन्स को दूर करने के लिये बनाया है और आज हम चाहते है कि It should strive towards making our education as complete as possible.

(श्री पी के चौधरी)

यानि हम सेकन्डरी स्टेज में ऐसी शिक्षा देना चाहते हैं जो कम्पलीट इन इटसेल्फ हो। मगर यहां पर हमने युनिवर्सिटी की नीड को पूरा करने के लिये यह बात रखी है। हम यह चाहते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन में काफी शिक्षा लोगों को प्राप्त हो जाए और हायर एजुकेशन की आवश्यकता न रहे। हम नहीं चाहते कि हर विद्यार्थी के लिये हायर सेकन्डरी स्टेज पर शिक्षा लेना जरूरी हो जाए। हम यह चाहते हैं कि ऐसी शिक्षा हो जिससे बेकारी नहीं फैले और कॉलेजों में लोग हायर एजुकेशन के लिये न जावें। हम चाहते हैं कि it should assume such a form that it becomes complete in itself.

वही इसका कम्पलीशन हो जाए। आप यह चाहते है कि we want an autonomous Body.

यह आपका मकसद है जो आपने स्टेटमेंट ऑफ आब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में दिया है उसमें आपने कहा कि हमारा उद्देश्य शिक्षा को युनिवर्सिटी के इन्फ्ल्युएन्स से फ्री करने का है। जब आपका यह सिद्धान्त है तो मैं नहीं समझता कि आप कहते हैं उसके विपरीत, बिलकुल विपरीत एक्शन होते हैं। इसलिये जो चीज हैं वह मेरी समझ में नहीं आती है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह जो दलील दी गई है कि शिक्षा शास्त्री को चेयरमैन एपोइन्ट किया जाए बिल्कुल कन्विन्सिंग नहीं है और न इस पर हमें अमल करना चाहिये।

दूसरी बात मैं समझता हूं, इस बारे में अभी ओब्जेक्शन लेता हूँ कि जो बात मिनिस्टर साहब ने कही है कि एम० एल० ए० नहीं होना चाहिये।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : That is not his amendment. He should confine to his own amendment, what he wants to say about that.

श्री अध्यक्ष : Yes, please wind up your speech on your amendment.

श्री पी. के. चौधरी : यह बात मेरे लिये ही लागू क्यों की जाती है, दूसरों के लिये भी लानी चाहिये। It would have been more proper. I have almost completed. मैंने करीब अपना भाषण पूरा कर लिया है। इसके बारे में जो अभी पॉइन्ट ऑफ ओर्डर रेज किया गया है उसको मैं आगे जो एमेन्डमेंट आवेंगे, उसमें साफ करूंगा। मगर जो बात मैं आपको कहना चाहता हूं वह यह है कि स्त्री शिक्षा का जो अधिकार है उसके अनुसार उनको स्थान नहीं दिया गया यह ठीक नहीं है और इसके लिये जो आग्यूमेंट दिये गये, वे कन्फ्यूज़िंग हैं। बस इतना कहते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष : You still insist on your amendment?

श्री पी. के. चौधरी : I may be permitted to withdraw it.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री पी० के० चौधरी ने रखा है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पी. के. चौधरी : I withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष : Further discussion on this clause is deferred.

(विराम)

Page No.62

(श्री अध्यक्ष)

There are no amendments on clauses 5, 6, 7 and 8.

प्रश्न यह है कि क्लांजेज ५, ६, ७ और ८ स्वीकार किये जायें। क्लॉज ३ भी पास नहीं हुआ था इसलिए वह भी इसमें सम्मिलित कर लें। प्रश्न यह है कि क्लॉजेज ३, ५, ६, ७ और ८ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज ३, ५, ६, ७ और ८ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज ६, इसमें श्री पी०के० चौधरी का संशोधन है।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : I move the amendment "that clause 9 shall be retained as it was in the original Bill."

मे। यह अमेन्डमेन्ट है कि जो क्लॉज ६ है और इसकी जो लेंग्वेज है वह जिस ढंग से ओरिजिनल बिल में थी उसी को रखा जाय। क्योंकि क्लॉज ६ की जो लेंग्वेज, सिलेक्ट कमेटी अमेन्ड करके लाई है वह लीगल लेंग्वेज नहीं है। अब उसमें क्या कान्ट्रडिक्शन हैं, वह मैं सदन के मेम्बरों के ख्याल में लाना चाहता हूँ। वह जो क्लॉज ६ है वह सिर्फ मेन्डेटरी नहीं है लेकिन पर्मिसीबल भी है। इस क्लाज में जो जो फंक्शन्स हमने बोर्ड को सौंपा है उसमें सब के सब मेन्डटरी फंक्शन्स नहीं हैं और पर्मिसिबल फंक्शन्स हैं और जो क्लाज में रखा गया है वह इनेबलिंग क्लॉज़ेज बहुत से हैं। अब इसके हर फंक्शन के लिए १ से १३ तक जो 'Shall' का प्रयोग किया गया है उसमें "Secondary Eduation Board shall admit students, shall co-operate." इत्यादि इत्यादि हैं। सब बातें उसमें रखी हैं। अब फर्ज कीजिए कि "सेकेन्डरी एजुकेशन 'shall' एडमिट्स स्टूडेन्ट्स" तो मैं कल जाता हूं और जाकर कहता हूं कि आप मुझे एडमिट कर लो, the Board will have no power to refuse me.

मैं मेम्बरों का ध्यान क्लाज ५ की तरफ रेफर करता हूं। आप देखिये वह जो-क्लाज था वह इनेबलिंग क्लाज़ था। जो आरिजिनल बिल में था "The Board will have the following powers-to admit students etc." याने बोर्ड को भरती के लिए पॉवर दिया जाता है जब शैल (shall) लिखा जाता है तो लीगल पोजीशन यह होती है कि कोई भी आदमी जाकर कहेगा कि मेरी एज और क्वालिफिकेशन ठीक है और आप मुझे एडमीशन दो, तो बोर्ड उसको रिफ्यूज नहीं कर सकता। तो मैं कहता हूं कि सरकार बोर्ड बनाती है और बड़ा ही सोच-समझकर बनाती है और उसको आप इतना भी डिस्क्रिशन नहीं देना चाहते हैं कि जो किसी को एडमीशन और एग्जामिनेशन के लिए रिफ्यूज कर सके। मान लीजिए एक आदमी फोरिन नेशनल है या पाकिस्तान से आता है और वह कहता है कि हमें भरती होना है, तो आपके पूरे कानून में ऐसा कोई क्लाज नहीं है कि जिससे आप उसको एडमीशन देने से रिफ्यूज कर दें। यह बहुत ही खतरनाक है और इसका दुख आपको आगे जाकर भुगतान पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि यह जो लेंग्वेज है, यह गलत है। यहां बहुत से क्लाज़ेज हैं जैसे क्लाज-७

"co-operate with other authorities in such manner and for such

(श्री पी० के० चौधरी)

purposes as the Board may determine."

ओरीजिनल बिल में यह था "to co-operate with other authorities in such manner and for such purposes as the Board may determine."

अब वहां तो यह था, आपने आगे कर दिया :

"Shall co-operate with other authorities in such manner and for such purposes as the Boaad may determine." अब डिटरमिन तो बोर्ड करेगा और फिर आप उसके उपर 'शैल' रखते हैं। इसका मतलब समझ में नहीं आता है। आपने कहा "Mr. Choudhry shall co-operate with Mr. Tan Singh, provided that he so decides."

तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज रिडीकुलस। मैं तो इसको रिडीकुलस कहता हूं that Mr. Chowhdry shall co-operate with Mr. Tan Singh provided Mr. Chowdhry decides to co-operate. What is the sense? It will be more dignified if we say that Mr. Choudhry will co-operate with Mr. Ten Sing if he decides to do so. The language was dignified in the original Bill. लेकिन यह जो हमने सिलेक्ट कमेटी से लेंग्वेज निकाला है मैं इसको डिगनीफाइड लेंग्वेज नहीं कहता हूं। यह जो क्लाज है इसमें "शैल" का प्रयोग किया गया है। यह किसी तरह से भी पास नहीं होना चाहिए और भी बहुत से ऐसे फंक्शन्स ऐसे हैं "shall demand and receive such fees as may be prescribed" वहां पर भी उसको कोई डिस्क्रिशन नहीं रखा गया। "To Demand and receive such fees as may be prescribed". इसमें परमिसिबल क्लाज रखा जाता है। आप मुझे एक भी कानून ऐसा बता दो जहां परमिसीबल क्लाज़ेज नहीं रखे जाते हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह जो क्लाज ६ है उसको बिलकुल बदल देना चाहिए और ओरीजिनल बिल में जैसा प्रोवीजन था, वह सबसे ज्यादा अच्छा था और इसको बड़ा ही सोच-समझ कर लिखा गया था कि कुछ तो परमिसिबल क्लाज हैं, कुछ मेन्डेटरी क्लाज हैं और यह जो भाषा ओरीज़िनल बिल में रखी थी वह बराबर सोच-समझ कर रखी गयी थी। यह नहीं रखी थी, the Board will have the following powers, namely to do so and so. यह इसलिए रखा था कि बोर्ड का जो परमिसिबिलेटी का क्लाज है उसकी भाषा उठाकर बोर्ड कुछ गलत काम करेगा। मैं कहता हूं कि बोर्ड गलत काम करे तो हम उसको उठ कर देखें। आप ऐसा बोर्ड ही क्यों बनाते हैं? आप उसको अधिकार तो देते हैं लेकिन उसके लिए आप शैल लिखते हैं तो यह तो बोर्ड का एक अपमान है। यह तो हमारा भी अपमान है कि ऐसी रेस्ट्रिक्शन्स हम उस पर डालें। आप शिक्षा शास्त्री के लिए इतना चिल्लाते हैं यह उनके लिए भी अपमान की बात है। इसलिए मैं कहता हूं कि यह जो क्लॉज है यह डिफेक्टिव है इसमें बहुत सी कानूनी दिक्कतें आपके सामने आ सकती हैं और आयेंगी।

दूसरा कुछ क्लाज़ेज बताया जो रिडीकुलस हैं, जो फर्नी हैं "shall co-operate provided he himself decides to co-operate." इसका कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि यह जो क्लाज है उसको मिनिस्टर साहब डेफर कर देंगे और

(श्री पी० के० चौधरी)

सोच-समझ कर ओरीज़िनल बिल में जैसा था, वैसा ही रखेंगे।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें निवेदन है कि यह जो सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट है, उसमें क्लाज़ ६ में लिखा गया है "The Committee observes that there is no provi ision regarding the grant of certificates and diplomas to the persons who study privately or in a recognised private institution or teachers of recognised institutions and who pass the examinations of the Board. In the opinion of the Committee this is very necessary. To give effect to this view of the Committee a new part as "3A," has been added." I do not find (3A) in this Bill. तो मेरा ख्याल है कि यह कहां रह गया है, मेरे ध्यान में नहीं आता।

श्री अध्यक्ष : We will look into the papers just now, Sri Sribhan Singh,

२ ० म० प०

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो संशोधन है, वह यह है :

"to provide compulsory and free education for all children between the age of 14 and 17 years."

माननीय अध्यक्ष, अगर इस बिल का प्रीएम्बल देखा जाय तो उससे यह मालूम होगा कि जहां तक सेकन्डरी एजुकेशन का सवाल है, जहां पोलिसी के एग्जीक्यूट करने का सवाल है, यह तो सेकन्डरी एजुकेशन बोर्ड की रेस्पोन्सिबिलिटी है। जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने सेकन्डरी एजुकेशन की रिपोर्ट को कोट कर कहा कि इस बोर्ड का फक्शन है वह पोलिसी बनाने का भी है। ये सब चीजें, ये सब पॉवर्स हम बोर्ड को देते हैं तो फिर सब से पहले जो बोर्ड का फक्शन होना चाहिये, वह यह हैं कि चौदह से सत्रह साल तक के बच्चों की फ्री और अनिवार्य शिक्षा हो अगर अनिवार्य शिक्षा होती है तो वह निशुल्क भी होनी चाहिये मैंने इस प्रकार का संशोधन रखा है।

तीसरी मेरी दलील यह है कि अगर राजस्थान के अन्दर कोम्प्रीहेन्सिव एजुकेशन एक्ट होता जिससे हमारी राजस्थान की सरकार की शिक्षा-नीति जनता के सामने क्लीअर आती तो मुझे इस प्रकार का अमेंडमेंट देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस अमेंडमेंट के खिलाफ अगर कुछ कहा जा सकता है तो वह यह कि यह बोर्ड जो है, वह एग्जीक्युटिव ओथोरिटी है। जहां तक बोर्ड की रेस्पोन्सिबिलीटी का सवाल है; सेकन्डरी एजुकेशन की पोलिसी को निर्धारित करना बोर्ड का काम है। जब हम इसके फंक्शन्स में यह अधिकार दे देते हैं, मैं इस बिल की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि उस रिपोर्ट को कोट कर रहा हूँ जो पॉवर्स देते हैं, जो इसके फंक्शन्स होने चाहिये; उसमें यह भी हो कि १४ से १७ साल तक के बच्चों को फ्री और अनिवार्य शिक्षा भी दें।

हम आज कल्याणकारी राज की ओर जा रहे हैं, हम योजनायें बना रहे हैं, इरीगेशन की योजना बना रहे हैं, एग्रीकलचर की योजना बना रहे हैं, इन्डस्ट्रीज़ की योजना बना रहे हैं, हम मेटीरियल प्रोग्रेस की ओर जाने की योजना बना रहे हैं लेकिन जब तक हम मेट

(श्री श्रीमानसिंह)

रियल प्रोग्रेस के अन्दर १४ से लेकर १७ साल तक के बच्चों का सहयोग न लेंगे तब तक हम जो चाहते हैं जिस तरह की उन्नति करना चाहते है नहीं कर पायेंगे। इसलिये हमारे लिये यह जरूरी है कि १४ से १७ साल तक के बच्चों को; जो सेकन्डरी स्टेज है उनके लिये कम्पलसरी एजुकेशन बनायें । आज जो हम राजस्थान के अन्दर मेटेरियल बेनीफिट देना चाहते हैं; दूसरी तरफ कल्चरल बेनीफट अलग रख देते हैं तो हम उन्नति नहीं कर सकते । अगर हमें मेटीरियल प्रोग्रेस करनी है तो उसके साथ साथ कल्चरल प्रोग्रेस भी हमें करनी होगी, तभी हम उन्नति कर सकते है इसलिये जहां तक कल्चर प्रोग्रेस का सवाल है १४ से १७ साल तक के बच्चों के लिये अनिवार्य शिक्षा होना लाजमी है ।

चौथा आरग्यूमेन्ट जो मैंने पहले भी दिया था, वह यह था कि संविधान के अन्दर १४ साल तक के बच्चों को फ्री और कम्पलसरी शिक्षा देने का है । दूसरी तरफ हम अगर इसको पेड या कोन्ट्रीब्यूटरी फीस रख देते हैं, तो मेरी समझ में नहीं आता सेकन्डरी स्टेज के लिये टीचिंग फीस रख देते हैं तो यह संविधान के खिलाफ होगा । १४ साल तक जुनीयर सेकन्डरी एजुकेशन देते हैं और दो साल के बाद से अगर फ्री और कम्पलसरी एजुकेशन नहीं देते हैं और उसके लिये कोई सब्मीक्वेन्ट प्रोवीजन नहीं होता है तो हमारे पास कोई चारा नहीं उसकी शिक्षा की बाधा को रोकें । एक लड़का जो गरीब है, वह चौदह साल तक तो फ्री शिक्षा पा लेता है उसके बाद में उसकी आर्थिक अवस्था ठीक नहीं, तो उसको 'गुड बाई, गुड' लक कह दें । तो इसके लिये हमें आज यह रखना पड़ेगा १४ साल से आगे जुनियर सेकन्डरी स्टेज और सीनियर सेकन्डरी स्टेज दोनों को कम्बाइन्ड करके १४ से १७ साल तक के बच्चों के लिये फ्री और कम्पलसरी एजुकेशन करनी पड़ेगी । जैसा कि मैंने पहले बताया हमारा एजुकेशन का प्लान होना चाहिये और वह न्युमरिकल नहीं होना चाहिये । जितने भी स्कूल खुलते हैं और कहां कहां खुलते हैं, यह सब हमें मालूम है और मालूम पड़ भी जाते हैं, इससे जिस निर्वाचन क्षेत्र में स्कूलें खुलती हैं उससे वहां की जनता को सन्तोष हो सकता है । मगर सब से बड़ी बात जो जनता जिस जगह स्कूल नहीं खुलती है वहां की जनता यह जानना चाहती है, वहां के प्रतिनिधि यह जानना चाहते हैं कि वहां के लोगों में कल्चर लाने के लिये समाजवादी ढांचा लाने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं। सरकार कहती है कि हम समाजवादी ढांचा लाना चाहते हैं तो आखिर वे बच्चे जहां सरकार स्कूल नहीं खोलती है उनको हम क्यों शिक्षा से वंचित रख सकते हैं । अगर हमारी सरकार यह नीति घोषित कर देती है कि हम फ्री और कम्पलसरी एजुकेशन कर दें तो भी हमारी जनता को सन्तोष हो सकता है । हम यह मान सकते हैं कि हमारी सरकारी कल्चरल डेवलपमेंट की ओर प्रगतिशील है । जब हम यह नहीं देखते हैं और केवल दस स्कूलें एक जगह खोल देते हैं तो आज जहां भरतपुर में स्कूलें नहीं खोलते हैं तो सात लाख जनता वहां की जानना चाहती है कि वह दिन कौन सा आयगा, वह कौन सी लिमिट का दिन होगा जिस दिन राजस्थान सरकार यह घोषित कर दे कि इस स्टेज से कम्पलसरी और फ्री एजुकेशन होगी, हम जनतन्त्र में इग्नोरेन्स को डील विथ नहीं कर रहे हैं । हमें यह नीति बनानी होगी, हमें इसके लिये समय निर्धारित

(श्री श्रीभानसिंह)

कर देना होगा कि हम सन् ६० तक या ६२ तक सेकन्डरी एजुकेशन को फ्री और अनिवार्य कर देंगे। ताकि जनता को इस बात का तो धैर्य होजाय कि हमारी जो इग्नोरेन्स की लिमिट है वह सन् ६२ तक की सरकार ने कर दी है। हमारे यहां जो शिक्षा की न्युमिकल प्लान है, जिस जगह स्कूलें खुलती हैं और स्कूलें खोलने की बात होती है तब सरकार यह कहती है कि आर्थिक स्थिति की वजह से वह नहीं खोल सकती तो भी इस प्रकार की लिमिट बांध देने से जनता को यह तो विश्वास हो जायगा कि फिक्स्ड लिमिट के बाद तो हमारे यहां कम्पलसरी एजुकेशन हो जायगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आर्थिक हालत खराब होने की आग्युमेंट देते हैं, यह एक ऐसा आग्युमेंट है जिससे इन्कार नहीं किया जा सकता लेकिन इसके साथ साथ यह भी कहा जाता है कि जनता की मांग नहीं आती, फाइनेन्सेज नहीं होते इससे यह एटीट्यूड नजर आता है कि सरकार स्कूलें खोलती तो है लेकिन सोच कर खोलती है। इससे ऐसा मालूम होता है कि जनता पर सरकार एक प्रकार से एहसान सा कर रही है। मगर हमको अब रिअलाइज़ करना होगा, चाहे हमारी आर्थिक स्थिति हमें परमिट करे या न करे, चाहे हमें इसके लिये एजुकेशन सेस लगानी पड़े तो भी बच्चों के लिये जो अनिवार्य शिक्षा पाने का राइट है; वह देना पड़ेगा। वैसी हालत में हम जो फाइनेन्सेज की कमी की दलील देते हैं तो वह दलील स्टेन्ड नहीं करती। फिर ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक जगह स्कूल खोला जाय, दूसरी जगह नहीं यह भी नहीं हो सकेगा। जब हम किसी चीज़ को राइट मानकर चलते हैं तो उसको पूरा करना हमारी ड्यूटी है। जब हम शिक्षा को अनिवार्य बनाते हैं तो हम एजुकेशन डेमोक्रेसी को दे रहे हैं, जिस डेमोक्रेसी को हम कायम करना चाहते हैं उसी की हम शिक्षा दे रहे हैं। आखिर जब हम नये सिटीजन्स क्रिएट करने जा रहे हैं तो वैसी हालत में, जहां भरतपुर में दस लाख जनता रहती है तो उसके लिये चार स्कूलें खोलें तो वहां कितने बच्चों को शिक्षा मिल सकती है ? कितने आदमियों को डिप्राइव किया जायगा ? जब हम डेमोक्रेसी को एज्युकेट करने जा रहे हैं, जिन पर डेमोक्रेसी की रेस्पोन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो वैसी हालत में शहर के सिटीजन्स पर जो रेस्पोन्सिबिलिटी है वह गांव के रहने वाले पर भी उतनी है, इसलिये मेरा यह निवेदन है कि गवर्नमेंट कब तक इस कम्पलसरी और फ्री एजुकेशन को टालती रहेगी ? जब तक इसके लिये टाइम लिमिट फिक्स नहीं करती है, तो जो सरकार चला रहे हैं, उनको देखना चाहिये कि कब तक वे इस स्टेट के फाइनेन्सेज को सुधार पायेंगे, क्या उनके ख्याल में सन् ६० तक आर्थिक अवस्था सुधर जायगी, क्या ७० के बाद में फ्री और कम्पलसरी एजुकेशन दे सकेंगे ? क्योंकि जब ईयर टू ईयर जैसा हमारी सरकार कहती है कि "फाइनेन्स नहीं परमिट करती, फाइनेन्स नहीं परमिट करती" आर्थिक स्थिति खराब है, तो इससे जो मांग जनता की तरफ से बढ़ती जा रही है उसके लिये कोई दलील नहीं हो सकती यह आर्थिक स्थिति है। आप इस बढ़ती हुई मांग को इस दलील से कब तक रोक सकेंगे ?' उनकी जो यह मांग है, हो सकता है जब ज्यादा बढ़ जाए और जनता यह समझने लग जाय कि अब तो यह उनका हक है और उस राइट को लेने के लिये कुछ करना होगा और वह इस करने के लिये एक क्रूसेड भी

(श्री श्रीभानसिंह)

शुरू कर सकती है, तो इस हालत में मेरा कहना है कि इन चीजों को अगर इस बिल में रखना है तो इसके लिये एक लिमिट फिक्स कर देना चाहिये। मैं इस बात को मानता हूं कि यह एक दम आनन फानन (off hand) में नहीं किया जा सकता। बाहर के दूसरे जो देश हैं, उन्होंने भी इसे एक दम इन्ट्रोड्यूस नहीं किया। रूस भी ६० में फ्री करेगी पर उसने एक लिमिट तो फिक्स कर दी इससे जनता में सन्तोष तो आया। इसके बाद फ्री और कम्पलसरी एजुकेशन दी जावेगी और इस लिमिट को लाने के लिये स्टेप्स लिये।

अब अगर आप इस चीज को भी नहीं मानते और लिमिट भी फिक्स नहीं करते तो हम यह समझने को मजबूर हो सकते हैं कि सरकार जनता के राइट को एक कल्याणकारी राज देने को भी तैयार है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान का जो सबसे बड़ा एक राइट है वह है इक्वेलिटी ऑफ ऑपोरचुनिटी। हमें इसका बराबर ध्यान रखना होगा। अगर इसको हम पूरा नहीं करते हैं तो संविधान का उल्लंघन करते हैं। एक जगह एक शहर में तो काफी स्कूलें खोल देते हैं और दूसरी जगह एक गांव में या कस्बा में नहीं खोलते; तो संविधान का जो इक्वेलिटी ऑफ ऑपोरचुनिटी का राइट सबको दिया हुआ है वह हमारे गांव व देहात के बच्चों को नहीं मिलता। तो जो संविधान में इक्वल ऑपोरचुनिटी की गारन्टी है उसके हिसाब से फ्री और कम्पलसरी एजुकेशन नहीं करेंगे और इसके लिये टाइम लिमिट नहीं फिक्स करेंगे कि फलां टाइम तक हम इसे करेंगे, क्योंकि इस समय हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो आगे चलकर जनता में असन्तोष फैल सकता है। तो मेरा कहना है कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए जो संशोधन मैंने रक्खा है वह मन्जूर किया जाना चाहिये और इस तरह से संविधान में जो इक्वेलिटी ऑफ ऑपोरचुनिटी का और फ्री और कम्पलसरी एजुकेशन का राइट दिया हुआ है उसको ग्रान्ट करना चाहिये।

तो उपाध्यक्ष महोदय, सोरी, अध्यक्ष महोदय······genrally to retire by this line, sir......

श्री अध्यक्ष : I have stayed too long Today.

श्री श्रीभानसिंह : अध्यक्ष महोदय, आगे जो एजुकेशनिस्ट की ओपीनियन है, इस एज के बारे में १४ और १७ साल जिसको कि मैं फ्री और कम्पलसरी एजुकेशन सिस्टम में लेना चाहता हूं उसके लिये यह है कि एक तरफ तो डिक्टेटरशिप है और दूसरी तरफ डेमोक्रेसी है। तो डिक्टेटरशिप के अन्दर जो एडोलिसेंस पीरियड रहता है, उसमें शुरू से बेसिक स्टेज से जो चलते हैं, जो शिक्षा दी जाती है वह सबमिसिवनेस की दी जाती है। इससे एडोलिसंस स्टेज पर आते हैं तो मेन्टल आउट लुक उनका इतना सबमिसिव हो जाता है कि वे अपनी स्वतन्त्र ड्यूटीज और राइट को भूल जाते हैं, अपना स्वतन्त्र अस्तित्व खो बैठते हैं और जैसा डाइरेक्शन उनको मिलता है उसी तरह से वे काम करते हैं। मगर जब हम डेमोक्रेसी को लेते हैं तो इसके अन्दर एक डेवलपमेन्ट आफ करेक्टर परसोनेलिटी, आल राउन्ड डेवलपमेन्ट के सिद्धान्त को मान कर चलते हैं। जब यह सब मानते हैं तो यह एडोलेशन पीरियड के लिये, हमारे एडल्ट के लिये, यूथ

(श्री श्रीमानसिंह)

के लिये, हमें यह जरुर प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यह ऐसा पीरियड है कि अगर इस पीरियड में एडीकेट प्रोवीजन नहीं करते हैं तो क्या डेवलपमेन्ट होता है, यह हम नहीं कह सकते। वह ओगस्टर बन सकता है, पिक पोकेटियर बन जाता है क्योंकि इस स्टेज पर हमारे शिक्षा शास्त्रियों ने और सरकार ने अभी तक शिक्षा प्रणाली में हमारे एडोलेशन को डील नहीं किया। उसको फ्री छोड़ दिया और चूंकि पोवर्टी देश में होने की वजह से उनको प्रोपर एजुकेशन दे नहीं सके। तो यह प्रोब्लम हमारे सामने आज है। अगर यूथ को हम इस स्टेज पर निग्लेक्ट कर देते हैं तो हमारे देश की प्रगति नहीं हो सकती, हमारे प्रान्त की प्रगति नहीं हो सकती क्योंकि हमारी शिक्षा फ्री और कम्पलसरी करेंगे तो वर्किंग फिलोसफी उन्हें देंगे जिससे जो यूथ करें उसको स्टिक करें। इसके बाद लाइफ में भी एन्टर होता है तो बहुत सी demands सामने आती हैं। फेमिली को मेन्टेन करे, बाहर वर्क करे, जोब पर स्टिक करे, अपने राइट्स, ड्यूटीज या रेस्पोन्सिबिलिटी जो कुछ भी उस पर आई है उसको कैरी आउट करे और इस स्टेज पर जब हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं तो वह दिन पर दिन Delinquent डिटेक्टिव बनता जायेगा; पिक पोकेट की तरह अरेस्ट होगा, दिन पर दिन श्री ४२० की कॉपी करता रहेगा। ऐसी पिक्चरों की कॉपी करके अपना जो एक क्रीएटिव ब्रेन है उसको इस एज पर वेस्ट करता है और इससे उसका ब्रेन ही नहीं waste होता, पेरेन्ट्स की फाइनेन्स ही नहीं वेस्ट होती, पर जो नेशन की, राजस्थान की वेल्थ इन बच्चों में भरी हुई है, उसको हम वेस्ट करते हैं। इसको प्रोपरली यूटीलाइज जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमारा विकास सम्भव नहीं होगा और यही तरीका हमारा फ्री और कम्पलसरी एजुकेशन का रहेगा तो उस विकास का रास्ता भी हम उनके लिये नहीं खोल पावेंगे।

मिस्टर स्पीकर, सर, हम एक प्रोडक्टिव प्लानिंग में जो हैं, प्रोडक्टिव साइड पर एम्फेसाइज कर रहे हैं। फ्री और कम्पलसरी एजुकेशन का जहां सवाल आता है हम वहां फाइनेन्स की दुहाई देते हैं, पर हम यह नहीं देख पाते कि इसकी प्रोडक्टिव वेल्यु भी है, इसके अलावा इसकी सिक्योरिटी वेल्यु भी है। अब जैसा मैंने पहले रेफर किया इस तरह से जब तक हम इस क्रीएटिव वैल्थ को या प्रोडक्टिव वेल्यु को वेस्ट करते जावेंगे तो इससे प्रोडक्टिव वेल्यु तो कम होगी ही, हम सिक्योरिटी वेल्यु को भी खो देंगे। मैं सिक्योरिटी वेल्यु को रेफर करता हूं। उनकी ऐसी एक्टीविटीज़ से हमारी नेशन को, हमारी स्टेट को नुकसान पहुंचेगा, उनकी ये एक्टीविटीज़ हमारी सिक्योरिटी वेल्यु के लिये भी डेट्रीमेन्टल हो सकती हैं। उनको अगर ठीक शिक्षा नहीं मिली और उनकी जो creative energies हैं उनको ठीक यूटीलाइज़ नहीं किया, ठीक दिशा में नहीं मोड़ा, ठीक तरह से चैक और guide नहीं किया तो फिर वे करेंगे क्या? यही करेंगे। इसलिये शिक्षा की जो सिक्योरिटी वेल्यु है, उसको हम यूटिलाइज़ करना चाहते हैं तो वह तभी हो सकता है जब हम १४ से १७ साल के बच्चों के नेचुरल डेवलपमेन्ट के लिये अपनी रेस्पोन्सिबिलिटी समझें और इसके लिये क्रूसेड करें। इसी तरह से आप अपनी पोलिसी ले डाउन करें।

(श्री श्रीमानसिंह)

जो रशिया का एग्जाम्पल सब तरफ से दिया जाता है यह क्यों, इस पर हमें सोचना पड़ेगा ? एक तरफ रशिया है, दूसरी तरफ हमारी वेस्टर्न डेमोक्रेसी है। दोनों ने काफी तरक्की की है, सभी डाइरेक्शन्स में की है। पर वेस्टर्न डेमोक्रेसी की तरफ एट्रेक्ट न होकर हम रशियन डिक्टेटरशिप की तरफ क्यों एट्रेक्ट होते हैं। क्यों बार बार लोग इसके लिये अपना लाइकिंग बताते हैं कि आप इसको कापी करिये ? इसके लिये मैं आपको बताऊं। वे इसलिये इसे लाइक करते हैं कि वेस्ट में जो कल्चरल डेवलपमेन्ट है या civilisation की heritage है तो इनको वही possess कर सकता है जो एक particular क्लास का या लीजर क्लास का हो वह काम यही class समझती है तो मुझे अगर उस देश के कल्चरल डेवलपमेन्ट को, संस्कृति को, विज्ञान को अन्डरस्टेन्ड करना है तो उस एक क्लास में जो होना पड़ेगा उनको देखना होगा, जो आइवरी टॉवर में बैठे है वही इस स्टडी कर सकते हैं और रिसर्च करते हैं। उनकी एक स्पेशल क्लास बनी हुई है. मासेज से उनका कोई कनेक्शन नहीं। आप उसे कल्चरल सिविलाइज़ेशन कहिये, उसको एक्सक्लूज़िव possession एक क्लास का कर दिया है वह उनका वेस्टर्न्स का एप्रोच है। इस वास्ते मासेज़ उसको लाइक नहीं करते।

दूसरी तरफ रशिया का जो प्रिन्सिपल ऑफ एप्रोच है वह है यूनीवर्सिलिज़्म का। वह यह नहीं चाहते कि जो काम हो या किया जाय उसको एक पर्टिक्युलर क्लास या पर्टिक्युलर इन्डिविज्युअल करें या उसमें कहीं कोई इन्डिविज्युएलिज़्म या परटीक्यूलरिज़्म हो। उसके अन्दर एक मास एजुकेशन है जो वे करते हैं, जो उनका प्रोडक्शन है वह चाहे कल्चरल डेवलपमेन्ट का हो, आर्ट का हो, म्यूज़िक का हो, साइन्स का हो चाहे फिज़िकल कल्चर का हो, कुछ भी डवलपमेन्ट हो, उसमें सब का हिस्सा होता है, कोई रोक किसी के लिये नहीं है, सब दिशाओं में. जो भी डेवलपमेन्ट वे करते हैं, उसे युनीवर्सल टच देकर करते हैं, मासेज़ की दृष्टि से करते हैं।

तो अगर हम वेस्टर्न की पालिसी फोलो करते हैं तो एक एक्सक्लूज़िव क्लास को preference करते हैं। सेकन्डरी एजुकेशन में कौनस बेनिफिट होगा जो अफोर्ड कर सकेगी, वह क्लास, जो क्लास अफोर्ड कर सकेगी, जो पैसा दे सकेगी, वही पढ़ सकेगी, वही ऊंचे जोब में जा सकेगी और जो गरीब हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते वे इसका बेनीफिट नहीं उठा सकेंगे, उनके लिये चिल्डरन बरडन हैं और पैसा नहीं होने से वह पूअर क्लास अपने बच्चों की तरफ इन्डिफरेन्ट एप्रोच रखते हैं, उनके मीन्स जो हैं, सरकम्सटान्सेज जो हैं बच्चों के डेवलपमेन्ट के लिये उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते, वे अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते। तो अगर फिर उन बच्चों के लिये, जिनके कि पेरेन्ट्स के सरकम्सटेन्सेज़ परमिट नहीं करते कि जिससे कि उनका मेन्टल डेवलेपमेन्ट हो उनके लिये हमने क्या प्रोविज़न किया है ? यह है वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ में और रूस के अन्दर डिफरेन्स। रूस में जो काम किया जाता है, वह मासेज़ के दृष्टिकोण को लेकर काम किया जाता है। इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हम सेकन्डरी एजुकेशन कायम कर रहे है, बोर्ड कायम कर रहे हैं और प्रिएम्बल को

(श्री श्रीमानसिंह)

इस तरह से कोम्प्रिहेन्सिव डिफाइन कर दिया है, विशेष पॉवर्स दे देते हैं तो हमें एक टोन ओफ युनिवर्सेलिज्म लाना पड़ेगा। अगर हमें डेमोक्रेसी को कायम रखना है, तो वह हम तब ही रख सकते हैं जब कि वह मासेज़ को अपील करे, वह किसी पर्टीकुलर क्लास के लिए ही न हो, स्कूल खोलें वह मासेज़ के लिए खोलें, कल्चरल डेवलप्मेन्ट, चाहे आर्ट्स हो, म्युज़िक हो, सब के लिए हों, अगर देश को उन्नत करना है तो उनको मासेज़ के पजेशन में लाना पड़ेगा, यदि एक पर्टीकुलर क्लास के पजेशन में रखेंगे तो डेव्लप्मेन्ट नहीं कर सकेंगे। क्यों कम्पलसरी होना चाहिए ? इसको लोग ओब्जेक्ट करते है, मैंने कम्पलसरी इसलिए इसे free रखा है कि पेरेन्ट्स ओब्जेक्ट न करेंगे। अगर १४ से १७ साल के बच्चे के लिए करते हैं तो आपको कम्पलसरी और free भी करना पड़ेगा।

अन्त में मैं यह कहता हूँ कि अगर देश में प्रजातन्त्र को चलाना है, सिक्योरिटी मेन्टेन करनी है, अगर इग्नोरेन्ट democrates पैदा करेंगे, मासेज़ को इग्नोरेन्ट रखेंगे तो जनतन्त्र कायम नहीं रख सकते क्योंकि वे इसकी वेल्यू नहीं समझ सकते। जब शिक्षा भविष्य में free & composulsary होगी और इस स्टेज पर डेमोक्रेसी की वेल्यु समझें तो कहीं वह स्टेज़ पर कहीं टू लेट लेट हो जावेंगे।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन मेरे माननीय मित्र श्री श्रीमानसिंहजी ने सदन के सम्मुख रखा है और उसके सम्बन्ध में आपने जो अनेक प्रकार की दलीलें दी हैं, आपने उन पर विशेष रूप से ध्यान खींचा है, उन तमाम बातों को सुनने के बाद मैं निवेदन करूंगा कि फ्री और कम्पलसरी एजुकेशन के लिए आपने बताया, उसको कैसे पूरा कर सकते हैं, इस बिल के जरिये इसमें यह बताया गया है। भारतीय संविधान में एक सीमा निर्धारित कर दी गई है। लक्ष्य भी हमारे सामने है और उस लक्ष्य की अवधि भी हमारे सामने है। सवाल यह है कि हम राजस्थान में एक सेकन्डरी एजुकेशन बोर्ड बना रहे हैं। उस बोर्ड के द्वारा यदि मैं यह कहूं कि १४ से १७ साल के बच्चे को फ्री और कम्पलसरी एजुकेशन देते हैं, संविधान की विधि द्वारा देते हैं, तो मैं समझता हूं, सब व्यावहारिक दृष्टिकोण से और समीचीन दृष्टिकोण से, यह उचित नहीं होगा। फ्री, निःशुल्क शिक्षा का सवाल, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने प्रारम्भ किया है। आठवीं कक्षा तक, यानि माध्यमिक शिक्षा तक, उसके जरिये निःशुल्क शिक्षा का मंगलाचरण हो चुका है और यदि माननीय मित्र के विचारों को उद्धृत करूं तो वे यह मानते हैं कि आठवीं कक्षा तक राज्य सरकार निःशुल्क शिक्षा देती है और इस दृष्टि से ११-१२ साल के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिल जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर निःशुल्क शिक्षा के लिए अलग अलग सोचें तो मैं समझता हूं कि यह उपयुक्त नहीं होगा। निःशुल्क शिक्षा देना एक दूसरी बात है और अनिवार्य (अपरिहार्य्य) शिक्षा देना दूसरी बात है। सिद्धान्ततः हमारी कामना की दृष्टि से जो मेरे माननीय मित्र ने बातें रखी हैं उनसे मैं इन्कार नहीं करता, आप इसको इनकार नहीं करते, हम इन्कार नहीं करते और भारत का संविधान भी इन्कार नहीं करता। उसका जो निर्दिष्ट सिद्धान्त है, वह है १४ वर्ष तक के

Page No.71

(श्री जनार्दनराय नागर)

बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दें और क्रमशः श्रेणी के द्वारा, विकास की गति के द्वारा हमें अनिवार्य शिक्षा तक पहुंच जाना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में २५ लाख बच्चों का ऐसा सवाल आता है जिनको हमें स्कूलों में भेजना है। इतनी कोशिश करने पर भी, बृहत् राजस्थान के निर्माण के पश्चात् से लेकर कोशिश करने के पश्चात् भी, केवल ६ लाख बच्चों को ही स्कूल भेज पाये हैं। अभी हमारे सामने काफी बच्चों को स्कूल भेजने का प्रश्न है। २५ लाख बच्चों के लिए आवश्यक स्कूलों का प्रावधान अभी हम नहीं कर पाये हैं। आज हम यह सोचें कि अनिवार्य शिक्षा बोर्ड को दे देना चाहिए, विधान द्वारा कर्तव्य के रूप में उसको रखना चाहे तो मैं समझता हूँ, हमारा उद्देश्य बहुत अच्छा होते हुए भी हमारी कामना (स्तुत्य) होते हुए भी उसको व्यावहारिक दृष्टिकोण से पूरा नहीं कर पायेंगे। अगर हमारे ऊपर अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेदारी आज ही डाल दी जाय तो थोड़े दिनों बाद ही हम कहने लग जावेंगे कि यह व्यावहारिक नहीं है। जब निःशुल्क शिक्षा की बात आती है तो आर्थिक, सामाजिक और कई कठिनाइयां हमारे सामने आती हैं।

अध्यक्ष महोदय, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के साथ साथ समाज के समस्त परिवर्तनों का प्रश्न भी जुड़ा हुआ है। शिक्षा के माने केवल यह नहीं हैं कि स्कूल का मकान खड़ा कर देना या उसका पोषण कर देना। जो शिक्षा-पद्धति हमारे यहां चल रही है, जिसको माध्यमिक प्रणाली से जोड़ा हुआ है, उसका पूरा सदुपयोग या फायदा इसलिए नहीं उठा पाते हैं कि हमारी आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि उनसे पूरा फायदा उठा सकें। अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने यह सवाल भी है कि जो स्कूल खोल रखे हैं उनमें अधिक से अधिक बच्चे जावें और खास कर जो महिला-बच्चे हैं उनका अधिक से अधिक शिक्षा दे सकें। अभी शिक्षा सलाहकार बोर्ड का अधिवेशन हुआ था और उसके सामने भी यही प्रश्न था। एक समस्या है कि जहां अधिक से अधिक स्कूलें खुल गई हैं, उनमें आस पास के गावों से बच्चों को भेजना।

इसके दो तरीके हैं। माननीय श्री श्रीमान सिंहजी चाहते हैं कि उनको अनिवार्यतः भेजें। अगर राजस्थान सरकार अनिवार्यतः भेजना शुरू कर दे तो उस अनिवार्य को अनिवार्यतः करने के लिए राज्य को प्रबन्ध करना पड़ेगा। यह तो ऐसी बात हुई कि शराब बन्दी राज्य के कई भागों में की गई लेकिन लोग गैर कानूनी रूप में शराब बनाते हैं और उसको रोकने के लिए सरकार को काफी बड़ी मशीनरी का प्रावधान करना पड़ा। अगर आप अपरिहार्य्य (अनिवार्य) शिक्षा लागू करते हैं तो यह मान कर चलना भी पड़ेगा कि आप शिक्षा के प्रशासनिक विधायक पहलू पर भी खर्चा करना चाहते हैं, अनिवार्यतः जो बच्चे नहीं आवेंगे उनको लाने के लिए भी खर्चा करना पड़ेगा।

आज राजस्थान के सामने दो मुख्य प्रश्न हैं। एक तो शिक्षा का विस्तार और दूसरा उसमें परिवर्तन का सवाल। यह आज हम इस समय विधि-विधान के रूप में उठायें तो यह सामयिक नहीं होगा।

दूसरा प्रश्न यह रहता है कि कौन से स्कूलों को बच्चों के लिए अनिवार्यतः शिक्षा के करना चाहिए, बहुत सी बातें हमारे माननीय मित्र ने कहीं। रूस का उदाहरण उन्होंने दिया,

(श्री जनार्दनराय नागर)

पश्चिमी जनतन्त्र का उदाहरण उन्होंने दिया। मैं निवेदन करूंगा कि शिक्षा का जो सवाल है वह वर्ग विशेष का सवाल नहीं है, शिक्षा का सवाल है वह जन समाज का सवाल है। आज हम, चाहे भारतवर्ष हो, चाहे रूस हो, चाहे एशिया महाद्वीप हो, चाहे पश्चिम हो, निस्संदेह एक बात की तलाश में लगे हुए हैं, वह तलाश है मानवता की तलाश। आज यह सच है कि शिक्षा के द्वारा यह प्रयोग करना चाहते हैं, नया मनुष्य प्राप्त करना चाहते हैं, एक मनुष्य में नई आत्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, इतने महान् मनोरथों को सिद्ध करने के लिए कई तरह के साधन चाहिये, जो साधन हैं उनकी व्यावहारिकता को ध्यान में रख कर चलना पड़ेगा।

सबसे पहले यदि राज्य सरकार इतना ही कर दे कि आगामी पांच वर्षों में, द्वितीय पंचवर्षीय आयोजन समाप्त हो तब तक २५ लाख बच्चों में से १५, १६ या २० लाख बच्चों को स्कूलों में भेज दें, तो मैं समझता हूं कि राज्य सरकार बहुत बड़ा काम करेगी।

फिर हमें अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा के साथ में यह सोच कर फैसला करना चाहिए कि आखिर शिक्षा की वर्तमान पद्धति में क्या ऐसे परिवर्तन करें कि जिससे हमारे नौजवान बच्चे, एडोलिसेन्ट, बच्चे किस प्रकार से अपने चरित्र का विकास करें? इसलिए मेरी यह निश्चित राय है कि इस सम्बन्ध में इस बोर्ड के संविधान को बनाते समय, बोर्ड को उत्पन्न करते समय, बोर्ड को जिम्मेदारी दे दें कि निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का काम भी साथ में करें। तो मैं मानता हूं कि वह अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं हो सकता। इसमें बोर्ड का प्रश्न हमारे सामने नहीं आता है। यह तो राष्ट्रीय नीति का सवाल है। यह सरकार के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है, सरकार के द्वारा आधारित किया जा सकता है। यह एक बड़ी नीति का सवाल है। मैं समझता हूँ कि हायर सेकन्डरी बोर्ड पर हम यह कर देते हैं वह स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा करें, अनिवार्य शिक्षा चालू करें तो बोर्ड के ऊपर इतना वजन लाद दिया जायगा जो कि हमारी सरकार राजस्थान में उठा नहीं सकती। हमारी सरकार का सवाल ही क्या, भारत सरकार भी यह चाहते हुए, संविधान की मार्गदर्शक चेतावनियों के होते हुए भी, संविधान में अवधि दिये जाने पर भी, यह महसूस कर रही है कि १७ वर्ष या १४ वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्यतः स्कूलों में भेजना आज मुमकिन नहीं है। अभी हमको आज़ाद हुए १० वर्ष हुए है। १० वर्ष के काल में हम यह कहने लग जाय कि हम अनिवार्य शिक्षा देने का काम शुरू कर दें तो हम अपने आप से बहुत कुछ चाहते हैं जिसको कि हम पूरा नहीं कर सकते हैं। फिर रूस के सवाल को लेते हैं तो रूस की प्रगति कोई ४० वर्षों के काल में हुई है। केवल यह कह देना कि रूस के अन्दर एक बात हो रही है उस बातको सांगोपांग भारतवर्ष में लें, ठीक नहीं है। रूस से प्रेरणा लेने का सवाल है, तो वह उचित प्रेरणा लेने का सवाल है, उन सारों को लेने में दिक्कत पड़ेगी। मेरे माननीय मित्र से कहना चाहूँगा कि जब स्वयं उन्होंने यह कहा कि रूस में तमाम बच्चों को अनिवार्यतः शिक्षा ६० तक देने की अवधि कायम की गई है, उनकी इस सूचना से मुझे आश्चर्य हुआ। मैं तो समझता था कि वहां पर अनिवार्यतः सब बच्चों को स्कूल में भेजे जाने की व्यवस्था होगी। वहां भी अनिवार्यतः सब बच्चों को नहीं भेजा जा रहा है।

Page No.73

(श्री जनार्दनराय नागर)

तो, अध्यक्ष महोदय, आप भारतवर्ष में अनिवार्यतः सब बच्चों को स्कूलों में भेजना चाहते हैं तो इससे आप गांवों को बदलना चाहते हैं। गांव का जो आर्थिक ढांचा है, सामाजिक ढांचा है, वहां की जो पुरानी रूढ़ियां हैं, पुरानी परम्पराएं हैं, जब तक हम उनको नहीं बदलेंगे तब तक अपने बच्चों को ग्रामीण, जिसमें महिला-बच्चे भी होंगे और पुरुष-बच्चे भी होंगे, उसमें भेजना नहीं चाहेंगे। आप यह बात नहीं कर सकेंगे कि पुरुष बच्चों को तो अनिवार्यतः भेजना चाहेंगे और महिला बच्चों को अनिवार्यतः नहीं चाहेंगे। मैं आपके जरिये सदन से कहना चाहूँगा कि ग्रामीण ही क्यों शहरी बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेज सकते हैं। जयपुर में जितने महिला बच्चे हैं हम उनको जयपुर के स्कूलों में नहीं भेज पाते हैं। आपने जहां इस सवाल को उठाया कि प्रत्येक लड़के व लड़की को स्कूल में अनिवार्यतः भेजा जायगा तो आपको समाज का विरोध सहन करना पड़ेगा। यह प्रश्न केवल सरकार के आदेशों द्वारा तय होने वाला नहीं है, केवल इस सदन के द्वारा तय होने वाला नहीं है। यह प्रश्न तो सामाजिक क्रान्ति का सवाल है। आज एक सवाल चल रहा है हमारी राज्य सरकार के सामने और हम लोगों के सामने भी है। हम यह महसूस करते हैं कि आठवीं कक्षा तक लड़कों और लड़कियों की साथ साथ सहशिक्षा चालू हो, लेकिन जब व्यावहारिक दृष्टि आती है हम कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारी सामाजिक अवस्था पिछड़ी हुई है। भारतीय समाज की दृष्टि, मुझे क्षमा किया जाय, यदि मैं कहूँ तो, महिलाओं के प्रति बहुत पिछड़ी हुई है। वह मानवीय दृष्टि हमारी नहीं है जो कि व्यवहार के लिए, जो कि सत्यसंवृत विकास की दृष्टि से बिल्कुल वैज्ञानिक है। महिलाओं को भारतीय समाज अलग बता कर चल रहा है। महिलाएं पिछड़ी हुई हैं। वे एक प्रकार से हमारी संपत्ति रही हैं। हम तुलसीदास जी को मान कर चलने वाले लोग हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है कि संपत्ति की हिफ़ाज़त करो। भारतीय लक्ष्य के वे बाहर नहीं निकल सकती हैं। यदि हमने १०-११ साल के महिला बच्चों के लिए कोई प्रयत्न किया तो समाज का विरोध और विवाद हमारे सामने आयेगा। इसलिए अनिवार्य बना देने की बात कहेंगे कि तमाम बच्चों को स्कूल में भेजो तो हमारी पिछड़ी हुई आदत है, और हमें समाज से वह टक्कर लेनी पड़ेगी।

इस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि इसमें इस समय बोर्ड को यह कहे कि अनिवार्यतः शिक्षा दो, ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ हमें रुकना चाहिए, हमारे रास्ते में दिक्कतें हैं। मैं नहीं कहता कि हमारा अनिवार्य शिक्षा का जो मकसद है, वह गलत है। मैं मानता हूँ कि एक अवधि के अन्दर राजस्थान को वह काम करना पड़ेगा।

आज अपने हाथ में इस बात का अधिकार आते हुए भी, जब हमारे सामने सवाल आता है २५ लाख बच्चों का, जिन्हें हमें स्कूलों में भेजना है तो दूसरे पंचवर्षीय आयोजन में नहीं भेज पायेंगे। हमारे राजस्थान राज्य की आर्थिक और सामाजिक प्रगति ऐसी नहीं होगी कि तमाम बच्चों को स्कूल में भेज पायेंगे। इसलिये यदि कोई कहे कि कुछ इलाकों में, कुछ क्षेत्रों में अनिवार्य शिक्षा का प्रयोग करें तो यह बात कुछ समझ में आती है, लेकिन बोर्ड को आज कहें इस संशोधन के द्वारा कि प्रारम्भ से ही अनिवार्य शिक्षण का प्रबन्ध कर दे तो वह बोर्ड कर नहीं पायेगा।

(श्री जनार्दनराय नागर)

फिर आर्थिक सवाल हमारे सामने है। आज हम यह कहें कि आर्थिक कठिनाइयों को हमको मानना नहीं चाहिये और आर्थिक कठिनाइयों के होते हुए भी उसको करना चाहिये, लेकिन मेरे मित्र मानेंगे कि आर्थिक कठिनाइयां बहुत ही वज़नी कठिनाइयां हैं। आखिर स्कूल खोलने के लिये पैसा चाहिये। हमें मास्टरों को देना पड़ेगा और स्कूल का भवन बना देवें और केवल मास्टर भेज दिया तो उससे भी शिक्षा का प्रश्न हल नहीं होगा। हमें उसमें निरन्तर विकास करना पड़ेगा जिसके लिये हमें उन्हें निरन्तर योग्य से योग्य साधन देने पड़ेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान की इतनी क्षमता है कि हमारे स्कूलों के अन्दर जो अध्यापक हैं, उनका निरन्तर विकास हो सके, उनका प्रशिक्षण कर पायें। उसमें लिखा हुआ है, उस विधि में लिखा हुआ है कि आज हज़ारों स्कूल ऐसे हैं जिनमें आज भी पूरी सुविधाएं हम दे नहीं पाये हैं, न पूरी सामग्री है। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि पहले हमें राजस्थान राज्य की आर्थिक क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। यदि आप और हम इस बात से असहमत हैं तो फिर शिक्षा का सपूचा प्रश्न जनता पर छोड़ना पड़ेगा। राज्य जितनी मदद कर सकता है उतनी मदद करेगा बाकी जनता स्वयं ही अपने संगठनों के द्वारा, स्वयं के आयोजन के द्वारा शिक्षण दे। इस सिद्धान्त की राज्य मन्जूरी दे। मैं समझता हूँ कि ऐसी संभावना पैदा नहीं होती है, तभी आप शिक्षा को अनिवार्य रूप में कर सकेंगे। लेकिन आज मैं मानता हूँ कि जनता के संगठनों पर यदि शिक्षा के सवाल को छोड़ देंगे तो भी उसमें एक अरसा लगेगा जब कि हम शिक्षा को अनिवार्य बना पायेंगे।

यह कहा जाता है कि हमारे बोर्ड बच्चों का चरित्र निर्माण नहीं करते हैं। आज हमारी जो शिक्षा पद्धति है, उसमें मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे शिशु, हमारे बच्चों, हमारे पौगंड, नौजवान, हमारे परिपक्व नौजवान और यहां तक मुझे मालूम हुआ है कि अर्ध वृद्ध, वृद्ध और अतिवृद्धों की शिक्षा का प्रयास हमारे सामने नहीं आया है। शिक्षा को यदि पोद पौधा मानकर चलें तो मां के पेट में जब बच्चा आता है तब से उसकी शिक्षण की व्यवस्था करनी पड़ेगी। रूस के अन्दर, जहां तक मेरी सूचना है मां गर्भावस्था में होती है तब से मां के प्रशिक्षण का सारे का सारा इन्तजाम राष्ट्रीय आधार पर होता है। रूस की बात आप करना चाहते हैं लेकिन अपने समाज को आप उस ढांचे में ढालने के लिये तैयार नहीं हैं। क्या हम अपनी सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन करने को तैयार हैं? वहां पर जिस प्रकार से घरों का इन्तजाम है, जिस प्रकार से समाज की नई प्रक्रिया को वहां पर कायम किया गया है, क्या हम उस पर चलने को तैयार हैं? हम बिल्कुल तैयार नहीं हैं। आज हमें परम्पराओं पर खुले तौर पर मानने वाले लोगों की आवश्यकता है। यह बात जरूर है कि नई विचार-धारा हमारे दिमाग और दिलों से टकरा रही है। इधर उधर से आई हुई नई ज्योति हमारे मन के अन्धकार को दूर करने लगी है, लेकिन हमारी गति बड़ी सुविख्यात गति है। हम प्रसिद्ध हैं इस बात के लिये कि हम नई नई आशाओं और नये नये स्वप्नों के सामने पुरानी स्मृतियों पर ज्यादा ध्यान लगाते हैं।

इसलिये मैं यह मानता हूँ कि यदि यह संशोधन मंजूर किया गया तो अनिवार्यत: हम ऐसी कठिनाइयें बोर्ड के लिये पैदा करेंगे जिसके कारण जो सारा मकसद है, वह ऐसे

(श्री जनार्दनराय नागर)

प्रचंड भार के नीचे दब जायगा जिसके कारण बोर्ड अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पायेगा। इसलिये मेरी राय है कि इस मामले को राज्य पर छोड़ना चाहिये। यह जिम्मेदारी राज्य की है, यह सारे राजस्थान की जिम्मेदारी है और समस्त भारत राष्ट्र की जिम्मेदारी है। आज यदि कहें तो होने वाली चीज नहीं है। हमारे जीवन की प्रगति का सवाल है, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक प्रगति का सवाल है। वह सवाल प्रकारान्तर में धीरे धीरे हल होने वाला है। इसलिये मैं यह कहूँगा कि जहां तक आपके सिद्धान्त और मनोकामना का सवाल है, हम पूरी तरह से सहमत हैं। कोई बोर्ड यह नहीं चाहेगा कि हमारे बच्चे पढ़ने नहीं जावें, हममें से आज कोई नहीं चाहेगा कि हमारे बच्चे शिक्षित नहीं हों। लेकिन अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य को दे दें तो न्याय करना चाहते हुए भी उनके साथ न्याय नहीं कर पायेंगे। इसलिये मैं माननीय मित्र से यह कहना चाहूँगा कि तमाम अवस्थाओं को देखना होगा, शैक्षणिक क्षेत्र में जो प्रगति हो रही है उसको देखना होगा और हमारे देश की जो परिस्थिति है, उसको देखते हुए मैं अपने मित्र से यह कहूंगा कि इस संशोधन को मंजूर करवाकर भी आप जो चाहते हैं वह पूरा नहीं कर पायेंगे और अनेक बाधाओं को कम से कम पैदा न करना चाहकर भी आप पैदा करेंगे।

जहां तक निःशुल्क शिक्षा का सवाल है राज्य ने बहुत अच्छा प्रारंभ किया है। इस पर की कइयों का मतभेद है। वास्तव में १० वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिये, लेकिन ८ वीं तक निःशुल्क शिक्षा का प्रबन्ध किया है, तो राज्य को बधाई देनी चाहिये। अब सवाल यह है कि निःशुल्क शिक्षा का फायदा कौनसा वर्ग उठाता है। लेकिन धीरे धीरे सभी वर्ग उसका फायदा उठाते हैं। आज कहीं पर प्राथमिक शाला की मांग की जाती है, तो कहीं माध्यमिक शाला की मांग की जा रही है। जहां प्राथमिक शाला चलाई जायगी वहां पर भवन की मांग की जायगी और कभी कभी मास्टरों की मांग की जायगी। ऐसा अनुभव है कि जनता की मांग है कि हमारे यहां माध्यमिक शाला बननी चाहिये तब सरकार ने कहा कि आप भवन दें। यदि राज्य पैसा मांगता है मास्टरों के खर्चे के लिये तो मुझे मालूम नहीं। लेकिन आज जनता की प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता को पूरा करने के लिये राज्य को नीति बनानी पड़ी है। पहले जनता १०० में से ५०, ६० ७० का खर्चा करे तब जाकर राज्य स्कूल खोलेगी। मैं चाहता हूं कि साधारण जनता अधिक से अधिक शिक्षा में दिलचस्पी लेने लगे। आज यह कहें कि अमुक अपर वर्ग ही शिक्षा से फायदा उठाता है। मैं कहूंगा कि अतीत की परिस्थिति वश ही अपर वर्ग फायदा उठाता है। लेकिन निम्न श्रेणी के बच्चे भी अधिक फायदा उठाने लगेंगे। यह तो आशा और उम्मीद का सवाल है। आज अपनी मनोकामना की तीव्रता द्वारा यह कहें कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सभी वर्गों को देनी चाहिये तो मैं कहता हूं कि इसके लिये हमें १५ या २० करोड़ का बजट बनाना पड़ेगा। हमारा शिक्षा का बजट ५, ६ करोड़ का हुआ है। यदि आप अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा चाहते हैं तो कम से कम २० करोड़ से कम का बजट आपका नहीं होगा। हमारे समस्त राजस्थान की आय आज २० करोड़ से अधिक नहीं है। इसलिये इस सवाल पर ध्यान देना ठीक नहीं है। जब हम १० करोड़ का बजट बना पायेंगे तब १२ लाख

(श्री जनार्दनराय नागर)

बच्चों को शिक्षा दे पायेंगे। अभी ६ करोड़ के बजट में ६ लाख बच्चों को पढ़ा पाते हैं। १२ करोड़ का बजट जब बना पायेंगे तब १८ लाख बच्चों को पढ़ा पायेंगे। आप व्यावहारिक बात को जानते हैं। आपको अनुभव है। मैं कोई राज्य की वकालत नहीं करता। ऐसी मेरी आदत भी नहीं है।

कुछ माननीय सदस्य : वकील नहीं होते हुए भी वकालत करते हैं।

श्री जनार्दनराय नागर : (जारी) वकालत करना मैं समझता हूं अच्छा काम है या नहीं है, लेकिन राज्य के आवश्यक कर्त्तव्य है, जिनको वह किसी कारण से पूरा नहीं कर सकता, ऐसी परिस्थिति होते हुए भी माननीय सदस्य आज ऐसी व्यवस्था दे दें जिसको पूरा करने में वह समर्थ न हों तो हम अपने ही प्रति न्याय नहीं करते। लेकिन जो प्रतिभा जागृत हुई है और जो महत्वकांक्षा है वह शुभ है, इससे अधिक मैं कुछ नहीं कहता सिवाय इसके कि आप महानुभाव इसको प्रेस नहीं करें। जबर्दस्ती कर्त्तव्य लाद देंगे तो उन्हें पूरा करना कठिन हो जायगा। माध्यमिक शिक्षा का नवीन अनुवेक्षण कर नये तौर से शिक्षण देना चाहते हैं, जिनको शिक्षा देना चाहते है कम से कम उनको शिक्षा दें। आज निःशुल्क और पर्याप्त शिक्षा देनी चाहिये लेकिन निःशुल्क हम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन एक हद तक निःशुल्क कर दी है। माध्यमिक शालाओं और कालेजों का विस्तार बढ़ाने से ही खाली मतलब नहीं है। आज शिक्षा में चरित्र निर्माण की भी आवश्यकता है। इसलिये मैं समझता हूँ आपने जो प्रोग्राम रखा है वह समय से बहुत पहले है।

श्री अध्यक्ष : क्लॉज ६, सब-क्लॉज (३) (ए) के बारे में माननीय सदस्यों ने पूछा था; उसके बारे में स्पष्टीकरण दे दूं। गलती से यह क्लॉज सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में छप नहीं सका और कोरिजेन्डम के रूप में बांट दिया है जो इस प्रकार है :

"The following part '(3 A') may be read after part (3) in clause 9:—

"(3A) Grand certificates and diplomas to such persons as-(a) have pursued a course of study in a recognised institution, (b) are teachers of recognised institutions, or (c) have studied privately under conditions laid down in the regulations, and have passed the examination of the Board."

क्लॉज ६ का सब क्लॉज (३ए) भी विचाराधीन है; इसका पार्ट समझा जावे।

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज ६ आज विचाराधीन है और इस क्लाज ६ में बोर्ड की शक्ति एवं कार्य विधि का तरीका निर्दिष्ट किया गया है, इस हिसाब से यह क्लॉज एक प्रकार से सारे बिल का कलेवर बन जाता है। इस विषय में कतिपय संशोधन पेश हुए हैं और काफी दलीलें इसके विषय में पेश हुई हैं। इस क्लॉज से मूलभूत एक विशेष प्रकार की माध्यमिक शिक्षा पद्धति की ओर इस बोर्ड की जिम्मेदारी होगी, इसको निर्दिष्ट करना इसकी जिम्मेदारी होगी। एक ऐसी शिक्षा पद्धति जो हमारे राष्ट्रीय मानस एवं चरित्र का नवीनीकरण कर सकती है, एक ऐसी शिक्षा पद्धति, हमारे मानस में जो कालाबाजार की भावना है उसको निर्मूल कर सके, एक ऐसी शिक्षा

(श्री नारायण सिंह)

पद्धति जो राष्ट्रीय भावना का हमारे में प्रादुर्भाव कर सके, आज तक मैं कहूँगा कि जिस राष्ट्रीय भावना का हमारे एक भी व्यक्ति और एक भी नागरिक में प्रादुर्भाव नहीं हो पाया है, उसका निर्देश हम देते हैं। हमारे निकट जातीयता और अन्य वातावरण का बड़ा आकार बनकर सामने आता है और गंदा वातावरण पैदा होता है, उसको दूर करता है। इस शिक्षा पद्धति के द्वारा हम एक ऐसा मानस तैयार करना चाहते, हैं एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहते हैं जो हमारी पंचवर्षीय योजना के साथ समाविष्ट हो सके। सहज रूप से हमें आज टेक्निशियन्स, इंजीनियर्स और इस प्रकार के लोगों की ज्यादा आवश्यकता है, बजाये एकेडेमिशियन्स के और बजाय क्लर्क पद्धति की शिक्षा के। इस विचार से आज इस क्लॉज़ की मार्फत इस बोर्ड पर एक भारी जिम्मेदारी आ जाती है, एक नवीन शिक्षा पद्धति का निर्माण करने की परीक्षा पद्धति के विषय का भी इस बोर्ड को निर्देश करना पड़ेगा। परीक्षा पद्धति आज मारे देश में विचित्र प्रकार की है जिसके कारण आज कठिनाइयां उपस्थित होती हैं। आज देखा यह है कि जो बालक या जो विद्यार्थी किताब को रट रटाकर परीक्षा को पास कर लेते हैं, उसके द्वारा पारंगत हो सकते हैं। लेकिन ऐसे कई विद्यार्थी जिनका बौद्धिक विकास काफी हुआ है, लेकिन परीक्षा के समय किसी खास कारण से या चित्त के संघर्ष से यदि पूरी तरह से पारंगत नहीं हो सके तो उसी तरह रह जाते हैं। परिणाम यह होता है कि ऐसे व्यक्तियों को हताश और मायूसी का सामना करना पड़ता है और हमें यह खबरें सुननी पड़ती है किसी बिल्डिंग पर कोई छात्र चढ़ कर गिर पड़ा, उसने आत्मघात कर लिया। अथवा ऐसी परिस्थिति पैदा होती है कि जिसमें उसके व्यक्तित्व का विकास उस मायूसी में घुल मिल कर समाप्त हो जाता है और बड़े संकुचित प्रकार का व्यक्तित्व उसके अन्दर बच रहता है। तो इस शिक्षा पद्धति से जो बुरा असर हो रहा है, वह हमारे सामने है। इसके ऊपर बोर्ड को इस धारा के अधीन स्वतंत्रता से विचार करने का अवसर मिलेगा। अभी हाल ही में मेरी रशियन कल्चरल टू एम्बेसी, श्रीमती डोब्रशेल्सकाया से बातचीत हुई, कि रूस में माध्यमिक शिक्षा की तरफ किस प्रकार का कदम उठाया जा रहा है और शिक्षा पद्धति की तरफ किस प्रकार की विचार धारा बनाई जा रही है। उन्होंने बताया जो माध्यमिक शिक्षा वहां निर्माण की जा रही है, उसमें उद्योग एवं प्रत्यक्ष क्रिया के ऊपर जोर दिया जा रहा है। जैसे कोई विद्यार्थी इन्डस्ट्री की तरफ जाता है, तो उसे बाकायदा फैक्ट्री में रख कर अनुभव दिया जाता है, जो कृषि की तरफ रुचि रखता है, उसको बाकायदा खेत में हल जोत कर अनुभव प्राप्त करने का अवसर दिया जाता है। इस प्रकार यदि होता है तो माध्यमिक शिक्षा के अन्दर हमारे पूर्ण व्यक्तित्व को विकास करने का अवसर मिलता है और माध्यमिक शिक्षा समूचे और सम्पूर्ण रूप से विद्यार्थी के लिए पूरी हो सकती है। इस प्रकार के प्रत्यक्ष अनुभव पाठ्यक्रम के बाद वह किसी भी प्रकार के जीवन-यापन के साधनको अख्तियार कर सकता है, जीवन की किसी धारा में स्वतंत्र रूप से वह जा सकता है। इसके बाद वह युनिवर्सिटी स्टेज में जाये, या न जाये, किसी विषय में स्पेशिलाइज करे या न करे, उन्होंने और कहा कि परीक्षा पद्धति में भी उन्होंने बड़े मौलिक परिवर्तन लाने की कोशिश की है। परीक्षा प्रपंच आज हमारे यहां इतना बढ़

(श्री नारायणसिंह)

गया है कि उसका परिणाम यह होता है विद्यार्थी को हर ६ महीने में, हर ३ महीने में परीक्षा का सामना करना पड़ता है । वास्तव में परीक्षा के लिए तैयारी करते हुए वह अपने स्वत्व को ही खो बैठता है। वास्तव में पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना जरूरी है, जो व्यक्तित्व आध्यात्मिक, मानसिक, व्यावहारिक, मौलिक सब प्रकार का हो; व्यक्तित्व का विकास पूरा पूरा रहे। ये सब बातें छोड़ कर आज हम किसी प्रकार की भी शिक्षा पद्धति रख लें, सब प्रकार के व्यक्तित्व के विकास के साधन भी रख लें, लेकिन फिर भी इस परीक्षा के लिए ऐसा ख्याल हो जाता है कि विद्यार्थी को किताबों का कीड़ा होकर, उस परीक्षा को सफल बनाने की ही फिक्र रह जाती है । तो हर तीसरे महीने, हर ६ महीने में परीक्षा होती है, हर साल परीक्षा आती है, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार स्वतंत्र व्यक्तित्व विद्यार्थियों में निर्मित हो सकता है ? उनका व्यक्तित्व इन परीक्षाओं में घुल मिल कर संकुचित रह जाता है । इस विषय में जो रूस अथवा अमेरिका ने विचारधारा निर्माण की है, जो प्रयोग किये हैं, वे इस प्रकार के हैं कि एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने के लिए ही परीक्षा आवश्यक होती है और दूसरे स्तर में जाने के लिए उस परीक्षा को अनिवार्य माना गया है; जैसे हमारे यहां प्राइमरी, (प्राथमिक) और माध्यमिक शिक्षा के बाद यूनिविसिटी स्टेज आती है; जैसे प्राइमरी के अंत में और माध्यमिक के अंत में परीक्षा का अवसर आता है । आज आवश्यकता यह है कि परीक्षा के अन्दर समूचे व्यक्तित्व का विकास हुआ है या नहीं, यह जांचने की आवश्यकता है ।

२. ५५ म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

२. ५६ म० प०

हमें आज केवल पेपर निर्धारित कर परीक्षा लेने में ही संतोष नहीं करना चाहिए। आज आवश्यक यह है कि हम यह देखें कि विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास और चारित्रिक गठन कितना हुआ है, उसमें रेगुलर हेबिट कितनी आई हैं, व्यावहारिक ज्ञान कितना हुआ है, उसकी तन्दुरुस्ती किस प्रकार की है, व्यवहार किस प्रकार का है, इसके साथ ही किताबी ज्ञान कितना है, इसकी परीक्षा टेस्ट के जरिये हमेशा होती रहे ।

श्री सतीशचन्द्र : On a point of order. There seems none on tho Treasury Benehes.

एक माननीय सदस्य : अभी तशरीफ ला रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Are you holding a brief on his behalf ?

एक माननीय सदस्य : Yes, sir.

श्री उपाध्यक्ष : Yes please. resume your debate.

श्री नारायणसिंह (जारी) : फिर हैल्थ चार्ट, करेक्टर चार्ट, रोजाना के व्यवहार का चार्ट और साथ ही साप्ताहिक टेस्ट इत्यादि से भी उसके किताबी ज्ञान की प्रगति का ध्यान रखा जाय। तो इस परीक्षा को अलग कर देते हैं तो प्राइमरी के अन्त में व प्राथमिक शिक्षा के अंत में या माध्यमिक शिक्षा के अन्त में जब विद्यार्थी आता है, तो बाकायदा परीक्षा दे सकता है। इस प्रकार के विचार दूसरे देशों में हो रहे हैं, तो हमारे बोर्ड की जिम्मेदारी भी अधिक हो जायगी कि वह भी इस पर विचार करे ।

Page No.79

(श्री नारायणसिंह)

इसके साथ ही साथ अध्यापकों की योग्यता के सम्बन्ध में भी बोर्ड के कंधों पर जिम्मेदारी आयेगी। विशेष चीज जो आज शिक्षा के अन्दर है, वह यह है कि हमारे अध्यापक योग्य होने चाहिए। आज हमारे अध्यापकों का मानसिक विकास, चारित्रिक विकास जो है वह इस प्रकार का है, उसके बारे में ज्यादा डिटेल में कहने की आवश्यकता नहीं है, वह इस प्रकार का है कि बड़े ही खराब उदाहरण वे विद्यार्थी वर्ग के सामने रखते हैं....

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : On a point of order, Sir, on what amendment the Hon'ble Member is speaking ?

श्री नारायणसिंह : में इसक्लाज के....

श्री सतीशचन्द्र : मैं समझता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री नारायणसिंह : मैं इस क्लॉज़ के द्वारा यह बताना चाहता हूँ कि इसका क्या महत्व है ? और दूसरे क्लॉज़ेज़ हैं, क्लॉज़ ४ है, क्लॉज़ १५ ए है, उनके साथ ही इस पर विचार होना चाहिए, मैं इस विषय पर आ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble Minister incharge of the Bill expects your speech to be shorter; that is the only intention.

श्री नारायणसिंह : खैर। मैं इन विषयों में अधिक नहीं जाऊंगा। यह शिक्षा नीति का विषय है। यह संशोधन आया है, वह नीति निर्दिष्ट करता है।, मैं मानता हूं कि नीति अलग चीज है और व्यवस्था अलग चीज है। जिस बोर्ड का निर्माण हो रहा है, शिक्षा व्यवस्था के लिए निर्माण हो रहा है, इसमें नीति का विषय हम अधिक घुसेड़ नहीं सकते। हमें व्यवस्था सम्बन्धी अधिक बातें बतानी होंगी। यह अनिवार्य शिक्षा का सवाल है और यह बहुत जरूरी है और इसे बहुत ही धीरे तरीके से हल करने की आवश्यकता है। हमारे फन्डस क्या हमें अलाऊ करते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, यह दूसरी बात है। हमें प्राथमिकता इस बात को देनी है कि अगर हम देश को ऊपर लाना चाहते हैं, तो चरित्र और मस्तिष्क के निर्माण और विकास की आवश्यकता होनी चाहिए; दूसरे देशों की राष्ट्रीयता की भावना के बराबर अपने देश को हम ला सकें। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जहां नीति का विषय है, वह काम राज्य का हुआ, हमें बोर्ड को नीति का ज्ञान कराना पड़ेगा, उस नीति को प्रयोग में लाने का काम बोर्ड का होगा। हम आज उस ओर ज्यादा ध्यान दें।

इस क्लॉज़ का जहां तक विषय है, उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ कि जो क्लॉज़ ६ है, इसका क्लॉज़ चार और आगे क्लॉज़ १५ ए से बहुत निकट का सम्बन्ध है, क्योंकि आज हमारे समाने जो सेकन्डरी एजुकेशन बिल है, उसमें दो प्रकार के बोर्ड बताये गये हैं, एक तो टीचर्स ट्रेनिंग के लिये व्यवस्था है और दूसरा बोर्ड प्रशिक्षा के लिए बनाया जायेगा। विद्यार्थियों की प्रशिक्षा किस प्रकार से हो और शिक्षकों, प्रशिक्षकों की प्रशिक्षा किस प्रकार से हो, इन दोनों पर विचार करें। मैं क्लॉज़ चार के सम्बन्ध में बता चुका हूं। इसलिए हम यह न भूल जायं कि इन दोनों धाराओं में कोऑर्डीनेशन, संयोजन तत्व लाना आवश्यक है। हम क्लॉज़ ४, ६ और १५ ए की छान-बीन करेंगे तो देख सकेंगे कि

(श्री नारायणसिंह)

ऐसे तत्व रह जाते हैं जिनके सम्बन्ध में इन दोनों बोर्ड् स में कोऑर्डिनेशन विशेष तौर पर लाना जरूरी है। जैसे इसमें एक क्लॉज़ इस प्रकार का हो सकता है कि :—

"to draw the Schemes and conduct examinations for secondary grade teachers and untrained teachers".

अब यह चीज मैं इसमें अदम मौजूद देखता हूँ और मैं समझता हूं कि अगर हमें इस बोर्ड का संयोजन करना है, जो नितान्त आवश्यक है, तो हमें इन बातों का भी, इन ३ क्लॉजेज़ का विचार करते हुए, इन बातों को भूलना नहीं पड़ेगा। इसलिये मेरी दर्खास्त यह है कि क्लॉज़ ४, ६ और १५ ए को एक साथ विचार में लिया जावे और इस समय इनको डेफर किया जावे। इन तीनों क्लॉजेज़ को, मैं तो यही प्रकट करूंगा कि, सारे बिल को देख लें, इसके बाद इन तीनों क्लॉजेज़ को अलग देखें। फिर जिस विधि से निर्माण करना चाहते हैं, परस्पर इनका सम्बन्ध देखते हुए, इनका पुनर्निर्माण करें, मेरा खास निवेदन यही है।

बाकी संशोधन आये हैं, बड़े उचित मालूम पड़ते हैं, वहां यह भी देखना है कि जो नीति के सवाल हैं उन्हें बोर्ड की व्यवस्था के बारे में घुसेड़ने की कोशिश नहीं करना चाहिये।

(श्री दयाकृष्ण विजय और श्री मूलचन्द डागा के बोलने हेतु एक साथ खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Member on my left, Shri Vijay.

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष, अभी चेप्टर सैकिन्ड का क्लॉज़ ६ हमारे सामने है, इसमें यह संशोधन मूव किया गया है :

"Provide compulsory and free education for all children between the age of 14 to 17 years."

आज अपनी स्वतंत्रता के १० वर्ष बीत जाने के बाद, हम अपने देश की शिक्षा की प्रगति पर विचार कर रहे हैं। वैसे कुछ समय पहले इस पर विचार हुआ होगा पर राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा का संगठन करने के लिये जो यह बिल हमारे सामने है, इसकी महत्ता को स्वीकार करते हुए, जो संशोधन मेरे एक माननीय सदस्य ने पेश किया है कि राजस्थान के अन्दर १४ से १७ वर्ष की आयु वाले बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिये, मैं इसका समर्थन करता हूँ। इस मत से सभी माननीय सदस्य सहमत होंगे कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है अपने देश की संस्कृति, अपने देश के धर्म और देश का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने किसी प्रकार अपने लड़कों को ज्ञान करा सकते हैं तो शिक्षा के द्वारा करा सकते हैं। मैं और आप भूले नहीं हैं कि अंग्रेज जब यहां आये और उन्होंने अपनी पश्चिमी सभ्यता का प्रसार भारत में करना चाहा तो मैकॉले ने यह कहा कि यदि आप भारत में अंग्रेजी राज्य और संस्कृति को ज्यादा समय तक रखना चाहते हैं तो आपको यहां पर अंग्रेजी भाषा का प्रचार करना चाहिये और ऐसा ही किया गया। हमने इसे पढ़ा और आज यह भाषा हमारे मस्तिष्क पर ऐसी छा गई है कि हटाये नहीं हटती। यदि हम चाहते हैं कि भारत का सच्चा स्वरूप हमारे बच्चों को, हमारी आने वाली पीढ़ियों को कराया जाय, यदि आप चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढियां

(श्री दयाकृष्ण विजय)

अपने पैरों पर खड़ी हों, हमारे भारत का निर्माण करने के लिये जो बड़ी बड़ी योजनाएं आती हैं, उनको आने वाली पीढ़ियां अपने हाथों में लें लें और वे सफल हों तो इसके लिये जरूरी है कि भारत देश का सच्चा स्वरूप उनके सामने रखा जावे और बच्चों के दिलों में देश के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति-भावना जगाई जाय। यदि बच्चों के सामने इन बातों को नहीं रखेंगे, तो आज जिस प्रकार का भ्रष्टाचार और घोटाले की बातें हमारे सामने आती हैं, यही कारण है कि योजनाएं तो बड़ी बड़ी ले ली हैं, पर जिनके हाथों में ये बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, वे लोग ऐसी सभ्यता में पले हुए हैं, उनको शिक्षा इस प्रकार की दी हुई है कि उनके दिलों में भारत के प्रति श्रद्धा और भारत को ऊंचा उठाने की भावना नहीं है। आज शिक्षा के माध्यम से ही इन बातों को रखना चाहते हैं, आज हमारे देश में प्रशिक्षण में में जो दोष है, उनको दूर करना चाहिये। आज हमारे देश में सबसे बड़ा दोष जो छाया हुआ है, वह है निरक्षरता का। हमारा भारत ज्यादा कर के गांवों और झोंपड़ियों में बसा हुआ है, झोंपड़ियों में जो गुदड़ी के लाल छिपे हुए हैं, उनको शिक्षा के माध्यम से खोज निकाल सकते हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियों में, गांवों में, झोंपड़ियों में नई योजनाओं को कामयाब बनाने की और देश का निर्माण करने की लगन पैदा हो, इन झोंपड़ियों में और गांव गांव में बैठे निरक्षर, भीलों, छोटी जातियों को, दलित जातियों को उठायें तो उनमें शिक्षा का प्रसार करना आवश्यक है। मेरे एक बन्धु ने कहा कि बजट में बड़ी भारी कमी है; बजट की बड़ी बड़ी समस्याएं हमारे सामने हैं कि यदि अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा रखी जाय तो ३० करोड़ का बजट बनाना पड़ेगा। जिन माननीय सदस्य ने ऐसा कहा वे शिक्षा शास्त्री हैं, शिक्षा के प्रसार में सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति हैं, उनके मुंह से यह बात सुन कर कि बजट में गुंजायश नहीं है इसलिये बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा नहीं देनी चाहिये, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। यदि हम चाहते हैं कि हमारा देश अपना भार अपने कंधों पर उठा कर चले, हमारे देश में नया जागरण और नई चेतना पैदा हो, हमारी धरती पर उगता हुआ पूर्व से नया सूर्य दिखाई दे तो आवश्यक है कि हमारे बच्चों के लिए कम्पलसरी और निःशुल्क एज्युकेशन की व्यवस्था की जाय। जब तक गांव में रहने वालों के लिए कम्पलसरी एज्युकेशन, निःशुल्क एज्युकेशन की व्यवस्था नहीं करते हैं तब तक मैं समझता हूं, फिर जो कुछ हमारी योजनाएं हैं, वे सफल नहीं हो सकती। मेरी यह धारणा है, मैं यह विश्वास लिये चलता हूं कि यदि भारत को अपनी संस्कृति, धर्म और व्यवहार का ज्ञान हो जाय तो भारत अपने आपको बनाने में, अपने आपको मिटा देने की क्षमता और लगन पैदा कर सकता है; और यह लगन साहित्य से ही पैदा हो सकती है, साहित्य ही वह चीज है। संस्कृत के महाकवि भवभूति ने साहित्य का महत्व बताते हुए एक श्लोक कहा है :

"साहित्य संगीत कला विहीनः
साक्षात् पशु पुच्छ विषाण हीनः।"

आज हमारी जनता को, आजादी के १० वर्ष बाद भी सोते हुए रखना चाहते हैं तो फीस बन्द न करें और ज्याद फीस लगा दें, ताकि केवल पैसे वाले लोग अपने बच्चों को पढ़ा सकें। यदि राजस्थान की निरक्षता को मिटा कर नवीन राजस्थान का निर्माण करना चाहते हैं

Page No.82

(श्री दयाकृष्ण विजय)

तो आवश्यक है कि राजस्थान में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दें।

इस प्रकार मेरे माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करता हूँ।

(श्री मूलचन्द डागा और श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी के एक साथ बोलने खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात बिल्कुल साफ है कि शिक्षा का सारा भार सरकार पर पड़ेगा, खर्च का और सारी दूसरी बातों का। पर एक बात से सरकार इन्कार नहीं कर सकती कि यदि हमें देश में जाग्रति लाना है राजस्थान जैसा देश, जिसमें रूढ़िवाद है, परम्पराओं का, रूढ़ियों का देश है, इसमें हम यह चाहते हैं फ्री एन्ड कम्पलसरी एज्युकेशन होनी चाहिये तो मुझे इस बात के लिये कहना पड़ता है कि हमारे यहां के एक शिक्षा शास्त्री ऐसी बात कह गये कि यदि वे यहां होते तो मैं उनके सामने ऐसे विचार रखता पर वे इस समय यहां नहीं हैं। उनकी बातों से ऐसा मालूम हुआ कि वे इनकी अभिलाषा के प्रति, इच्छा के प्रति, भावनाओं के प्रति स्वागत करते हैं और साथ ही साथ कहते हैं कि सेकन्डरी एज्युकेशन का एक उद्देश्य है, एम है, ओब्जेक्ट है, पर भावना के साथ ही साथ उस भावना को क्रियान्वित करने में वे हिचकिचाते हैं। मुझे मालूम नहीं होता कि उनके भाषण का क्या मतलब था ? उनके भाषण में ओझ हो सकता है, उनके भाषण में मौलिकता हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, मगर वे इस युग की बात कर रहे हैं। १० वर्ष बाद, जब हिन्दुस्तान आजाद हो चुका है तो हमारा सबसे पहला काम यह रहे कि इस मुल्क में अशिक्षा का जो अन्धकार है वह दूर हो और उसको अगर हम कम्पलसरी एज्युकेशन करके दूर नहीं कर सकते तो क्या हम समझते हैं कि हम हमारे उद्देश्यों की पूर्ति कर सकेंगे ? मैं यह समझता हूं कि आप यह कहते हैं कि हमें धीरे धीरे चलना है, धीरे धीरे चलने वाला कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। जो घोड़ा हरदम चाबुक चाहता है वह अपने निश्चित स्थान तक बहुत देर से पहुंचता है। अब आप यह चाहते हैं कि हम धीरे धीरे शिक्षा का प्रसार करेंगे। मैं यह कहूंगा कि इस प्रकार धीरे धीरे काम करने से हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

आपका प्रश्न तो खर्चे का था, मगर मैं यह कहूंगा कि एक तरफ तो राजस्थान सरकार कितने टैक्स लगा रही है। आप देखेंगे कि पंचायत अपना टैक्स अलग वसूल करती है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अपना टैक्स अलग लेता है और म्युनिसिपेलिटी अपना अलग टैक्स वसूल कर रही है ! इतने टैक्सेज होते हुए भी यह कहना कि खर्चा बर्दाश्त नहीं हो सकता; मैं यह कहूंगा कि यह छोटे छोटे बच्चों के तालीम का प्रश्न है, इसको तो पंचायतें और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और नगरपालिकाएं बर्दाश्त कर सकती है क्योंकि जब इस प्रकार आप टैक्स वसूल करना चाहते हैं तो हमारी सरकार को चाहिये कि लोक राज्य कायम करने के लिये बच्चों की पढ़ाई का प्रबन्ध करे। वे लोक कल्यानकारी राज्य की भावना रखने वाले अलग अलग अपनी फ्री और कम्पलसरी एज्युकेशन चला सकते हैं। जब वे प्राइमरी एज्युकेशन फ्री चला सकते हैं तो फिर सेकन्ड्री एज्युकेशन के बारे में ही रह जाता है और सेकन्डरी एज्युकेशन का भार ही सरकार पर रह जाता है। जब सरकार यह कहती है

(श्री मूलचन्द डागा)

कि नीति और व्यवस्था में फर्क होना चाहिये तो मैं यह कहूँगा कि आप व्यवस्था किस बात की बनाना चाहते हैं? उसी चीज की व्यवस्था बनती है जिसकी नीति होती है और जब आप नीति निर्धारित कर चुके हैं कि prlmary education, compulsory and free, हो तो इसे कौने कौने में चलाना चाहिये। मैं समझता हूँ कि यह जो मानव की शक्ति है उनको नष्ट होने से बचाना चाहिये क्योंकि जितने लोग शिक्षित होते हैं उतना ही अच्छा काम करते हैं। आप देखेंगे कि किसान लोग अच्छा नाज पैदा नहीं कर सकेंगे, मगर जब उनको शिक्षा दी जावेगी तो वे अपना उत्पादन बढ़ावेंगे। आज इस मामले में आपके सामने कठिनाइयों के पहाड़ खड़ा करते हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि कमालपाशा अगर यह समझता कि उसके सामने कठिनाइयों के पहाड़ हैं तो वह कुछ काम नहीं कर सकता था। आज आप राजस्थान में मनुष्य की शक्ति का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। वह आप तभी कर सकते हैं जब मनुष्य में ज्ञान हो, मनुष्य शिक्षित हो। मेरे खयाल से जो लोग मिलों में काम करते हैं, अगर वे लोग ज्ञान प्राप्त किये हुए हों तो आधा घन्टे में इतना काम कर सकते हैं जितना १२ घन्टों में दूसरे लोग करते हैं जो अनपढ़ हैं। यह इसलिये कि दोनों के काम करने का तरीका भिन्न होगा। तो मेरी प्रार्थना यह है कि जिस बात के लिये हमारे माननीय शिक्षा शास्त्री ने नीति और व्यवस्था में अन्तर बताने की बात कही यह उचित नहीं है। मैं तो यह कहूंगा कि इससे स्पष्ट मालूम होता है कि सरकार में इसकी ताकत नहीं है। सरकार यदि चाहे कि हम राजस्थान में इसको शुरू कर देते हैं तो देश में जागृति पैदा हो जाती है, देश में इन्कलाब आता है, क्रान्ति आती है मगर जो रूढ़ियें हैं, उनको हटाना होगा। इसके लिये भी हटाने का तरीका होगा। यदि आज यह कहते रहेंगे कि धीरे धीरे यह हो जायगा मगर समय जरूर लगेगा, आप विचार करते रहेंगे, सोचते रहेंगे तो सोचते और विचार करते रहें मगर वह कार्यान्वित कभी नहीं होगा। जिन शब्दों में आप इसके लिये कठिनाइयां कहना चाहते हैं मेरे विचार से मैं यह कहूंगा कि आप अपने इरादे के कम मजबूत हैं। मैं यह कहूंगा कि जो कठिनाइयों के पहाड़ खड़े किये गये हैं, जो बड़ी २ समस्याओं को बताने की कोशिश की है, मैं समझता हूँ कि किसी भी रूप में सेकन्डरी फ्री एन्ड कम्पलसरी एज्युकेशन में बाधा पैदा नहीं कर सकता। एक बात आपने मानी है कि जो नागरिक हैं उनको अन्न, कपड़ा देना चाहिये। मैं समझता हूं कि अनाज और कपड़ा के साथ साथ उनको शिक्षा देना भी जरूरी है। जिन लोगों को आप मनुष्य कहते हैं, उनके लिये एज्युकेशन भी जरूरी है। एक तरफ तो आप उनको अच्छे नागरिक बनाना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हमारी आर्थिक दृष्टि से हम इसको चालू नहीं कर सकते। मैं आपसे अपील करता हूँ कि राजस्थान सरकार अपने दूसरे खर्चे जो चढ़े बढ़े हैं, उनमें कमी करके प्राथमिक शिक्षा पंचायतों और नगरपालिकाओं के जिम्मे छोड़े और उनको इसका अधिकार सोंपा जावे और उन पर जोर डाला जावे और कहा जाए कि अपनी अपनी तहसीलों में, पचायतों में प्राइमरी एज्युकेशन का भार वे संभालें, तो सेकन्डरी एज्युकेशन का भार राजस्थान सरकार अच्छी तरह से संभाल सकती है।

श्री अनूपसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, ट्रेज़री बेंचेज़ पर कोई मिनिस्टर नहीं है?

श्री उपाध्यक्ष : He has just sought relief for five minues.

Page No.84

श्री अनूपसिंह : ऐसा हो सकता है कि...

श्री उपाध्यक्ष : It is not intentional.

श्री अनूपसिंह : Under the rules...

श्री उपाध्यक्ष : Just a departure from the rule for five minutes. I think the House will be agreeable to it. Yes, to resume the debate.

श्री मूलचन्द : बम्बई प्रान्त में जब शराब बन्दी के बारे में कहा, मैं आपसे इस सम्बन्ध में अपील करना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य ने जो कहा वह उचित नहीं हो सकता क्योंकि शराब बन्दी और शिक्षा की व्यवस्था में जमीन आसमान का अन्तर है। राजस्थान का जो प्रदेश है....

श्री श्रीभानसिंह : On a point of order, the Hon' ble Deputy Minister is not here.

श्री उपाध्यक्ष : The point has already been raised.

श्री श्री भानसिंह : But it is very derogatory.

श्री उपाध्यक्ष : The House had been agreeale to give him relief for five minutes.

श्री श्री भानसिंह : The Hon'ble Member must sit down, so that the Hon' ble Minister may hear his arguments in favour of and against the amendment.

श्री उपाध्यक्ष : Resume the debate, Mr. Mool Chand.

श्री श्रीभानसिंह : But for whom ?

श्रीमती गौरी पूनिया : वे कह कर गये हैं कि अभी आ रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : He is to resume the debate. His arguments will be heard by the Hon'ble Minister. The House would relax...

श्री अनूपसिंह : माननीय सदस्य के स्थान पर कोई दूसरे मन्त्री उपस्थित होते....

श्री उपाध्यक्ष : इसमें कोई तकलीफ नहीं है। हर आदमी को हमदर्दी होती है।

श्री श्रीभानसिंह : In that case two Ministers must be present so that one could go and the other may remain for taking down notes.

श्री उपाध्यक्ष : For future I may mention that some Member from the Treasury Benches should be present when the Bill is discussed but. (Shri Poonamchand resumes seat) Yes, resume the debate.

श्री मूलचन्द डागा : जब सरकार यह भी कह रही है कि अभी योजना का युग है और इस युग में आप खेती के सम्बन्ध में योजना बनाते हैं कि इस साल इतना धान पैदा हुआ, अब इतना पैदा कर दिया जावेगा। आपकी हर स्कीम में योजनाएं हैं तो फिर शिक्षा मन्त्री जी योजना नहीं बना सकते हैं कि हम हमारे समूचे राजस्थान में शिक्षा का अभाव है उसमें इतना काम कर सकेंगे। आपने मुझे एक आश्चर्यजनक बात बताई कि इसमें कोई उद्देश्य नहीं मालूम होता। यह तो उनका कार्य करने का तरीका है लेकिन मैं समझता हूँ कि जो बिल है उसमें साफ लिखा है :—

"Whereas with a view to develop the system of secondary educa-

(श्री मूलचन्द डागा)

tion in the State on modern, scientific and progressive lines."

यह उद्देश्य है, यह आपकी घोषणा है, है, यह आपकी नीति है; तो एक तरफ तो आप कहते हैं कि हायर सेकिन्डरी एज्युकेशन का बिल केवल व्यवस्था बतलाता है, मैं समझता हूं कि आप एक प्रकार......

श्री जनार्दनराय नागर : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह बात कभी नहीं कही। मैंने यह कहा था कि कम्पलसरी और फ्री एज्युकेशन का जो सवाल है, हायर सेकेन्डरी एज्युकेशन का बाद में है, पहले सरकार का है।

श्री मूलचन्द डागा : मैं माननीय सदस्य को याद दिलाऊं इस बात के लिए कि आपने कहा था कि नीति बना सकते हैं, राष्ट्र की नीति बना सकते हैं; यह राष्ट्र की नीति है लेकिन जहां तक हायर सेकेन्डरी एज्युकेशन का बिल है यह केवल एक व्यवस्था है। यह आपके शब्द थे। मैं मानता हूं कि नीति तो साफ है लेकिन राष्ट्र की नीति को इस बिल के अन्दर भी आपने दरशाया है कि राष्ट्र को नीति क्या है। आप एक प्रोग्रेसिव लाइन पर सारे राजस्थान की शिक्षा को चलाना चाहते हैं। आपने इस उद्देश्य की तारीफ की थी, आप इस उद्देश्य से सहमत थे और मैं चाहता हूं कि जब आप इस उद्देश्य को मानते हैं, आप इसके सुनहले स्वप्न देखना चाहते हैं और उन सुनहले स्वप्न को आप कार्य-रूप में परिणत करते समय कठिनाइयां पैदा करना चाहते हैं और कहते हैं कि हमारी आर्थिक कठिनाइयां हैं; आज राजस्थान में ऐसे कई लोग हैं जो शिक्षा के नाम पर काफी पैसा खर्च कर सकते हैं। पंजाब एक प्रांत है, पंजाब के अन्दर शैक्षणिक संस्थायें कई दूसरे लोगों के द्वारा चलाई जाती हैं। पंजाब में आर्य समाज नाम की जो जनता की संस्था है उसकी सैकड़ों स्कूलें देश में चलती हैं। अगर हमारी सरकार इस बीड़े को उठाये, एक निश्चय को अपने हाथ में ले कि हम समूचे राजस्थान में कम्पलसरी और फ्री एज्युकेशन लागू करना चाहते हैं तो राजस्थान में ऐसे लोग हैं, ऐसे धनीमानी लोग हैं, ऐसी संस्थायें हैं और सरकार की यदि दृढ़ नीति है तो उनके जरिये और खुद की नीति के जरिये, समूचे राजस्थान में कम्पलसरी और फ्री एज्युकेशन चालू की जा सकती है। उसका परिणाम यह होगा कि आपके उत्पादन में वृद्धि होगी, आपकी आमदनी में वृद्धि होगी और आपकी फाइनेन्शियल हालत अच्छी होगी। मगर आप इसमें दिक्कतें केवल इसलिए पैदा करना चाहते हैं क्योंकि आप में काम करने की ताकत की कमी है और ताकत की कमी होने के बाद आप एकदम उस चीज पर आ जाते हैं जिसे व्यावहारिक कहते हैं। व्यावहारिक कहां तक चलेगी? व्यावहारिकता के पीछे आज हम अपने देश में अन्धकार रखना चाहते हैं, क्योंकि हम शिक्षाशास्त्री हैं और वही ठेकेदारी रखें ताकि जनता अज्ञान बनी रहे और डेमोक्रेसी जिसे प्रजातंत्र कहना चाहिए वह ठीक तरह से न पनपने पाये और हम उसी जगह रहें ताकि दूसरे लोग अशिक्षित बने रहें; अन्यथा हमारी सरकार को जब इस प्रकार की बात कही जाती है कि हमारी सरकार शिक्षा में बहुत उन्नति कर रही है। हम भी मानते हैं कि बहुत कुछ किया है लेकिन मैं यह कहता हूं कि आप कहने में क्यों हिचकिचाते हैं कि अगर फ्री एण्ड कम्पलसरी एज्युकेशन भी सरकार कर लेती है तो सरकार की उन्नति में चार चांद लग

(श्री मूलचन्द डागा)

जाते हैं, आप ही सोचिए। अखबार वाले क्या, प्रेस वाले क्या बड़े बड़े प्रान्त भी इस बात के लिए शिक्षा लेंगे कि राजस्थान जो इतना पिछड़ा हुआ प्रान्त है उस प्रान्त ने एक ऐसा बिल पास किया है जिसमें क्रान्ति है, इन्कलाब है। आप एक मात्र आर्थिक स्थिति के लिए कहते हैं। मैंने आपसे अर्ज किया कि आपकी नयी व्यवस्था आ रही है। आप गांवों को डीसेन्ट्रेलाइज़ड करना चाहते हैं। आप बोर्ड बनाना चाहते हैं और बोर्ड के अलावा छोटे छोटे क्षेत्र में नई प्रणाली लागू करना चाहते हैं, तो क्या लोकराज्य बच्चों के हित के लिए प्राथमिक एजुकेशन का भार नहीं उठा सकेगी ? आज जनता जाग चुकी है, इस जगते हुए युग के अन्दर अगर कोई माननीय सदस्य इस बात का दावा करे कि हमारे राजस्थान के अन्दर इस प्रकार का शिक्षण चालू नहीं हो सकता तो मैं इसका यही कारण मानता हूँ कि आपमें मजबूती नहीं है। अन्यथा जो संशोधन पेश किया गया है इसको मेरी समझ में शिक्षा मंत्री को दृढ़ता के साथ मानना चाहिए और कहना चाहिए कि मैं अपनी तमाम सारी की सारी शक्ति फ्री और कम्पल्सरी एजुकेशन के करने के लिए लगा दूंगा। तो कौन सी ताकत है जो उनको रोक सकती है ? लेकिन आपने कहा है कि इस पर बहस नहीं होगी और मैं यह कहूंगा कि आप जो यह कहते हैं कि राजस्थान में फ्री और कम्पलसरी एजुकेशन कहीं होनी चाहिए, इस प्रकार की बहस की जो आपकी बातें हैं वह कहां तक शोभित हैं, अतः मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से पुरजोर अपील करूंगा कि वह इस संशोधन को मानें और आर्थिक व्यवस्था का जो सवाल है वह नगरपालिकाओं पर, पंचायतों पर, जिला बोर्डों पर डाल दें और जो सेकन्डरी एजुकेशन का भार है वह गवर्नमेन्ट खुद उठाये।

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी और रावल श्री नरेन्द्र सिंह दोनों के एक साथ बोलने को खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : Yes, Mr. Chaturvedi.

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग): यह जो सिलेक्ट कमेटी द्वारा तैयार किया हुआ विधेयक, सदन के समक्ष आया है इस पर पिछले दो-तीन दिन से कुछ संशोधन आ रहे हैं और आज भी हम इसी प्रकार के संशोधनों पर विचार कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि संशोधन जिन शब्दों में रखे गये हैं और उसके बाद जो भाव प्रकट किए गए हैं, उनमें जमीन-आसमान का अन्तर है। संशोधन केवल रखे गये हैं कि जो हायर सेकन्डरी बोर्ड बनाया जाय वह फ्री एण्ड कम्पल्सरी एजुकेशन की व्यवस्था करे। इसी चीज को लेकर हमारे कितने ही माननीय सदस्यों ने शिक्षा पद्धति की पूर्ण आलोचना की है। मैकोले से लेकर अब तक के समय का विवरण दे दिया और साथ ही साथ इस बात पर सबसे अधिक जोर दिया है कि इस बोर्ड को, स्वयं सारी शिक्षा पद्धति में आमूल चूल परिवर्तन करके यदि किसी प्रकार सुधार हो सकता है तो वह इस बोर्ड के द्वारा ही हो सकता है। सिलेक्ट कमेटी का मैं भी एक सदस्य था और उस वक्त में इसको अच्छे से अच्छा बनाने और अधिक से अधिक उपयोगी बनाने के लिए जितने भी सुझाव दिये गये थे उनको ध्यान में रखा गया। जहां तक शिक्षा के फ्री और कम्पल्सरी होने का सवाल है कोई भी व्यक्ति, इस सदन के सदस्य तो

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

जनता के प्रतिनिधि होने की हैसियत से बहुत जिम्मेदार हैं, लेकिन साधारण से साधारण व्यक्ति भी यह कह सकेगा कि हमारे देश में शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिये। लेकिन वह शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य करे कौन ? मैं समझता हूँ कन्फ्युजन इस बात पर हो रहा है कि इस बोर्ड के जरिये शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाये। मैं समझता हूँ कि शायद इस बोर्ड की जो पूरी शक्ति है उसको आपने नहीं सोचा है। मैं समझता हूं कि निःशुल्क शिक्षा की बात तो यदि कुछ माननीय मित्र कुछ कहते हैं तो समझ में आ सकती है कि शिक्षा को निःशुल्क बनाये, यानी इस बोर्ड से सम्बन्धित संस्थाओं में जो लोग पढ़ें वह सारे निःशुल्क ही पढ़ें। लेकिन जहां तक अनिवार्यता का सम्बन्ध है तो मैं कहता हूं कि आप ही यह सोचो कि किस प्रकार से बोर्ड इस प्रकार के कानून बना सकता है कि हर एक आदमी को पढ़ना ही पड़ेगा। बोर्ड को तो हम इस प्रकार की संस्था बना रहे हैं कि इम्तिहान कैसे होंगे, किस प्रकार की परीक्षा होगी, किस प्रकार पेपर्स होंगे, किस प्रकार के सर्टिफिकेट दिये जायेंगे और किन किन संस्थानों को रिकग्नाइज किया जावेगा, कौन कौन लोग आयेंगे केवल इस प्रकार के ही काम इस बोर्ड के होंगे। लेकिन मैं नहीं समझता कि किस प्रकार यह बोर्ड समस्त राजस्थान वासियों को अनिवार्य रूप से पाबन्द करे कि वह आयें और इस बोर्ड के तहत शिक्षा ग्रहण करें। अनिवार्यता का जहां तक सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि अनिवार्य केवल हम लोगों के कहने से नहीं होगा और अनिवार्य भी केवल इस बोर्ड से कराया जाय ऐसा भी नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा मौका होता कि हम सरकार पर इस प्रकार का दबाव डालते कि वह राजस्थान में शिक्षा को निःशुल्क करें। लेकिन इस प्रकार की बात कहने का अवसर दूसरा है और वह है कि जिस समय हम यहां पर बजट पर बहस करते हैं, राज्यपाल के भाषण पर बहस करते हैं, शिक्षा का बजट आता उस समय बहस करते और हममें से हर एक को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस बात का जिक्र उस समय लाना चाहिये। हम जानते हैं कि हमारे राज्य की आमदनी कम है, हम इस बात को भी मानते हैं कि हम आमदनी को अधिक नहीं बढ़ा सकते और अगर हम अपनी आमदनी को बढ़ाते हैं तो हमें टैक्सेज बढ़ाने होते हैं और टैक्स बढ़ाने से भी नया आन्दोलन पैदा होता है, इन दोनों ओर की ही चीजों को जाने बगैर हम इस बात पर जोर नहीं दे सकते एक जिम्मेदार सदस्य होने की हैसियत से। लेकिन फिर भी इस सम्बन्ध में यह विचार प्रकट करने का अवसर ठीक नहीं है और उस समय जब कि हम शिक्षा के बजट पर बहस करें उस समय इस चीज को लाना सही होगा और फिर यह इस बोर्ड की सामर्थ्य के बाहर की चीज है। जहां तक उसे निःशुल्क बनाने का सम्बन्ध है और जहां तक शिक्षा के अनिवार्य बनाने का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं, यह कानून के द्वारा हो सकता है और कानून भी इन सारी स्थिति को देखते हुए बनाया जाय। यह केवल राजस्थान सरकार का कार्य नहीं जो हमारी भारत सरकार है उसका काम है। हम सब इस बात का गर्व करते हैं कि देश को आज आजाद हुए आठ वर्ष हो गये, आज देश पूर्ण रूप से स्वतन्त्र हो चुका है, देश प्रगति की ओर अग्रसर है तो यह सारी जिम्मेदारी भारत सरकार की है। नीति निर्धारण का जहां तक ताल्लुक है यह

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

भारत सरकार का है। जिस विधेयक पर हम विचार कर रहे हैं यह कोई स्वतन्त्र नहीं है, भारत सरकार ने इस स्थिति को अनुभव किया कि जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है वह अच्छे नागरिक पैदा नहीं कर सकती। इस शिक्षा प्रणाली के सम्बन्ध में माननीय सदस्य बहुत कुछ कह चुके हैं और क्या आप यह चाहते हैं कि जो मौजूदा शिक्षा प्रणाली है उसे ही फ्री और कम्पलसरी कर दिया जाय ? आज जो शिक्षा प्रणाली प्रचलित है जो सौ-डेढ़-सौ वर्ष से चली आ रही है उसे ही अनिवार्य करना मेरे ख्याल से आत्मघाती नीति होगी। आज तो स्थिति यह है कि जितने भी इस शिक्षा प्रणाली से दीक्षित होकर नवजवान निकलते हैं उतनी ही मात्रा में बेकारी बढ़ती जाती है। जब तक कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं होता है तब तक वे कोई भी काम करने लग जाते हैं, लेकिन इस प्रणाली से शिक्षा प्राप्त करने पर तो वे कुछ काम नहीं कर सकते, केवल क्लर्क बन जाना ही उनका ध्येय रह जाता है। क्या हम इसे ही अनिवार्य करना चाहते हैं ? जिस शिक्षा का ध्येय ही यही था कि देश के अन्दर गुलाम पैदा हों, क्लर्क पैदा हों, क्या आप उसी शिक्षा को अनिवार्य करना चाहते हैं ? आज हमें जिस चीज की ओर ज्यादा ध्यान देना है वह यह है कि आज की शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन हो। आज इस बारे में सोचा जाता है तो अधिकांश में यूरोप का उदाहरण दिया जाता है, रूस और अमेरिका का उदाहरण दिया जाता है और कहा जाता है कि वहां पर अनिवार्य शिक्षा है। मैं उन माननीय सदस्यों से यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि वे अगर हमारी पुरानी संस्कृति, पुराने इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि हमारे देश के अन्दर भी एक ऐसा समय था जिस समय हमारे भारतवर्ष में अनिवार्य शिक्षा प्रचलित थी। इस सम्बन्ध में आज जो रूस का उदाहरण देते हैं उनको रूस जाने की जरूरत नहीं, अमेरिका जाने की जरूरत नहीं वे इस चीज को अपने ही देश में देख सकते हैं। मैं आपके सामने रामायण काल की बात नहीं रख रहा हूं न महाभारत कालकी, मैं आपके समक्ष आज से आठ सौ नौ सौ वर्ष पहले की बात कह रहा हूँ जिस समय देश के अन्दर धारा नगरी के राजा भोज का राज्य था, उसके काल में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा थी। बल्लालसेन ने स्वयं ने अपनी भोज चरित्र पुस्तक में लिखा है उसमें इस प्रकार की विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है :

"विप्रो भी यो भवेन्मूर्खो
स पुराद् बहिरस्तु मे।
कुम्भकारोपि यो विद्वान्
सतिष्ठेत पुरे मम ।।"

उस विज्ञप्ति में यह बात थी कि यदि कोई ब्राह्मण है और वह अशिक्षित है तो उसे राज्य से निकाल दिया जाय, ऐसी आज्ञा राजा भोज की उस समय थी। उनका यह आदेश था कि उनके राज्य में वही रहेगा जो शिक्षित होगा और अच्छी शिक्षा प्राप्त होगा। चाहे वह हाथ से काम करने वाला कुम्भकार भी हो, अगर वह शिक्षित है तो उसके राज्य में रह सकता है। यह अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का उदाहरण है। बल्लाल सेन द्वारा लिखित पुस्तक में यह बात भी है, फिर उस आदेश के अनुसार लोग पकड़ पकड़ कर लाये जाते थे जो पढ़े लिखे नहीं समझे जाते थे उस समय तो लकड़हारे तक पढ़े लिखे होते थे। उस जमाने के कोली लोग तक शिक्षित होते थे और संस्कृत में बातचीत करते थे, कविताओं में बातें होती थीं, वे अपने देश का उदाहरण दे सकते थे। जहां तक अनिवार्य शिक्षा का सवाल है,

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

उस समय की परिस्थितियों में और आज की परिस्थितियों में काफी अन्तर है। उस समय की शिक्षा आज के जैसे बड़े बड़े भवनों में नहीं हुआ करती थी, उस समय इतने फर्नीचर की आवश्यकता नहीं रहती थी, उस समय खुले में और जमीन पर चटाई बिछाकर शिक्षा ग्रहण की जाती थी। अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश में अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क शिक्षा हो तो हमें खुले में और नीचे भूमि पर बैठकर पढ़ना होगा, चटाइयों पर पढ़ना होगा, इन सब बातों के लिये हमें तैयार होना चाहिये। हम सेकन्डरी एजुकेशन के अन्दर यह कह दें कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा हो तो भी जब तक इन बातों में परिवर्तन नहीं करेंगे तो यह हमारा ध्येय पूरा नहीं हो सकता। आज भी शान्ति निकेतन के अन्दर इस प्रकार की शिक्षा मौजूद है। गुरुकुलों और ऋषिकुलों में इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। इस संबन्ध में इन संस्थाओं में कुछ परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में लाने का प्रयास भी किया है; किन्तु विदेशी सरकार से सहयोग और सहायता न मिलने के कारण वे सफल नहीं हो सकीं। यदि हम इस प्रकार कि शिक्षा चलाना चाहते हैं तो हमें यह प्रण कर लेना चाहिये कि इसमें सरकार के नियन्त्रण की आवश्यकता नहीं, उनसे सहायता की आशा न करें, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। हमें नालन्दा, तक्षशिला, पाटलीपुत्र में जो प्रणाली चालू थी, उसे अपनाना होगा; तभी हम शिक्षा को अनिवार्य और निशुल्क कर सकते हैं। आज हम देखते हैं कि बच्चों को कितनी कितनी पुस्तकें लेनी पड़ती है, पुराने समय में दादा एक पुस्तक को खरीदता था जैसे कौमुदी को ही ले लीजिये। दादा खरीदता था उससे उसके बेटे और पोते तक पढ़कर विद्वान और पंडित बन जाते थे, आचार्य बन जाते थे। आज हमारी शिक्षा की पद्धति ही सारी बदली हुई है, आज इस सेकन्डरी बोर्ड से यह आशा करें कि यह प्रणाली को बदल देगा यह नामुमकिन है। आज इस बोर्ड का जो गठन किया जा रहा है वह नीचे की शिक्षा के लिये है। उधर उच्च शिक्षा के लिये विश्व विद्यालय बने हुए हैं। जहां तक प्राथमिक शिक्षा का संबन्ध है हमारे संविधान में यह पूर्ण रूप से प्रगट किया गया है कि हमारे देश का एक एक बच्चा पढ़ेगा। देश के प्रत्येक बच्चों को साक्षर बनाना सरकार का सर्वोपरि कर्तव्य है। उसके बाद में सरकार की जैसी भी स्थिति है, वह जनता को सुविधायें प्रदान करने की चेष्टा करेगी, ये सब चीजें हमारे संविधान में दी हुई हैं। जहां तक प्राथमिक शिक्षा का संबन्ध है वह निःशुल्क और अनिवार्य किया जाय, लेकिन इस बात को हम सब से पहले राजस्थान में आशा करें कि वह सेकेन्डरी एजुकेशन में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को लागू कर दे, यह नामुमकिन है। मैं समझता हूं, अगर हम चाहते हैं कि यह प्रयत्न हमारे यहां से शुरू हो उसके लिये जो व्यय आयगा वह कहां से आयगा? आज हमारे राज्य की स्थिति क्या है, इन सब बातों को ध्यान में रखना होगा। हमें इस बारे में राय देते समय हमारे राज्य की आर्थिक स्थिति आदि को ध्यान में रखते हुए अपनी राय देनी होगी; केवल यह कह देना कि हर स्वतंत्र देश में हर नागरिक को निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिये बिना उस देश की स्थिति को देखते हुए तो मेरी समझ में उपयुक्त नहीं होगा। यह हर सरकार का परम कर्तव्य है कि उस देश का निवासी शिक्षित हो और उसको शिक्षित करना सरकार का परम कर्तव्य है, केवल कर्तव्य

Page No.90

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

को मानकर चलने से काम नहीं चलेगा, कर्तव्य के पीछे जिम्मेदारियां भी हैं, उनको समझते हुए बात कही जाय तो ज्यादा उपयुक्त हो सकती हैं। मैं समझता हूं इस वक्त में जो माननीय सदस्य संशोधन लाये हैं उन संशोधनों को सुरक्षित रख लेना चाहिये और वह उस समय तक के लिये जब हम केवल शिक्षा के संबन्ध में ही विचार करें। राजस्थान सरकार का बजट जिस समय आता है उस समय ये बातें कही जा सकती हैं। राज्यपाल महोदय का भाषण हो ऐसे किसी अवसर पर ये बात कही जा सकती हैं। अगर हम अपनी युक्तियों, दलीलों से और राय से यह सिद्ध कर सकें कि हायर सेकन्डरी एजुकेशन फ्री और कम्पलसरी होनी चाहिये तो वही समय उपयुक्त है सरकार का ध्यान इस ओर दिलाने का। इस समय मेरे खयाल से बोर्ड के जो भी कर्तव्य हमने निर्धारित कर दिये हैं उसी तक बोर्ड को सीमित रहने देना ज्यादा अच्छा होगा।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह शिक्षा का प्रश्न इतना गंभीर है कि इसके जितने भी पहलू हैं उन सब का थोड़ा सा समावेश अवश्य होना चाहिये। जैसा कि अभी मेरे से पूर्व बोलने वाले श्री चतुर्वेदीजी ने यह कहा कि यह समय उपयुक्त नहीं है और यह बोर्ड का विषय भी नहीं है। हमें इस बात की आवश्यकता है कि यह समय ऐसा नहीं कि इस चीज को यहां से छोड़ दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के भाषण के समय जैसी बातें होती हैं वह औपचारिक तौर पर होती हैं। मैं इसमें बहुत ही थोड़े शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं और इसका जो दूसरा पहलू है उस पर सारभूत दिग्दर्शन कराना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं। मैं निवेदन नहीं करना चाहता कि मेरा शिक्षा से और शिक्षण संस्थाओं से थोड़ासा इस ६५ वर्ष के समय में सम्बन्ध रहा है और वैसे अगर ओरिजनल थोड़े से विचार व्यक्त कर दिये जावें तो मैं उसको अनुचित भी नहीं समझूंगा। क्योंकि जो आदमी भुक्त भोगी है वह आज वक्त में ऐसी दिक्कतों को समझ भी सकता है।

अभी जैसे सवाल आया कि भोज के वक्त में एक हजार वर्ष पहले शिक्षा का प्रसारण रहा था। मैं यह निवेदन करूंगा कि इसको जाने दीजिये। इन गये पच्चीस, तीस वर्षों पहले भी यहां भारत में बड़ौदा, कोचीन, ट्रावनकोर और मैसूर ने, यद्यपि ये देशी राज्य ही थे, ब्रिटिश राज्य नहीं था, तो देशी राज्य होते हुए भी, इन्होंने ब्रिटिश सरकार के मुकाबले में भी और आज की गवर्नमेन्ट के मुकाबले में भी जितने दर्जे तक शिक्षा के प्रसारण को पहुंचा दिया, मैं समझता हूं कि वे धन्यवाद के पात्र थे। अभी जैसे मेरे पूर्व वक्ता महोदय ने कहा, मैं उस सम्बन्ध में अपना विचार आपके सामने रखना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि इसमें जितना जल्दी हो कई करोड़ रुपयों की रकम खर्च की जानी चाहिये और दिल खोल कर दी जानी चाहिये। इस सवाल के लिये अगर मैं यों कहूं कि नहीं, प्रसारण के अन्दर इतना रुपया नहीं खर्च करना चाहिये तो थोड़ा सा लोग मुझ पर आक्षेप करेंगे कि तू शिक्षा का बड़ा प्रेमी होकर क्या कहता है, इसके लिये थोड़ा धीरे धीरे बढ़ना चाहिये।

देखा जावे गवर्नमेन्ट को अपने सभी सम्पूर्ण क्षेत्रों में की शिक्षा को पहले पूरा

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

करना चाहिये। शरीर के अन्दर हाथों और पैरों आदि को दूसरे जितने भी अवयव हैं प्रकृति को उन सबको समान खाना पहुंचाना पड़ता है और दूसरी ताकत भी पहुंचानी पड़ती है। तो इसके विपरीत अगर सरकार एक ही चीज पर आगे बढ़ेगी तो वह इस प्रकार की बात हो जावेगी। उसका भार वाहन करना भी बाजे-वक्त कठिन हो जाता है। इसके साथ ही यह जरूर निवेदन करूंगा कि फिर रुपया कैसे खर्च किया जावे ? इसमें जहां तक मैं समझता हूँ कि कोई भी स्पीच कोरी स्पीच के लिये ही नहीं होती। कोई भी विचारधारा अपने पार्टी फीलिंग के वास्ते नहीं होनी चाहिये। इसमें थोड़ा बहुत यह हिसाब रहना चाहिये कि इसमें जनता जनार्दन की ठोस सेवा हो सके।

यह कहा जाता है कि निःशुल्क और फ्री कम्पलसरी शिक्षा का सवाल फौरन उठा लिया जाना चाहिये और दे दी जानी चाहिये। मैं इसके विरुद्ध हूँ। मेरा कहना यह है कि अगर कोई ऑर्डिनरी आदमी यह कहे कि मैं मिश्री खाऊंगा। मैं मिश्री खाऊं और वह उसको खरीद नहीं सकता, तो केवल उसके कहने से मीठा मुंह नहीं हो जावेगा ? इसके वास्ते उसे प्रयास की जरूरत पड़ेगी, उद्योग करना पड़ेगा; तब वह कामयाब हो सकेगा। तो इस विषय में मेरा यह निवेदन है कि इसमें सबसे पहले आप प्राइमरी एजुकेशन को कम्पलसरी करिये। यह पहली सोपान है। सेकन्डरी एजुकेशन तो दूसरी सोपान है। पहले जब तक आप पहली सोपान को सम्पूर्ण न कर लें तब तक दूसरी सोपान पर आगे बढ़ेंगे तो शायद आपका पैर फिसल जाय; तब इसमें और भी दिक्कत हो जावेगी। इसके साथ यह भी होना चाहिये कि इस आला दर्जे के वैज्ञानिक अभ्युदय के जमाने में अगर यह चीज ज्यादा दिन नहीं छोड़ी जा सकती और इसलिये भी नहीं छोड़ी जा सकती हो कि आज सरकार के संचालक यह समझें कि अगर हमने जल्दी नहीं की तो कहीं प्रजा यह न कह दे कि यह तो किसी काम के नहीं हैं, इन्होंने इतना भी नहीं किया, पहले जैसे चलता था वैसा ही आज चल रहा है। अगर यह भय हो आज की सरकार को कि अगर ऐसा नहीं किया तो कहीं जनता निकाल बाहर न कर दे, 'कहीं वोट नहीं दे' तो अगर इन इरादों से जल्दी करना चाहते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि इन भावों को भी छोड़ दीजिये, पर कई नौजवान महानुभाव यह भी कहेंगे कि यह जल्दी से जल्दी मामला उठाया जाना चाहिये, तो इसके लिये भी मैं तैयार नहीं। मैं जरूरी बात निवेदन करूंगा। किसी भी शिक्षा के प्रसारण के पहले ट्रेन्ड टीचर्स के प्रबन्ध का प्रश्न सामने आता है। टीचर्स और ग्रांट दोनों का जो सन्तुलन है, वह रहना चाहिये।

मैं यह निवेदन करूंगा कि जो जरूरी एजुकेशन है, वह टीचर्स को पहले तैयार करने की है। इसके बिना तो "नो एजुकेशन" मैं ज्यादा अच्छी समझता हूं। यह मेरा एजुकेशन मिनिस्टर काल का अनुभव है। उस समय मेरी यह धारणा रही थी और उस जमाने की यह बात है जब कि बहुत ही अन्दाज का बजट होता था।

श्री सोहनलाल भटनागर : यह क्या जनरल बजट की बात हो रही है ?

श्री उपाध्यक्ष : नये नये संशोधन सामने आ रहे हैं।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : पहले आप पूरा सुनें फिर कुछ कहें तो ठीक होगा।

Page No.92

श्री उपाध्यक्ष : मेरी तरफ से आक्षेप नहीं है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : तो मेरा निवेदन यह है कि चार चीजें जरूर होनी चाहिये। पहली यह कि जितनी स्कूलें बढ़ाई जावें उनसे पहले नोर्मल स्कूलें आप खोलें और ट्रेनिंग स्कूलें बढ़ानी चाहिये। वहां भी यह प्रसारित करने का सवाल बराबर रहता है। मेरा अर्ज करने का मतलब यह था कि टीचर आवे कहां से ? समय की आवश्यकता यह है कि जल्दी से जल्दी टीचर्स की व्यवस्था की जाय। इसके लिए मेरी तरफ से मौलिक सुझाव है कि अगर सरकार और एजुकेशन डिपार्टमेंट इसको मुनासिब समझती है और अगर विचार करें तो, एक तो मैं यह मुनासिब समझता हूँ कि जैसा जयपुर में एक समय था कि जब सेटलमेंट का प्रसारण बड़े संगठित रूप से किया गया था और इतने अमीन उस समय थे कि आज इस सबन्ध में इतने आगे बढ़ सके। यू० पी० से और मध्यभारत से हजारों की तादाद में अभी न बुलाये गये और जिस समय यहां के अमीन तैयार हो गये वे ओटोमेटिकली अपने घर चले गये और जा रहे हैं। एक तो सवाल यह है कि युनाइटेड प्रोविन्स से और सेन्ट्रल इन्डिया से, जहां कि शिक्षकों का काफी प्रसारण है, वहां से, काफी तादाद मे मिल सकते है, यहां राजस्थान में उनको बुलाया जा सकता है, भारतवर्ष जब एक ही चीज़ हो गई है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यह तो पहले राजाओं के वक्त में था कि राजस्थान राजस्थानियों के लिए ही है। वे बाहर से आ सकते हैं, थोड़े काल के लिये इसमें कोई ऐब नहीं है। तो एक तो यह सवाल है।

दूसरा सवाल है गर्ल्स की एजुकेशन का।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप शिक्षा मन्त्री) : ओनरेबल मेम्बर ये बातें तो, जब जनरल बातें आवेंगी तब कहें।

श्री श्रीभानसिंह : पोइन्ट ओफ ओर्डर है या इन्फोर्मेशन है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : This is a point of order, Sir.........

श्री उपाध्यक्ष : अध्यक्ष का भी एक सवाल है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : फरमाइये।

श्री उपाध्यक्ष : आप पहले स्थान ग्रहण करें तब।

(विराम)

जब अध्यक्ष अपने पावों पर खड़े हों तो हाउस के डेकोरम के ख्याल से जो भाषण-कर्ता महोदय हैं उनको आसन ग्रहण कर लेना चाहिए।

इसमें दो संशोधन हैं। एक श्री पी. के चौधरी और दूसरा श्री श्रीभानसिंह का। यदि दोनों पर ही आपका भाषण हो तो समय बच सकेगा।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : (जारी) मेरा निवेदन यह है कि मेरे तीन सुझाव थे। दो तो मैंने आपको निवेदन कर दिये। तीसरा यह है कि जितने टीचर आज रिटायर हो चुके हैं और वर्षों से रिटायर हो चुके हैं, यदि उनको कन्याओं की शिक्षा के लिए वापिस भर्ती कर लिया जाय तो फायदा हो सकता है और जैसे लेडी टीचर का मिलना मुश्किल हो गया है तो यह पूर्ति सम्भव हो सकती है।

ये तीन सुझाव थे। इन बातों पर विचार कर लिया जाय। अगर इस पर विचार किया जाता है तो पीस-मील, थोड़ी जगह, इम्तिहान काम में लाकर आगे बढ़ा जाय।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : उपाध्यक्ष महोदय, जो हायर सेकेन्डरी एजुकेशन बिल सदन के सम्मुख रखा गया है, उसमें कुछ संशोधन भी प्रस्तुत किये गये हैं। एक संशोधन एक सम्माननीय सदस्य ने रखा है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अनिवार्य माध्यमिक शिक्षा भी दे। १४ वर्ष से १७ वर्ष के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा हो। यदि सही माने में देखा जाय तो प्रवर समिति में इसकी चर्चा चाहे न भी हुई हो, लेकिन जहां तक माध्यमिक शिक्षा का मूल उद्देश्य है, एम्स एन्ड ओब्जेक्ट्स हैं, जो हायर सेकन्डरी एजुकेशन कमीशन ने भी रखे हैं, उसके मूल बुनीयादी दो उद्देश्य रखे हैं। एक उद्देश्य तो यह भी रखा गया है कि हमारे देश की जो जनतन्त्रीय परम्परायें हैं उनकी पूर्ति यह शिक्षा किस प्रकार कर सकती है? आज मुल्क हमारा एक जनतन्त्रीय देश है और इस जनतन्त्रीय देश के अन्दर अच्छे सिटिज़न किस प्रकार से निर्माण किये जा सकते हैं और उसके साथ साथ उस उद्देश्य की पूर्ति कहां तक कर सकते हैं? यह एक बुनियादी चीज़ रखी गई है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है उसमें इस बात को सिफारिश है। जब इस बात को बहुत गहराई से देखते हैं कि मूल उद्देश्य में इस बात को रखा गया है और इसकी पूर्ति हमें करना है और जब इस प्रकार की शिक्षा देना चाहते हैं तो मूल उद्देश्य से इसको अलग नहीं रख नहीं सकते। चाहे इस संशोधन को अलग रख दें, लेकिन मूल उद्देश्य की पूर्ति हो नहीं सकती। यह जो फन्डामेंटल, बुनियादी बात है वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसमें दिक्कतें जरूर हैं। दिक्कतें खड़ी भी की जा सकती हैं। परन्तु जहां तक उसूलों का सवाल है और शिक्षा के मूल उद्देश्य का सवाल है इसको हम किसी हालत में अलग नहीं रख सकते।

अब सवाल यह आता है कि आज हमारे यहां की स्थिति क्या है? आज राजस्थान में १४ साल से नीचे के बच्चे के लिए अनिवार्य शिक्षा है या नहीं? नहीं, तो किस प्रकार चला सकते हैं? इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूँगा कि इसके साथ इस बात की पूर्ति हो गई हो, मूल उद्देश्य की पूर्ति हो गई हो, लेकिन उसके साथ साथ हमारे देश की जो योजना है, जिसके आधार पर हम हमारे देश का विकास करना चाहते हैं, उसमें भी हम सहायता पहुँचा सकते हैं या नहीं? यह भी हमको देखना है। आज हमारे मुल्क में सबसे बड़ी समस्या है, वह बेकारी की समस्या है और उसको दूर करने के लिए यह जो शिक्षा प्रणाली है जिसका मूल उद्देश्य यह है कि ऐसे छात्र तैयार किये जाय जो योजना के आधार पर तैयार होकर योजना में काम आ सकें। यह उद्देश्य में रखा गया है। अगर कम्पल्सरी, अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क कर देते हैं तो इसकी पूर्ति भी, मैं समझता हूं, इसके जरिये हो सकती है।

सवाल हमारे सामने इस बात का आता है कि आज हमारी आर्थिक स्थिति क्या है? कितने छात्रों को इस प्रकार तैयार कर सकेंगे या नहीं? आर्थिक दृष्टिकोण या जो कुछ भी हो देश के अन्दर, इस प्रकार की शिक्षा को अनिवार्य किया जाय, चाहे अर्थ की कमी हो, पूरा न कर सकें उसके लिए कई सम्मानीय सदस्यों ने सुझाव रखे हैं। मुझे यह याद है कि सन् ३७ में महात्मा गांधी ने 'गांधी स्कीम' के नाम से एक स्कीम प्रारम्भ की थी। अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के रूप में उन्होंने काम चलाया और हेन्डी क्राफ्ट्स को आधार मान कर मध्य प्रदेश में यह शिक्षा प्रारम्भ की। सन् ३७ में मध्यप्रदेश में कांग्रेस का

(श्री मुरलीधर व्यास)

मंत्रीमंडल था। उन्होंने प्रारम्भ किया था और महात्मा गांधी ने जो गांधी स्कीम के नाम से, हिन्दुस्तान के बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट्स थे वर्धा में उसमें शामिल हुए थे, उसको प्रारम्भ किया। उन्होंने क्या किया था कि उस प्रान्त में हर गांव के अन्दर २५ एकड़ ३० एकड़ उपजाऊ जमीन को लेकर, हर गांव में कुछ शिक्षकों को जमीन देकर, ट्रेन्ड शिक्षकों को भेज कर उस प्रणाली को चलाया।

४ म० प०

आज राजस्थान के अन्दर आर्थिक दृष्टिकोण से जमीनों का जहां तक सवाल आता है, मैं समझता हूं कि राजस्थान के हर इलाके में, हर गांव में सरकार के पास इस प्रकार की जमीनें मिल सकती हैं, जो जमीनें देकर वहां के वहां पर कुछ शिक्षकों को ट्रेन्ड करके भेज सकते हैं और उस जमीन के द्वारा जो हमारी शिक्षा प्रणाली का मूल उद्देश्य है, हस्तकला के द्वारा, दूसरे साधनों के द्वारा, हेन्डीक्राफ्ट के द्वारा जो कि हमारी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य है, उनको शिक्षण देकर उनका विकास किया जाय, तो मैं समझता हूं कि आर्थिक अड़चनें हमारे राजस्थान में उपस्थित नहीं होंगी। राजस्थान में तो यहां तक सवाल हो रहा है कि बाहर के लोगों को बसाया जाय। जमीन की हमारे पास कमी नहीं है। जो आर्थिक पहलू बारबार रखा जाता है, मैं समझता हूँ कि आर्थिक समस्या बहुत अच्छे तरीके से हल हो सकती है। इसलिए १४ से १७ साल तक की अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का जो संशोधन है उस पर गहराई के साथ सोचना चाहिए और सोचना इसलिए चाहिए कि यह देश के लिए सबसे बड़ी चीज़ है। यदि हम देश का सही मायने में, सही रास्ते पर विकास करना चाहते हैं और बिल्कुल ईमानदारी के साथ करना चाहते हैं, मैं नहीं कहता कि इसके साथ बेईमानी के तरीके से भी सोच सकते हैं, लेकिन इसको बहुत गहराई के साथ सोचकर और चाहे किसी दूसरे इलाके में हो रहा हो या चाहे न हो रहा हो, परन्तु राजस्थान के अन्दर बहुत आसानी के साथ में हो सकती है। देश की सबसे बड़ी जो कमजोरी है, यद्यपि देश में हमारे जनतन्त्र है, चुनाव के आधार पर देश का निर्माण हो रहा है, लेकिन यदि शिक्षा अनिवार्य नहीं होती है और शिक्षित लोग नहीं होते हैं, तो वह दूर नहीं हो सकती और चाहे इसको मान लें कि हमारे देश में जनतान्त्रिक सरकार है लेकिन हम उसके सही मायने में अधिकारी नहीं हैं। मैं मानता हूं कि जब तक हमारे देश में हर आदमी शिक्षित और हर आदमी को शिक्षा दी जाय तो जाकर इस बात के कहने का अधिकार है कि हमारा मुल्क सच्चे मायने में जनतन्त्र को कायम करने वाला मुल्क बना है। यह मानी हुई चीज़ है कि १८ साल तक अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए और कमीशन ने भी माना है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, उसकी मुख्य भावना को लेकर ही यह संशोधन यहां पर आया है। यह बुनियादी चीज़ है और मैं समझता हूं कि जब यह बुनियादी चीज़ है तो फिर उसको मानने में किसी प्रकार यह नहीं करना चाहिए, बल्कि यदि उस बुनियादी चीज़ में कोई कमी आती हो तो उसको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, किस प्रकार से उसकी पूर्ति की जा सकती है, उसकी गहराई को सोचना चाहिए और राजस्थान के लिए यह कहने का मौका मिलना चाहिए दूसरे प्रान्तों को, कि राजस्थान में वाकई माध्यमिक शिक्षा प्रणाली को अनिवार्य और निःशुल्क करके मुल्क को एक

(श्री मुरलीधर व्यास)

रास्ता दिखाया है। १६५५ में आज से कुछ समय पहले त्रावणकोर-कोचीन के अन्दर जब कि प्रजा-सोश्यलिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट थी तो वहां पर उन्होंने अनिवार्य शिक्षा की थी और इसी प्रकार से १४ साल तक निःशुल्क शिक्षा की थी। वहां पर जब ऐसा हो सकता है तो राजस्थान में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यहां तो बड़ी आसानी के साथ यह हो सकता है। यह कहना कि नहीं हो सकता, मैं समझता हूँ कि इस चीज को टालने के सिवाय और कुछ नहीं होगा। इसलिए इस संशोधन को गहराई के साथ में और बहुत अच्छी तरह से सोचना चाहिए कि इसमें क्या दिक्कतें होंगी। उनको दूर करने के लिए विचार होना चाहिए, और राजस्थान को यह कहने का मौका मिलना चाहिए कि राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा है। इतना ही कह कर मैं इसका समर्थन करता हूं।

(श्री अनूपसिंह और श्री नरोत्तमलाल जोशी के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री नरोत्तमलाल जोशी (झुंझुनू) : Am I permitted to speak, Mr. Dy. Spaeker ?

Having heard the debate on the motion moved by the Hon'ble Member coming from Bharatpur and the views expressed by various members of the House I got the inspiration to speak on this amendment. In the first place I failed to reconcile myself about the validity of this motion.

श्री श्रीभानसिंह : It was an amendment and not a motion.

श्री नरोत्तमलाल जोशी : Amendments are always in the form of motions. When the Bill was discussed on principles the Hon'ble Member did not raise any objection. He agreed with the principles of the Bill. Therein, he ought to have moved that the Secondary Education ought to have been free and compulsory but there was no such motion.

श्री श्रीभानसिंह : There was such a motion.

श्री नरोत्तमलाल जोशी : Allright but when the motion failed, this Bill was passed on principles. It was decided-rather overruled by this House that the Secondary Education cannot be free and compulsory. Now at this stage when this amendment has been moved, I doubt very much whether the hon'ble memner can move a motion about challenging the validity of the principles of the Bill now ? This is more or less an indirect way of challenging the validity of the act which this legislature has done.

Secondly, I remember on this occasion one saying. A begger went to a King and asked, "O King, give me a horse and if you cannot give me a horse, give me an elephant."

'देहि मे वाजिनं राजन् गजेन्द्रं वाम दालसम्'

If we cannat make basic education compulsory how can we pass this clause to make Secondary Education compulsory?

(श्री नरोत्तमलाल जोशी)

According to the Directive Principles of the Constitution it has been laid down that the State shall endeavour to provide within a period of ten years from the commencement of this Constitution for free compulsory education for all children who have not completed the age of 14 years. This stage, it is very unfortunate, has not been completed in our country. We have not been able to achieve the aim of the Directive Principles in our Constitution. When the aim of primary education has not been attained, I doubt whether we can be able to attain the aim of imparting free compulsory Secondary Education. So various arguments about this have been advanced and the hon'ble member coming from Jobner has clearly expressed himself that first we could strive at an opportunity to make primary education free and compulsory and we should proceed step by step. If we attain that object in making free compulsory primary education we should make free compulsory secondary education. It is true as my learned friend who moved the motion (amendment) has said that democracy exists only in the worthfulness of a man and that a man has to get the education of that type. I cannot better express myself except reading the quotations contained in the recommendations of the Report of the Secondary Education Commission.

"A democracy is based on faith in the dignity and worth of every single individual as a human being. This innate worthfulness cannot be eclipsed either by economic or racial or social consideration. The object of a democratic education is, therefore, the full all round development of every individual' 's personality. This requires that education should take into account all his needs-psychological, social, emotional and practical-and cater to all of them. The view of education that emerges from this basic concept transcends the academic approach and broadens out into an education for living i. e. an education to initiate the students into the many sided art of living in a community."

It is true that this aim can only be achieved by Secondary Education and if the Secondary Education does not reach to the man in the hut, the man in the street or to the children of those who cannot afford it today, that aim remains still unfulfilled. As far as my friend has expressed his views nobody in this House can disagree with him. These are broad principles on which the democracy is run and education is the very face of democracy, but we have to look to the practical side of this and unless we attain that objective of free compulsory primary education, it is no use going for this amendment and asking that the Secondary Education should be free and com-

(श्री नरोत्तमलाल जोशी)

pulsory. I don't see any practicability of this suggestion and I propose that this amendment should be turned down by this House.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने जो एक संशोधन क्लॉज ६ में रखा है और जिस के सम्बन्ध में इतनी देर से हम लोग विचार कर रहे हैं और जिस पर इतना विस्तृत प्रकाश डाला जा चुका है, हर दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से, औचित्य की दृष्टि से और अन्य दृष्टि से, मैं समझता हूँ सदन के माननीय सदस्यों के सामने स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। हमारे यहां पर इस संशोधन के बारे में विचार रखते हुए कई माननीय सदस्यों ने १००, २०० वर्ष पुराने ही नहीं लेकिन हजारों वर्ष पुरानी स्थिति को सामने रखा है और उस समय शिक्षा की हमारे यहां क्या अवस्था थी, उससे परिचित कराया है। कई माननीय सदस्यों ने अपने जीवन के अमूल्य अनुभवों से सदन के सदस्यों को अवगत कराया। इस सारी बातचीत के दौरान माननीय सदस्यों ने २, ३ बातें हमारे सामने रखीं जिनके बारे में मैं अपने विचार विशेष रूप से प्रगट करना चाहता हूँ।

एक माननीय सदस्य ने अपने विचार प्रकट करते समय सेकन्डरी एजुकेशन बिल की मूलभूत बातों और सिद्धान्तों पर अपनी सम्मति प्रकट की है, वहां पर एक दो सदस्यों ने विचार प्रकट किये कि सेकन्डरी एजुकेशन बोर्ड बनाने जा रहे हैं लेकिन इस प्रकार अनिवार्य शिक्षा की तहत जुरिस्डिक्शन इस बोर्ड का नहीं होगा। मैं समझता हूं जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, यह राजस्थान विधान सभा कोई भी कानून बना सकती है जिसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। आज इस सदन के द्वारा कई कानून पास किये गये हैं। कई बोर्ड बनते हैं, इन्स्टीट्युशन्स बनते हैं, कमेटियां बनती हैं। मैं समझता हूँ जो सत्ता और अधिकार इस सदन को प्राप्त हैं वे ही सारे अधिकार और वही सत्ता इस बोर्ड को भी प्राप्त हो सकती है। मैं समझता हूँ जहां तक निःशुल्क शिक्षा का सवाल है, बोर्ड के सामने कोई बाधा नहीं आ सकती। यह बोर्ड इस प्रकार को शिक्षा इम्पार्ट करने में पूरी तरह से कॉम्पीटेन्ट है। लेकिन सारे विचार रखते समय एक दो सदस्यों ने शंका प्रकट की कि हमारा जो भारत का संविधान है और जिसमें डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स लिखे हैं, उसके अनुसार १४ वर्ष तक अनिवार्य शिक्षा की जा सकती है। आज हम इस संशोधन को पास करने जा रहे हैं जिसके अनुसार १४ वर्ष के बाद भी अनिवार्य शिक्षा करनी चाहिये, यह विधान के प्रतिकूल होगा। उन माननीय सदस्य के प्रति पूर्ण आदर रखते हुए जहां तक इस प्रकार का कानून बना कर प्रस्ताव पास करने की व्यवस्था है मैं कहूंगा कि १४ वर्ष के ऊपर के बच्चों के लिये अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देना संविधान की भावना के प्रतिकूल नहीं है। संविधान में एक डाइरेक्टिव है और वह यह है कि हरेक राज्य को कम से कम १४ वर्ष तक के बच्चों के लिये अनिवार्य शिक्षा करनी चाहिये। यह कोई मतलब नहीं है कि इससे ऊपर वालों के लिये अनिवार्य नहीं की जानी चाहिये।

श्री नरोत्तमलाल जोशी : On a point of personal explanation, Sir. The Hon'ble Member has mis-conceived what I have just told the House. We have not been able even to attian the objective which has been prescribed in the directive princi-

(श्री नरोत्तमलाल जोशी)

ples of the Constitution The aim of free and compulsory education upto the age of 14 years has not been fulfilled when we are talking of free comulsory education betewen the ages of 14 and 17 years. I did not mean that it is against the Constitution.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : (जारी) माननीय उपाध्यक्ष, जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है जो शंका पैदा की गई है और कई सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं उनके बारे में मैं निवेदन करूंगा कि जो संविधान में डाइरेक्टिव है उसके अनुसार १४ वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिये। जहां तक राजस्थान का सवाल है १४ वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जायगी। क्या यह उचित होगा कि १४ वर्ष के ऊपर के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा नहीं दी जाय? मेरी समझ में नहीं आता कि उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा नहीं दी जाय। इस प्रश्न को दूसरे प्रश्न के साथ कैसे जोड़ा जाता है। १४ वर्ष से १७ वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने में बाधा कहां आती है, दिक्कत कहां आती है? आज यह बताकर प्रस्ताव पास कर दिया जाय की १४ वर्ष से १७ वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जायगी तो क्या समस्या खड़ी हो जायगी? १४ वर्ष के बच्चों को दी जाने वाली अनिवार्य शिक्षा १७ वर्ष तक के बालों के लिये किस प्रकार लागू की जाय? मैं समझता हूँ इसमें कोई आपत्ति खड़ी नहीं हो सकती। दोनों क्षेत्र अलग अलग हैं। १४ वर्ष के लिये अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिये तो १४ और १७ के बीच के बच्चों के लिये अनिवार्य शिक्षा क्यों नहीं होनी चाहिये? इनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने से लाखों विद्यार्थियों को शिक्षा में आगे बढ़ा सकेंगे। आप अनुमान लगा सकते हैं कि राजस्थान में ८ वीं कक्षा पास करने के बाद लाखों विद्यार्थी सामने आयेंगे और ६ वीं कक्षा में आयेंगे तो आर्थिक कठिनाई उनके सामने आयेंगी और लाखों विद्यार्थी शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकेंगे। जिनके लिये ८ वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा की गई है उनके लिये १० वीं और ११ वीं कक्षा तक भी करनी चाहिये।

माननीय सदस्य जानते हैं कि आज के युग में आये दिन अनेक मेट्रिक पास विद्यार्थियों को कोई नौकरी नहीं मिलती; केवल उन्हीं को नहीं मिलती ऐसी बात नहीं है बल्कि ग्रेजुएट्स भी १०० रू. या ८० रू. की नौकरी के लिये मारे मारे फिरते हैं। तो आप अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि ८ वीं कक्षा पास करने वालों का क्या हाल होगा? इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही यह संशोधन रखा गया है। इसमें मूल बात यह है कि बोर्ड को पॉवर्स में इस प्रकार का संशोधन रखना चाहिये कि हायर सेकन्ड्री एजुकेशन निःशुल्क दी जाय। जो समस्याएं खड़ी होती हैं उनके बारे में कई प्रकार के हल रखे जा सकते हैं। समस्याएं कितनी ही हो सकती हैं। एक समस्या हो सकती है, आर्थिक कठिनाई की। एक समस्या यह आ सकती है कि इतने रूपये कहां से आयेंगे, इतने पैसे कहां हैं? आज राजस्थान सरकार यह सवाल सामने रख सकती है। इस बारे में भी कई सदस्यों ने प्रस्ताव और अपने विचार सामने रखे हैं। अभी बीकानेर से आनेवाले माननीय सदस्य ने गांधी स्कीम और वर्धा स्कीम हमारे सामने रखी थी। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी हो

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सकता है। आज राजस्थान में जो स्कीम रखी जाती है सदन के सामने या सरकार के सामने, जैसे विकास योजना या अनिवार्य शिक्षा करने की योजना या फीस नहीं बढ़ाने की योजना। इनके बारे में जब कोई तर्क सामने रखा जाता है तो सरकार एक तर्क देती है कि हमारे पास अभी पैसा नहीं है, जब बजट हाउस के सामने आवे तब कट मोशन लाना। लेकिन जब बजट का समय आता है और उस पर डिस्कशन होता है या कट मोशन लाया जाता है तब सरकार दलील देती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, इतने पैसे कहां से लावें। सरकार ने राजस्थानमें फीस बढ़ाई। फीस बढ़ानेके कारण लाख दो लाख रुपये सरकार ने बचाये होंगे लेकिन क्या हुआ? एक तूफान खड़ा हुआ और फीस वृद्धि रोकनी पड़ी। लोगों में शिक्षा फैलानी है और विकास करना है तो पैसे की कोई कमी नहीं है। आज राजस्थान में एक नहीं बल्कि लाखों रुपये अपव्यय होते हैं। इस प्रकार के कई कांड हमारे सामने आते हैं। हम देखते हैं कि पैसे की दलील हमारे सामने कोई कीमत नहीं रखती।

माननीय सदस्य जानते हैं कि पैसे के लिए दलील देते हैं, लेकिन लाखों रुपया इस प्रकार बेकार जाता है। एक जंगल कांड हुआ। माननीय सदस्यों को पता होगा कि एक पानरवा जंगल कांड हुआ। उस जंगल के पांच लाख रुपये तक दिये जा सकते थे, लेकिन वह १८ हजार के अन्दर एक ठेकेदार को दे दिया गया, जो कि काफी समय से मोनोपोली जमाये बैठा है...

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : On a point of order, Sir......

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble Member will refrain from referring to those matters which are not before the House.

श्री सतीशचन्द्र : I am simply referring to a matter...

श्री उपाध्यक्ष : Please refrain from such references.

श्री सतीशचन्द्र : (जारी) मैं निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार की दलील, जो सरकार हमारे सामने रखती है, कि पैसा कम है, यह दलील थोथी है। ऐसे अनेक कांड हो सकते हैं, जिनसे सरकार सावधान रहे, सतर्क रहे तो लाखों और करोड़ों रुपया सरकार बचा सकती है। जीवन की अमूल्य वस्तु शिक्षा को प्राथमिकता देना सरकार का कर्तव्य है. सरकार को ऐसी शिक्षा का प्रबन्ध करना चाहिए जो विकास कर सके, मानसिक विकास कर सके, बौद्धिक विकास कर सके। आज जनता के समक्ष सरकार की यही कसौटी है क्योंकि इस पर विद्यार्थियों के ज्ञान का विकास निर्भर है, देश की उन्नति इस पर निर्भर है। इसकी ओर ध्यान रखते हुए, सरकार को थोथी दलीलें नहीं देनी चाहिए। इन सब पहलुओं पर विचार करने के बाद मैं समझता हूं कि जहां तक राजस्थान का सम्बन्ध है, अगर यहां की सरकार यह कहे कि दूसरे राज्यों में शिक्षा फ्री नहीं है, दूसरे राज्यों में सेकन्डरी एजुकेशन कम्पलसरी नहीं है, राजस्थान सरकार को दूसरे राज्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए; राजस्थान राज्य सरकार को दूसरे राज्यों के सामने एक उदाहरण रखना चाहिए कि हमारा राजस्थान आर्थिक दृष्टि से इतना कमजोर है, उसके बावजूद आर्थिक कठिनाई होते हुए, राजस्थान प्रान्त बैकवर्ड होते हुए राजस्थान के लोगों ने निश्चय किया है कि भले ही

Page No.100

(श्री सतीचन्द्र अग्रवाल)

आठवीं कक्षा तक फ्री एजुकेशन का प्रोवीजन हो, हमारे संविधान में आठवीं कक्षा तक का ही अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान हो, लेकिन राजस्थान की विधान सभा ने कानून पास किया है, ऐसा निर्णय किया है जिसके द्वारा दूसरे राज्यों को ज्ञात हो कि राजस्थान प्रदेश ही हिन्दुस्तान में ऐसा है जहां १० वीं तक फ्री और कम्पलसरी एजुकेशन है। मैं समझता हूं राजस्थान सरकार का यह कदम देश के विकास के क्षेत्र में एक सराहनीय कदम होगा और दूसरे राज्यों के सामने उदाहरण स्वरूप होगा। मैं समझता हूं, इस प्रश्न पर थोड़ी संकुचित प्रवृत्ति से विचार नहीं करना चाहिए, बल्कि करोड़ों लोगों के कल्याण का विचार करते हुए विचार करते हुए विचार करना चाहिए। एक माननीय सदस्य ने राजा भोज की बात कही कि उनके समय में अनिवार्य शिक्षा थी, फ्री शिक्षा थी। मेरी समझ में नहीं आता कि ८०० वर्ष पहले अनिवार्य शिक्षा की बात करते हैं और आज कहते हैं कि यह सम्भव नहीं है...

श्री नरोत्तमलाल जोशी : On a point of order, these talks are quite irrelevant and outside the scope of the debate, It would be better if we stop here because this is zero hour and if the Hon'ble Member wants to continue he should continue tomorrow. Let us adjourn because we have to go to other places in connection with the Capital Enquiry Committee and I propose that the House should adjourn.

श्री उपाध्यक्ष : Let the zero hour be over. We are yet ten minutes earlier even according to the note that I have received.

श्री जगदीशप्रसाद : It is 4. 20.

श्री उपाध्यक्ष : We are working by this watch in the House.

श्री जगदीशप्रसाद : At present it is 4. 20.

श्री उपाध्यक्ष : Let us go on upto 4. 30.

The Hon'ble Member will plose resume the debate.

श्री सतीशचन्द्र : भूतपूर्व अध्यक्ष महोदय, केपीटल कमीशन के एट होम में जाने को उत्सुक हैं, जाना मुझे भी है; लेकिन यह एक महत्वपूर्ण विषय है। मैं उनकी भावनाओं का आदर करते हुए अधिक नहीं बोलता हुआ...

श्री श्रीभानसिंह : कल बोल लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपना भाषण आज ही समाप्त कर देंगे।

श्री सतीशचन्द्र : क्योंकि जल्दी है और सदन की इच्छा है तो········

श्री नरोत्तमलाल जोशी : You can continue tomorrow.

श्री सतीशचन्द्र : मुझे आपत्ति नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : मेरा इसरार है, आप अपना भाषण समाप्त कर दें; उसके बाद इस विषय पर विचार कर लें।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई It shall be a good beginning tomorrow.

श्री उपाध्यक्ष : Is it the opinion of the Members from the Treasury Benches also ?

(मौन स्वीकृति के पश्चात्)

I presume the Hon'ble Mr. Agrawal has concluded his speech.

श्री सतीशचन्द्र : No, Sir, I have not yet concluded, I will continue tomorrow, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : From tbe beginning or from the stage where you have left ?

(हंसी)

So we now adjourn for tomorrow to meet at 11. oo A. M.

(सदन की कार्यवाही सायंकाल ४-२६ बजे, मंगलवार, दिनांक १२ नवम्बर, १९५७ के म.पू. ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

संक्षिप्त विवरण

(सोमवार, ११ नवम्बर, १९५७)

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर ८५४

राजस्थान निर्माण के पश्चात् किसानों से वसूल की जाने वाली पटवार।

ट्रेज़री अकाउन्टेन्ट्स का युनीफाइड पे स्केल के आधीन फिक्सेशन।

गत पांच वर्षों से एक तहसील से दूसरे में स्थानान्तर न हुए गंगानगर जिले के पटवारी।

जिला सिरोही की राजकीय प्राथमिक पाठशालाएँ।

तहसील पदमपुर के बीभ-वायला क्षेत्र में भूमिपतियों को भूमि नियतन।

सन् १९५०-५१ से अब तक विभिन्न डिवीजनों में बेची गई शराब।

प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में एव. द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के अन्त तक प्रति व्यक्ति औसत आय।

तहसील सांचोर (जिला जालोर) में इस वर्ष बैल खरीदने हेतु तकावी के रूप में वितरित धन-राशि।

गतवर्ष बाड़मेर जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्र वृति हेतु स्वीकृत धन-राशि।

स्कम्भ

उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने एवं उनके नियतन की प्रक्रिया।

तहसील लूनकरणसर में प्रशासनिक भवनों एवं सरकारी कर्मचारियों हेतु निवास स्थान।

पलाना (बीकानेर) के कोयले की खानों से १९५१-५२ से अब तक प्रति वर्ष लाभ।

राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज शुदा कृषक।

खनिज विभाग की बकाया।

जिला सिरोही में चराई भूमि की कमी होने पर भी गुजरात से ढोरों को चराने के लिए लाना।

अजमेर एवं अन्य जिलों में विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड डीलर्स।

लैंड रेकॉर्ड्स में गिरदावरी की दुरुस्तियों सम्बन्धी गलत कार्यवाहियां।

विस्थापितों के लिये भवन तथा दुकानों का निर्माण।

राजस्थान कॉलेज का वार्षिक बजट व वेतन।

पुरुषार्थी परिवारों को जमीन देकर पुनर्स्थापन करने सम्बन्धी।

पेन्शनयाफ्ता राज्य सेवा में अधिकारीगण।

टेक्सटस बुक्स राष्ट्रीयकरण मंडल द्वारा की गई अनियमितताएँ सम्बन्धी जांच।

कर्मचारियों में भ्रष्टाचार इत्यादि निरोधक शासकीय योजना।

पटवारियों द्वारा पंचों की उपस्थिति में गश्त गिरदावरी।

गेहूं की फसलों को हुई क्षति से रूपवास तहसीलों को सहायता एवं छूट।

राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के आठवीं कक्षा तक छात्रों से शिक्षा शुल्क।

२१ से २३ जुलाई तक जिला टौंक में अति वृष्टि से विभिन्न ग्रामों को क्षति।

सिरोही में स्कूल भवन निर्माणार्थ गत वर्ष के बजट में व्यवस्था।

भाखरा क्षेत्र में आज तक भूमि हीन हरिजनों को नियत की गई भूमि।

अतारांकित प्रश्नोत्तर ६०५

पुनर्ग्रहीत जागीर के जागीरदारों की राज्य सेवा में नियुक्ति।

राजस्थान सरकार द्वारा कुल विनियोजित धन-राशि तथा उससे प्राप्त ब्याज एवं लाभांश।

भूत पूर्व जयपुर राज्य द्वारा कांग्रेस अधिवेशन के अवसर पर कांग्रेस को दिया गया ऋण एवं उसकी वसूली।

सन् ५०-५१ से अब तक राज्य कर्मचारियों को मकान एवं मोटर हेतु दी गई उधार धन-राशि।

सन् १६५१ से अब तक प्रत्येक वर्ष की ३१ मार्च को गबन के मामलों की संख्या तथा उसमें निर्लिप्त धन-राशि।

इस वर्ष राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड, शिव में हुआ श्रमदान।

अनुपस्थिति के लिए अनुमति ६१२

राजा मानसिंह, सदस्य, विधान सभा को दिनांक ४ नवम्बर से १० नवम्बर, १६५७ तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई।

प्रवर समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा ६१३

राजस्थान नगर सुधार विधेयक, १६५७ जो दिनांक ५ नवम्बर, १६५६ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया था, उसके सदस्यों के नामों की घोषणा आज अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई। समिति के सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं:—

१. प्रभारी मन्त्री.
२. श्री ज्वालाप्रसाद (७२).
३. श्री रामेश्वरदयाल (१३३).
४. श्री रामप्रसाद लड्ढा (१४०).
५. श्री भवानीशङ्कर नन्दवाना (१७)
६. श्री गोकुलचन्द (४८)

Page No.104

स्तम्भ

७. श्री टीकाराम पालीवाल (१७१)
८. श्री मनोहर कोठारी (६५)
९. डॉ० चन्द्रकला (२७)
१०. श्री आनन्दसिंह कछवाहा (६)
११. श्री शंकरलाल (१५३)
१२. श्री भीमसेन (१९)
१३. श्री सम्पतराज (१४८)
१४. श्री रघुवीरसिंह जावली (१२७)
१५. श्री बीराराम (१७३)
१६. श्री सतीशचन्द्र (१५१)
१७. श्री मुरलीधर व्यास (१०७)
१८. श्री अर्जुनदास (८)
१९. श्री पृथ्वीराज (१२५)
२०. श्री मोहरसिंह (१०२)
२१. श्री नाथीसिंह (११४)

स्थगन प्रस्ताव राजस्व मन्त्री द्वारा वक्तव्य ९१४

राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में अनावृष्टि एवं अत्यावृष्टि के फलस्वरूप उत्पन्न स्थिति के संबंध में आज राजस्व मन्त्री ने स्थिति का स्पष्टीकरण करते हुए एक वक्तव्य दिया।

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिए समय की वृद्धि

राजस्थान पुलिस विधेयक, १९५७ ९२३

श्री रामकिशोर व्यास, सभापति, प्रवर समिति, ने उपरोक्त विधेयक पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को ११ नवम्बर, १९५७ तक बढ़ाये जाने का जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया वह सदन द्वारा स्वीकृत हुआ।

स्तम्भ

प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन ९२३

श्री रामकिशोर व्यास, सभापति प्रवर समिति, ने राजस्थान पुलिस विधेयक, १९५७ पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थित किया।

जन-लेखा समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन ९२४

श्री हरिदेव जोशी, सभापति, जन-लेखा समिति, १९५७-५८ ने नियोजन लेखा १९५३-५४ (एप्रोप्रियेशन एकाउण्ट्स १९५३-५४) पर समिति का प्रतिवेदन उपस्थित किया।

पुरः स्थापित होने वाला विधेयक

फ्रेज़र पुल पथकर वैधकरण विधेयक, १९५७ ९२४

श्री नाथूराम मिर्धा यातायात मन्त्री, ने सभा की आज्ञा प्राप्ति करने के पश्चात् उपरोक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया।

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विधेयक, १९५७ ९२४

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विधेयक, १९५७ पर आज भी खण्डशः विचार जारी रहा।

स्कम्भ

खण्ड ४:—इस पर वाद-विवाद के पश्चात् निर्णय स्थगित रखा गया।

खण्ड ३, ५, ६, ७ एवं ८:—इन्हें स्वीकार किया गया।

खण्ड ६:—इस खण्ड पर श्री पी. के. चौधरी तथा श्री श्रीमानसिंह द्वारा संशोधन प्रस्तुत किये गये। इनके अतिरिक्त ६ अन्य सदस्यों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किये।

स्कम्भ

खण्ड ६ पर वाद-विवाद जारी था कि सदन की बैठक ४ बज कर २५ मिनट पर मंगलवार, दिनांक १२ नवम्बर, १९५७ को प्रात: ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गई।

१२ नवम्बर, १९५७ की कार्य-सूची

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विधेयक, १९५७

पूर्व संक्षिप्त विवरणों के शुद्धि पत्र

दिनांक ४ नवम्बर, १९५७

कॉलम संख्या २१६ प्रथम चार पंक्ति	"(७) राजस्थान लैण्ड रिफार्मस् एण्ड रिजम्पशन ऑफ जागीर्स (छठवां संशोधन) विधेयक १९५७" के स्थान पर "(७) राजस्थान जागीर भूमि पुनर्ग्रहण (वैधकरण) विधेयक, १९५७" पढ़ा जाय।
कॉलम संख्या २१६ अन्तिम ३ पंक्ति	"(६) राजस्थान जागीर भूमि पुनर्ग्रहण (वैधकरण) विधेयक, १९५७" के स्थान पर '(६) राजस्थान लैन्ड रिफार्मस् एण्ड रिजम्पशन ऑफ जागीर्स (छठवां संशोधन) विधेयक, १९५७" पढ़ा जाय।

दिनांक ५ नवम्बर, १९५७

कॉलम संख्या ४३५ पंक्ति ९ और १०	क्रम संख्या (७) पर "श्री हरिप्रसाद" के स्थान पर "श्री हरि-शंकर सिद्धान्त शास्त्री" व क्रम संख्या (८) पर "श्री नारायण-लाल" के स्थान पर "श्री रामकरण सिंह" पढ़ा जाय।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या १२१ का उत्तर देखिये)

विवरण पत्र जहां पर पटवार कर वसूल होता है।

क्रम संख्या.	नाम जिला
१.	बूंदी
२.	भरतपुर
३.	बीकानेर
४.	चूरू
५.	गंगानगर
६.	डूंगरपुर

नोट:—जोधपुर में खालसा के गांवों में ४ रुपया ११ आना प्रतिशत माल हासिल पर सिवाय लाग वसूली होती है। इसमें पटवारी को ८ पाई प्रति रुपया कुल वसूल शुदा रकम पर मिली है।

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या १३३ का उत्तर देखिये)

पलाना के कोयले की खान राजस्थान सरकार के सूचना आदेश क्रमांक ४।१।बी० ५।२७।३ दिनांक २२-८-५७ के द्वारा एक व्यापारिक स्तर के प्रतिष्ठान के रूप में स्वीकार की जा चुकी है जिसके वार्षिक लाभ के आंकड़े व्योरेवार नीचे दिये जा रहे हैं :

१९५१–५२	१,५०,२८२-८-०
१९५२–५३	१,२१,७७५-९-९
१९५३–५४	२८,०६४-८-८
१९५४–५५	१२,५२०-३-६
१९५५–५६	१,५३,४८३-११-०
१९५६–५७	अकाउन्ट्स ए० जी० के परीक्षण में हैं।

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या १३५ का उत्तर देखिये)

MINES & GEOLOGY DEPARTMENT, RAJASTHAN, UDAIPUR,
Statement showing the names of the Parties against whom Government dues for Rs. 1,000/- or over were outstanding as on 31-3.57.

S. No.	Name of Party	Amount Due	Date since due	Remarks.
1.	2.	3.	4.	5.
	UDAIPUR DIVISION.			
1.	M/s Mewar Mineral Co.	73,992.88		
2.	„ Rajasthán Mining Industries.	36,465.18		
3.	Shri Rameshwar Das Sodhani.	11,096.00		
4.	„ Mangal Ram Contractor (Nimbahera)	9,084.56		
5.	„ Moolchand Sugan Chand.	7,882.44		
6.	Seth Kachorimal Sukhlal	5,579.13		
7.	M/s Laxmi Mineral Co.	7,570.00		
8.	Seth Pusalal Mansinghka	6,497.73		
		1,791.75		
9.	-do-	3,144.88		
10.	M/s Mewar-Industrial & Commercial Syndicate.	19,439.69		
11.	Shri Qurban Hussin Bohra.	1,482.25		
12.	Shri Moti Lal R. Minda	1,890.31		
13.	„ Akbar Ali Mohammed.	1,283.31		
14.	„ Phoolchand Biyani.	4,600.00		
15	Seth Kachorimal Sukhlal.	5,334.00		
16.	Shri Dilipsingh Puri	3,750.00		
17.	M/s. Sohanlal Chunnilal.	1,401.75		
18.	M/s Bherulal Jasraj.	2,026.75		
19.	Shri A. K. Tehsin.	1,813.82		
	BHILWARA DIVISION.			
1.	M/s Dau Dayal Mohta	95,254.68		
2.	M/s. Mewar Industrial Commercial Syndicate	13,180.00		
3.	M/s Ram Lal & Sons.	3,000.00		
4.	Shri D. C. Chopra	2,684.50		
5.	-do	6,786.00		
6	Shri Dewan Mayadas	9,801.75		

1.	2.	3.	4.	5.
7.	M/s Ashok Minerals	1,939.25		
8.	,, Mukhi Gordhandas	3,125.00		
9.	,, Jaycee Syndicate	2,728.00		
10.	,, Shiv Rattan Gordhandas	1,518.00		
11.	Shri Bhanwar Sumersingh of Barera.	1,025.00		
12.	,, G. D. Somani	1,524.00		
13.	,, Rajeswar Dayal Garg	2,441.12		
14.	M/s Baluram Harnamsingh	66,708.50		
15.	Shri Gyan Singh Punjabi	7,872.62		
16.	,, Gulam Mohammed	1,633.00		
17.	,, Ahmed Khan	1,178.56		
	(Ajmer-Sub-Division).			
18.	,, Sahab Chand Surana	2.265.81		
19.	,, Khan Singh Bhandari	3,500.00		
20.	,, Kesri Singh	2,490.75		
21.	,, Raghunath Agarwal	2,645.37		
22.	,, Ram Ballabh Agarwal	9,500.00		
23.	Smt. Parwati Devi	3,560.44		
	JAIPUR DIVISION			
1.	Shri Anant Mal	2,312.17		
2.	,, Girdhari Lal	2,486.19		
3.	,, Govind Narain	2,623 92		
4.	,, Hari Narain	2,349.11		
5.	,, Hardwari Lal	31,088 30		
6.	M/s Jaipur Engineering Construction.	5,269.30		
7.	,, Koki Lal Prahlad Dass	3,125.95		
8.	Shri Basanti Lal	1.995.50		
9.	,, Kantilal Bhogilal	1,541.20		
10.	,, Ladu Lal	1,920.14		
11.	,, Laxmi Narain	2,575.42		
12.	,, Ladu Ram	4,921.20		
13.	,, Murlidhar Contractor	1,696.56		
14.	,, Mali Ram	2,038.00		
15.	M/s Mali Ram Nandlal	1,901.78		
16.	Shri Nand Lal	2,278.69		
17.	,, Nasiruddin	1,015.50		
18.	M/s Rajputana Corporation	11,783.45		
19.	Shri Ram Gopal	2,393.94		
20.	,, Gopal Behari	1,272.58		

1.	2.	3.	4.	5.
21.	„ Krishan Agarwal	4,835.56		
22.	„ Vidya Prakash	1,704.19		
23.	„ Narain	3,726.64		
24.	„ J. B. Corporation	1,961.23		
25.	„ Nathu Ram	1,746.34		
26.	„ Narain	1,000.00		
27.	„ Girdhari Lal	1,650.00		
28.	„ Chhuttan Lal Phophalia	1,35,430.00		
29.	M/s Jaipur Mineral Development Syndicate.	2,56,932.00		
30.	M/s Bharat Mineral Development Syndicate.	48,255.23		
31.	Shri Onkar Lal	1,387.00		
32	„ Satish Chandra	9,750.00		
33.	„ Anandi Lal	1,025.00		
34.	„ Mangi Lal Bhuramal	4,025.94		
35.	„ Hem Chandra	2,901.81		
36.	„ Amolak Chand	10,765.00		
37.	„ Sahib Chandra Surana	11,085.00		
38.	„ Gopal Ram Dutt	2,288.94		
39.	„ Girdhari Lal	1,100.00		
40.	„ Isar Ram, Contractor	1,324.00		
41.	„ Kishan Chothmal	3,850.00		
42.	„ Deen Dayal	1,051.06		
43.	„ Murlidhar	1,930.00		
44.	„ Deen Dayal	1,880.00		
45.	„ Mohan Lal	1,100.00		
46.	„ Permanand	1893.00		
47.	„ Gafoor Khan	2,175.00		
48.	„ Dhouri Lal	4,650.00		
49.	„ Shiv Prasad	1,875. 0		
50.	„ Bhura Lal	2,100.00		
51.	„ Jagdish Prasad	2,958.33		
52.	„ Hanuman Prasad	3 604.17		
53.	„ Jagdish Prasad	1,651.00		
54.	„ Ajmeri Khan	2,058.00		
55.	„ Pokharmal	3,050.00		
56.	„ Kumbharam	2,075.00		
57.	„ Balwant Singh Jakhadi	2,918.09		
58.	„ Jagdish Prasad	1,250.75		

1.	2.	3.	4.	5.
59.	„ Deen Dayal	5,259.00		
60.	„ Deen Dayal	2,477.00		
61.	„ Kishan Gopal Tarachand	1,950.00		
62.	„ Nihal Ram	1,061.75		
63.	„ Puran Chand	1,706.00		
64.	„ Hira Lal	1,004.00		
65.	„ Ganga Prasad	2,046.00		
66.	„ Prahald Das	1,000.00		
67.	„ Jagdish Prasad	1,501,00		
68.	„ S. K. Bros.	3,790.00		
69.	„ Chand Beharilal	1,630.00		
70.	„ Chhotu Ram Horilram	23,844.00		
71.	„ Phool Singh	16,000.00		
72.	M/s C. Didwania	6,479.00		
73.	Shri Harsukh Raj	7,875.00		
74.	„ Damodar Das Khandelwal	5,845.00		
	(Alwar Sub-Division)			
75	Shri Hardev Prasad	1,250.00		
76.	„ Dwarika Prasad	3,504.87		
77.	-do-	4,031.06		
78.	„ Ramji Das Narain Dass	2,756.00		
79.	„ Ganga Ram	1,449.87		
80.	„ Abdul Rehman	2,021.28		
81.	„ Chirangiv Prasad	2,557.22		
82.	„ Bhura Khan	2,630.00		
83.	„ Lalu Meo	2,008.00		
84.	„ Manji Moolji	1,636.72		
85.	„ Banwari Lal	2.712.50		
86.	„ Ahammed Shah	1,622.61		
87.	„ Malla Meo	4,724.05		
88.	„ Bhura Khan Meo	2,288.50		
89.	„ Goverdhan	2,730.87		
90.	„ Mozaffar Ali	3,150.00		
91.	„ Chirangi Lal Patel	3,482.30		
92.	„ Narain Das	1,050.31		
93.	„ Ram Narain Contractor	2,878.56		
94.	„ Chandu Lal Gupta	2,916.00		
95.	„ Narain	2,137.39		
96.	„ Kaloo Ram	1,168.75		
97.	„ Ram Narain Contractor	2,331.73		

1.	2.	3.	4.	5.
98,	Shri Ram Chandra	2,652.50		
99.	„ Laxmi Narain	2,600.00		
100.	„ Laxmi Narain	1,237.50		
101.	„ Har Phool	1,200.00		
102.	„ Mangal Ram	1,005.00		
103.	„ Mitthan Lal	3,865.00		
104.	„ Vishnu Dutt Bala Bux.	2,551.00		
105.	„ Lalu Meo	1,160.16		
106.	„ Bhura Khan	3,811.78		
107.	„ Budha Ram Suraj Bhan	1,210.62		
108.	„ Narain Das	1,590.00		
109.	„ Narain Das	5,050.00		
110.	„ Sukh Lal	2,550.00		
111.	„ Budh Ram	2,103.00		
112.	„ Mitthan Lal	1,57[illegible].00		
113.	„ Laxmi Narain Dube	3,900.00		
114.	„ Mishri Lal Hardeo Prasad	1,125.00		
115.	„ Ram Gopal	1,876.00		
116.	„ Narain Dass	3,512.62		
117.	„ Laxmi Narain	1,515.00		
118.	„ Chhaggan Ram	1,675.00		
119.	„ Surajmal	1,800.00		
120.	„ Mithan Lal Conractors	3,075.[illegible]0		
121.	„ Rageshwar Nath Bhargava	1,875.00		
122.	„ Ganesh Lal Om Prakash	1,800.00		
123.	„ Keshaw Prasad	1,072.00		
124.	Rajasthan Harbar Ltd.	1,675.00		
125.	„ Ramji Lal	1,143.00		
126.	„ Kisori Lal	4,375.00		
127.	„ Radhey Shyam Gupta	1,750.00		
128.	„ Sunder Lal	1,127.50		
129.	„ Amar Nath.	1,250.00		
130.	„ Jai Narain	3,003.75		
131.	„ Ramji Lal	2,475.00		
132.	„ Hari Shanker	1,060.00		
133.	„ Ram Kishore Modi	1,500.00		
134.	„ Lala Ram.	1,012.19		
135.	„ Ramji Lal Banwari Lal	1,875,00		
136.	„ Manohar Lal	3,750.00		
137.	„ Haja Hussain.	11,115.44		

1.	2.	3.	4.	5.
138.	„ Mahuj Ali	6,355.17		
139.	„ Bashir Khan	8,156.00		
140.	„ Ali Khan	5,407.06		
141.	„ Narain Dass	6,726.77		
142.	„ Chiranji Lal	6,711.77		
143.	„ Har Dayal Lalu Ram	9,570.00		
144.	„ Chiranji Lal Vaish	21,250.00		
145.	„ Gayarsi Ram	48,139.41		
146.	„ Bhairan Prasad B. Sain	8,003.75		
147.	„ Shadi Lal	9,003.56		
148.	„ Chiranji Lal Bhoori Lal	5,325.36		
149.	„ Hem Raj Mundawar	6,400.08		
150.	„ Rawti Prasad	27,633.37		
151.	„ Mool Chand Kapoor Chand	18,540,37		
152.A.	„ Laxmi Narain Radha Vallabh	10,932.00		
152.B.	„ Sukh Lal	1,025.00		
153.	„ Laxmi Narain Dube	10,400.00		
154.	„ -do-	37,500.00		
155.	„ Ganesh Lal Rajgarh	11,661.11		
156.	„ Sardar Sarjit Singh	33,333.37		
157.	„ Devi Singh	8,250.00		
157.	„ Jai Narain	6,515.50		
	JODHPUR DIVISION			
1.	Shri Abdul Hussain S/o Mohammed	5,165.89		
2.	„ Abas Ali Fathu Khan	7,723.05		
3.	„ Baksu Khan Sukha Khan	7,439.00		
4.	„ Derab Khan S/s Deem Khan	9,[illegible]24.75		
5.	„ Gotam Lime Syndicate	71,077.87		
6.	„ Gulab Singh S/o Bori Dass	25,049.66		
7.	„ Govani Ali Khan S/o Daulat Khan	12,892.69		
8.	„ Hema Ram S/o Binja Ram	8,023.87		
9.	„ Hansraj Murlidhar	27,754.00		
10.	„ Hasan Ali & Sons	38,000.00		
11.	„ Hanuman Prasad Chowdhary	5,401.00		
12,	„ Jamna Lal Fathu Khan	24,000.00		
13.	„ Kishan Lal S/o Jodhraj	6,054.00		
14.	„ Kaloo Ram Madan Lal	5,719.25		
15.	„ Lumba Ram S/o Gula Ram	8 806.00		
16.	„ Manak Lal Dharma Singh Mandore	15,079.31		

1.		2.	3.	4.	5.
18.	,,	Madan Lal Rawat	8,313.00		
18.	,,	Rahim Bux Gulam Rasool	7,669.00		
19.	,,	Rawat Khan S/o Bhakhtawar	8,460.00		
20.	,,	Rahim Bux S/o Ajmeri	6,254.56		
21.	,,	Ramjas Dhan Raj	15,484.50		
22.	,,	Samdoo Khan S/o Karim Khan	12,540.00		
23.	,,	Ahmed S/o Illahi Bux	2,251.00		
24.	,,	Azimuddin Hazi	4,240.31		
25.	,,	Askar Khan S/o Allah Bux	3,360.00		
26.	,,	Abdul Khaliq S/o Mohammed Usmman	2,890.00		
27.	,,	Bhola Ram S/o Ram Narain	3,796.00		
28.	,,	Bhola Ram S/o Chogji	1,241.00		
29.	,,	Abdul Aziz Khan	1,394.50		
30.	,,	Bhagni Ram	1,588.00		
31.	,,	Bubu Lal S/o Poona Ram	2,458.00		
32.	,,	Birdhi Chand S/o Laxmanji	2,500.00		
33.	,,	China Ram S/o Amra Ram	1,225.00		
34.	,,	Chhotu S/o Ratna	1,120.72		
35.	,,	Gaffar S/o Hauu	3,036.00		
36.	,,	Gisoo Puri S/o Kishan Puri	3,118.78		
37.	,,	Ghasi Ram S/o Girdhari	1,535.00		
38.	,,	Gani S/o Sakruddin	4,564.25		
39.	,,	Ganpat Singh S/o Taja	1,275.00		
40.	,,	Hari Lal S/o Bhagwan	4,500.00		
31.	,,	Inder Singh S/o Durga Singh	1,027.87		
42.	,,	Isher Singh S/o Kan Singh	1,575.00		
43.	,,	Ismail S/o Ajmeri	1,646.00		
34.	,,	Lun Dhan S/o Lal Chand	1,[illegible]00.00		
45.	,,	Lachi Ram S/o Megha	1,138.64		
46.	,,	Mohammed Sikendar S/o Yakub	1,109.37		
47.	,,	Maga Ram S/o Bhika Ram	1,690.00		
48.	,,	Moda Ram S/o Kishan Ram	1,782.36		
49.	,,	Mohammed Sadiq S/o Azimuddin	1,709.39		
50.	,,	Mukhtiyar Khan S/o Bakhtwar Khan	1,984.62		
51.	,,	Narsing S/o Jhunja	1,538.00		
52.	,,	Parsaram S/o Moti	3,681.00		
53.	,,	Pirthavi Singh S/o Chaji Singh	4,779.00		

1.	2.	3.	4.	5.
54.	„ Pema S/o Asa	2,502.00		
55.	„ Radha Kishan S/o Babu Lal	2,710.50		
56.	„ Sikhe Kham Ladoo Khan	2,712.66		
57.	„ Yaya Khan S/o Khuda Bux	3,508.00		
58.	„ Banda Ram S/o Peru Ram	1,015.33		
59,	„ Kohari Chand S/o Durga Chand	2,658.00		
	KOTAH DIVISION			
1.	Shri Chatrumal Sindhi	2,416.75		
2.	„ Nand Lal Radha Lal	2,625.00		
3.	„ Shyam Lal	2,793'50		
4,	„ Kunj Beharilal	1,940.00		
5.	„ Diwan Singh	1,317.50		
6.	„ Hari Kumar	5,411.00		
7.	„ Dinesh Chandra	1,200.00		
8.	„ Babu Lal Dhabai	3,149,06		
9.	„ Dhan Roop Mahajan	1,368.00		
10.	„ Kelash Chandra	3,929 00		
11	„ Kundan Mal	5,025.00		
12.	„ Dilap Singh	1,371.20		
13.	„ Nasir Mohammed	2.020.95		
14.	„ Dilap Singh	4,096.20		
15.	„ Ujaggar Singh Sanghar	2,842 00		
16.	„ Sudershan Singh	2,359,00		
17.	„ Amar Nath	2,341.00		
18.	„ Inayat Hussain	4,588 50		
19.	„ Madan Lal Agarwal	1,015.00		
20.	„ Guru Dayalmal Khatri	1,169 08		
21.	„ Hokhat Ali	4,975.98		
22.	„ Harihar Singh Mandan	1,822.12		
23,	„ Jagdish Singh	1,450.25		
24.	„ Mohan Singh	3,660 98		
25.	Kotah Stone Syndicate	14,865.19		
26.	Shri Nand Ram Mishri Lal	3,337.36		
27.	„ Vriyam Singh	8,602.23		
28.	„ Mishri Lal Bapna	6,044.80		
29.	„ Keshri Singh	2,956.22		
30.	„ Govind Lal Sunar	1,588.91		
31.	„ Shyam Lal Arya	1,137.50		
32.	„ Kashi Prasad	2,919.19		
33.	„ Shyam Lal	1,451,00		

Page No.116

1.	2.	3.	4.	5.
34.	,, Illahi Bux	2,025.00		
35.	,, Mulak Raj	1,300.00		
36	,, Moti Lal Yadav	1,250.00		
37.	,, Shamshad Beg Champalal	1,500.00		
38.	,, Mohammed Ramgan	2,100.00		
39.	,, Lal Chand Agarwal	2,250,00		
40.	,, Pratap Singh	3.131.00		
41	,, Mohammed Ramjan	1,271.66		
42.	,, Gulab Singh	1,000.00		
43.	,, Pusha Ram	1,732.75		
44.	,, Bhanwar Lal	1,506.25		
45.	A. S. I. Ltd. Kotah Ramganjmandi.	3,59,058.19		

परिशिष्ट ४

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर देखिये)

लिस्ट जागीरदारों की मय पूरा पता

१ राजेन्द्रसिंह पुत्र मूलसिंह	चन्डालिया, नागौर ।
२ कल्याणसिंह	बापूगांव, तहसील चाकसू, जयपुर ।
३ लक्ष्मणसिंह	नयावास, सीकर ।
४ पृथ्वीसिंह पुत्र विजयसिंह	झालावाड़ हाउस, जोधपुर ।
५ हनुमानसिंह मेड़तिया	बोराज हाउस, जयपुर ।
६ किशोरसिंह पुत्र शिवबक्स	दूगोद, सीकर ।
७ मोदसिंह पुत्र मंगलसिंह	परवा पालना, जाखल ।
८ इन्द्रसिंह शेखावत	नवलगढ़, सीकर ।
९ आससिंह	हूडोली, नागौर ।
१० दुर्जनसालसिंह राठोड़	पाटोदी, मारवाड़ा ।
११ मोहनसिंह, विजयपुरा	रायथल हाउस, जयपुर ।
१२ मूलसिंह	खिरोद, झुंझुनू ।
१३ नरेन्द्रसिंह	सियोल, नागौर ।
१४ भगवतसिंह	राय का बाग, जोधपुर ।
१५ दाऊलाल	रूडकली, जोधपुर ।
१६ जयपालसिंह	केडहाउस, जोधपुर ।
१७ कल्याणसिंह पुत्र श्री लक्ष्मणसिंह	चाकसू, जयपुर ।
१८ विजयसिंह	मुरलीपुरा, चाकसू ।
१९ दुर्गासिंह	रामपुरा, फुलेरा, जयपुर ।
२० करनसिंह	चूबा, नागौर ।
२१ कल्याणसिंह	पूरनवास, बिनियाना, जयपुर ।
२२ रजवीकानसिंह	दांता हाउस, जयपुर ।
२३ मोहनसिंह	गिगोली ।
२४ रनबकटसिंह	जोधपुर ।
२५ जशवन्तसिंह	जोधपुर ।
२६ भंवरसिंह शेखावत	नवलगढ़ हाउस, जयपुर ।
२७ रामसिंह	नागला, अलवर ।
२८ जयसिंह	जागीर कमिश्नर ऑफिस, जयपुर ।
२९ हरिसिंह चौहान	जयपुर ।
३० गंगासिंह	जयपुर ।

परिशिष्ट ५

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ३ का उत्तर देखिये)

Statement of material received from Congress Reception Committee.

Name of Material	Cost-.
1. Iron & Steel material.	8,41,640-15-0
2. Mack trucks.	39,130- 0-0
3. Jeep Car.	4,500-0-0
4. Modak stones.	1,37,749-11-0
5. 25 H. P. slipering motor	4,125,- 0-0
6. 15 H. P. Motor (P. 248).	3,080- 0-0
7. Cheverlot truck.	25,000- 0-0
8. Yellow Vannet.	7,530- 0-0
9. G. I. pipe	10,343- 1-0
10. H. S. Dissel oil I. B. pc. No. (1478/3ton, 149/1 ton. 183/1 ton)	11,410-14-0
during Nov. & Dec. 1948	1375-15-6
11. Almirah Racks etc. & Ballies.	500-0-0
12. Remington Type-writer.	775- 8-0
13. On account of Modak stones.	7,445-10-0
	10,94,611-10-6

परिशिष्ट ६

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ५ का उत्तर देखिए)

उन मामलों की सूची जो ३१ मार्च १९५४ को विचाराधीन थे व वे आज भी विचाराधीन हैं

S. No.	Name of the accused with brief particulars.	Date of occurrence.	Amount embezzled.	With whom pending.
1	2	3	4	5
1	M/s. Akhtar Hussain (Labour Agent) and Abdul Majid of Levy Centre, Digod (Kotah District)	9-9-51	3,445/-/-	Pending for want of recovery with the Collector, Kotah.
2	Shri Rewa Shanker; Supply Clerk Aspur.	22-12-49 to 30-1-50	1,880/8/9	Pending in Apptts. Department as well as for want of recovery under P. D. R. Act.
3	Shri Suraj Mal Jain, Supply Clerk, Tehsil Sarwar.	During first week of Sept. 53.	Grains costing 437/9/3	Pending for a final reply from Collector, Jaipur.
4	Shri Jai Kishan Clerk, Civil Supplies Department, Mavli.	25-1-54	113/3/9	With the Collector, Udaipur.
5	Shri Govind Singh Nehta of Returning Section.	May and June 1951	217/7/-	With the Commissioner for Industries, Rajasthan, Jaipur
6	M/s. Mukand Singh Maib Tehsildar, Kanhiy Lal Clerk and Ram Lal Mahazan (P. S. Bekani), District Jhalawar.	1952	25 bags of grains.	With the Anministrative Officer, Civil Supplies, Rajasthan, Jaipur.
7	M/s. Sunder Lal and Mohan Lal Clerks in the Supply Office, Bikaner.	18-6-49	3,865/12/9	With the Asstt. Collector & Extra Magistrate, Bikaner.

1	2	3	4	5
8	Shri Nagar Mal Clerk of the Civil Supplies Deptt. at Sujangarh (Churu).	4-11-49 to 11-1-51	300/-/-	With the Administrative Officer, Civil Supplies Department, Jaipur.
9	Shri man Singh, Tehsil Basi, Distt. Bharatpur.	28-4-52 to 28-4-53	1, 619/4/9	With the Collector, Bharatpur.
10	Shri Babu Lal, Supply Clerk and Shri Bhagwati Pd. Jhnnjhunu.	17-4-53	20,908/10/6	With the Supply Department.
11	Shri Ladu Singh, Accounts Clerk, Supply Department, Bikaner.	1950-51	9,715/13/6	Pending for want of recovery under P. D. R. Act.
12	Shri Hari Vallash, Dhan Mandi, Bundi.	2-6-49	36,971/12/9	Pending with Supply Department for write off of the embezzled money.
13	Sarva Shri Narain Lal and Misri Lal of of Civil Supplies, Jaipur (From Centre Asolpur).	1951-52	8,337/3/6	Departmental Enquiry reportawaited,
14	Shri Ram Kishan Malik S. A. O' Bikaner	July. 51	80,410/4/-	Subjudice in the High Court.
15	Shri Anandi Lal Chobey Ex-Naib Tehsildar Procurement Centre Ayana Tehsil Itawa.	10-5-50 to 13-6-50	3,951/12/6	Administrative Officer, Civil Supplies, Jaipur.
16	Shri Faiz Mohd. of Arwad Police, Jaipur. (Procurement under escort)	1-9-50	50,000/-/-	Pending with Supply Department.
17	M/s. Sukh Deo Puri, Mahavir Pd. and Shri Narain Cashier.	1949	686/-/- 7,000/-/-	Pending with Chief Conservator of Forests, Jaipur.
18	Shri Rameshwer Dayal Range Accountant Dholpur	1951	1,434/3/-	Pending for want of recovery of the embezzled money.

1	2	3	4	5
19	Shri Sumer Chand Nakedar of Prarap Bund Aiwar.	4-5-49 to 4-2-50	66,8/-	Pending with C. C. F. Jaipur.
20	Shri Habibur Rehman Forest Ranger, Nimbahra	March, 50	1, 994/14/9	Pending with „ „
21	Shri Narain Ex-Cashier, Conservator of Forest Officer, Kota.	24-4-49	15/14/- 3,181/-/-	„ „ „ „
22	Shri Jawaher Lal, Range Office Ladpura (Kotah)	14-4-51	2000/-	Pending with C. C. F. Jaipur for want of recovery.
23	Shri Nain Mal Modi, Divisional Forest Office, Sirhi.	1944-45	3,609/6/6	Pending with C. C. F. Jaipur for want of recovery.
24	Shri Bansi Lal Range Clerk, Garhi of Banswara	8-4-50 to 7-12-52	1,738/11/-	Subjudice in Court.
25	Shri Ahmad Khan Forester at Forest Naka Dungaria, Range Ghantol, Division Banswara.	16-6-52	1,068/2/9	Pending with with C. C. F. Jaipur for want of recovery.
26	Shri Issar Ahmad Forester Nakedar at Forest Naka Jhantal, Range Deogarh (Dist. Banswara)	16-6-52	778/9/6	-do-
27	Shri Mahavir Pd. Dalal Customs Saduwali, Ganganager.	1952	5,817/15/6	Pending with Commissioner, E.&T, Udaipur.
28	Shri Basanti Lal Mehta Nakedar Customs and Excise Deptt.	1950	232/8/-	-do-
29	Shri Amer Deen Nakedar P. S. Jamser	5-10-50	9,668/6/6	-do-
30	Shri Magan Behari Lal Warehouse Clerk Jhalawar.	5-12-52	7,998/12/-	With Excise & Taxation Department.

1	2	3	4	5
31	M/s. Prakash Bhadur and Ramkishore Nakedar Customs Outpost, Tiba Bashi	1953	576/3/6	With the Commissioner, E. & T, Udaipur.
32	Shri Ahmed Khan Thanedar Chak Barwali	1939	331/15/9	With the Oollector, Ganganagar.
33	Shri Dan Singh Nakedar at Customs Naka Pilibager Circle, Hanuman-garh.	8-10-51	435/3/-	With the Commissioner, E. & T, Udaipur.
34	M/s. Mangal Chand Nakedar and Onkar Mal Moharrir.	25-5-53	5,127/8/6	With the Commissioner E. & T. Udaipur.
35	Shri Sobha Lal Mistry and Dalpat Singh Naib Tehsildar in Famine Ralief works Udaipur.	1953	800/-/-	With the Collector, Udaipur.
36	Shri Sri Nath Cashier, S. P. Office Bharatpur	1952	1,370/4/-	With Dy. I. G. P. CID, Jaipur.
37	Shri Udai Raj H. C. of P. S. I. Office Bhinmal and in Constable Bhagwan Singh and Raghunath Singh.	In Nov. 52 to 19-4-53	600/ /-	With Dy. Inspector General of Police, CID JPR.
38.	Shri Majidullah Khan, Police Lines, Jhlawar.	May,'52	3,640/3/6	-do- for want of recovery.
39.	Shri Prem Narain Ex-Acoountent of S.P. Office, Jalore.	1949	336/-/-	-do- -do-
40.	Shri Kishan Das Pareek, Police Offce, Udaipur	27.9.49	641/7/3	-do- -do-
41.	Shri A. C. Nanda, Accountant 3rd Bn,R. A. C. Barmer.	1952	497/5/9	-do- -do-
42.	H[illegible] rsal Singh of IV Bn. R. A. C. Karauli.	12.8.51	1,746/10/3	-do- -do-
43.	Shri Jawahar L[illegible] Ex-Treasurer, Jaipur Pony Coy.	Prior 1953	19,216/3/6	-do- -do- as well as pending in Hfgh Court.

1	2	3	4	5
44.	Shri Ajit Singh Hd. Clerk and Shri Uaggan Singh in 2nd Bn. R. A. C., Raisinghnagar.	9.10.53	16,083/3/6	With the I. G. Police, Rajasthan, Jaipur.
45.	Shri Govind Prasad Clerk in the office of the Baby Welfare Committee, Jaipur.	Prior 1949 Sept. 44 to	6,894/2/5	With Appointments Department.
46.	Shri Ganpat Lal Cashier in the office of the D. M. & H. S., Rajasthan, Jaipur.	Feb. '47	34,897/6/6	With Medical & Health Department.
47.	Shri Prem Prakash Tiwari, L.D.C. of Labour Commissioner's Office. Jaipur,	7.1.53	9,260/-/-	With Appointments Department.
+8.	Shri Sita Ram Ex-Asstt. Jailor, Sub-Jail, Rajgarh.	1949-50	537/14/6	With I. G. Prisons, Jaipur.
49.	Shri Bhonrey Lal, Store-Keeper in the Central Prison, Alwar.	Juno,'49	560 mds. of grains worth Rs. 10,000/-	With Supply Secretary.
50	Embezzlement by Narrotam Lal Nazir, Collectorate, Bharatpur.	8. 8. 51	33,262/1/3	Pending for want of recovery under PDR Act.
51.	Joth Mal Patedar, Desuri Sub-Treasury.	Feb. '49.	25,500/-/-	Disp-ute about the recovered property under appeal in the Court of Law.
52.	Shambhoo Lal Clerk, S. D. O. Banswera.	27. 3. 1950	381/15/-	Case subjudice in the Court of Law.
53.	Patwari Mohd. Khan and Peon Man Shanker Tehsil Banswara.	1950	359/11/-	-do- Mohd. Khan still absoonding,
54.	Dayal Chandra Tehsildar and Bhagwati Lal Clerk, Tehsil Dungarpur.	28.3.52	901/2/-	-do- as also pending for want of recovery,
55.	Devi Singh Patwari. Tehsil Asind	Smt. 2005 to 2007	3, 466/15/6	Pending for want of recovery.

1	2	3	4	5
56.	Ghafoor Md. Poon, Tehsil Khanpur.	11.6.49	112/8/-	Action against supervisory staff as also recovery from Shri Dinka Rao (made responsible for the loss) pending with the Collector.
57.	Mathura Lal Cashier, Tehsil Jhalrapatan.	14 to 22.9.50	41,931/8/5	Case subjudice in the Court as also recovery pending.
58.	Shyam Prakash, Cash Clerk, Tehsil Sawai-Madhopur.	22.12.51	32,764/11/6	Sentenced in some cases. Others pendiug as also recovery.
59.	Hassen Ali, Ex-Cashier, Colloctorate, Dungarpur.	1948-49	4,849/13/11	Departmental Enquiry Report still awaited from the Collector, Dungarpur. Accused already expired.
60.	Pyare Lal, Reader, Tehsil Kurawad.	8.7.53	1,075/12/3	Appeal filed by him against conviction pending. Recovery not yet made for want of decision thereon.
61.	Kamruddin, Patwari, Tehsil shabad.	5.6.53	237/-/-	D. E. report still awaited. Accused equitted in the Court.
62.	Govind Lal Reader, S.D.O. Court, Jodhpur.	31.12.52	1,521/-/-	Pending for want of recovery of some balance of the amount embazzled.
63.	Bhanwar Lal Patwari, Tehsil Arnod	June, '53	2,784/15/6	Case subjudice in the Court.

1	2	3	4	5
64.	Jai Shanker Brahmin, Tehsil Arnod	Smt. 2008-9	894/15/6	Action against supervisory staff pending with Revenue Department at present.
65.	Bhanwar Lal Patwari Tehsil Nainwa	Smt. 2007	4,134/8/3	Case subjudice in the Court.
66.	Jugraj, Patwari, Tehsil Nagaur.	27.10.53	715/4/-	Accused absconding. D. E. report also awaited from the Collector, Nagaur.
67.	Roop Singh, Patwari, Tehsil Deogarh	Feb. '54	124/4/-	D. E. report still awaited.
68.	Abdul Aziz Patwari, District Jhalawar.	1953	467/10/-	Accused absconded to Pakistan. Pending with Collector, Jhalawar.
69.	Naramdas, Head Master, Primary School, Ladpnra.	2.11.52	4,033/3/9	Accused still abscondiing. Case subjudice. Amount written off.
70.	Amardas, Accountant, T. T. Institute, Vidyasala, Jodhpur.	Mey, '49	1,252/15/6	Case subjudice in the Court.
71.	Bhanwar Lal, Cashier, M. B. College, Udaipur.	1940-45	6,928/6/-	Action against Shri Bhonwar Lal pending with Education Department, Rajasthan.
72.	Embezzlement in C.T. School, Parasram Dwara by Ex-Head Master.	Jan. '51	68/-/-	The accused served with charge sheet. Action pending.
73.	Shri Kishan Solanki, Ex-Cashier, Jaswant College, Jodhpur.	Dec. '52	3,440/9/9	Action regarding recovery under P.D.R. Act pending with Collector.
74.	Shanker Lal Ex-Head Master, Phalodi	1.11.53	223/-/-	Action against official responsible is being taken.

1	2	3	4	5
75.	Bhori Lal Cashier and Mangi Lal Store-Keeper, Education Department, Alwar.	April, 1949	4,049/15/6	Case subjudice against Bhonri Lal.
76.	Bhanwar Lal, Collection Clerk, Khodip.	25.9.51	1,923/12/3	Pending for want of recovery under P. D. R. Act.
77.	Radhey Shyam Tikkiwal, Clerk. Transport Office, Jaipur.	1.4.51 to 31.1.53	1,735/3/-	This case is now at final stage. Action has been completed.
78.	(1) Jag Mohan, Inspector 339/- (2) Badri Pd. Cashier. 465/- (3) Arvand Prakash 693/14	1949 52	1,497/14/-	Recovery pending. Other action is in progress.
79.	Nizamuddin Clerk, P.W.D., Kota	Jan. '51 to 3.11.51	5,437/11/3	Accused absconding. Case subjudice. No prospects of recovery. Action against Supervisory staff pending with the P. W. D.
80.	Hari Har Swaroop, Nazir, Munsiff Court Rajgarh.	1947 to 1951	4,786/13/6	Some of the cases subjudice. Also pending for want of recovery.
81.	Gangadan Gumashta, Cashier, Session Judge Court, Ganganagar.	May' 50	5,324/3/9	Accused absconding. Question of write off or an unrecoverable balance of Rs. 20/10/6 under consideration.
82.	Ghasi Singh Muhafiz. S. G. Irrigation Department, Jaipur.	3.2.53	326/13/3	Case pending only for want of final report regarding recovery.
83.	Madan Mohan, Nazir, Munsiff Court, Deeg.	25.9.49	5,186/12/9	Case subjudice in the Court. Action pending regarding supervisory staff.
84.	Suraj Karan, Reader, S.D.O, Court, Nagaur.	Jan. '49 to Oct. '51	9,774/12/9	Accused was absconding of late. He has now been arrested and case challaned in the Court of Law.

1	2	3	4	5
85.	Embezzlement in Asstt. District Magistrate Court, Tonk by :- (1) Mazarhar Ali 2,837/14/9 (2) Dhool Chand 335/10/- (3) Mohd. Ibrahim 170/ -/- (4) Mohd. Hussan Khan 1,150/ /-/-	1947 to 1949	4,493/8/9	Action against supervisory officers pending with Government. Steps being taken to recover the amount under the P. D. R. Act.
86.	Mattadin, Clerk, Custodian Evacuee Property, Kotputli.	3.11.52 to 4.8.53	8,573/3/-	Action under P. D. R. Act for recovery pending.
87.	Devi Dayal, Clerk, Assistant Custodian Deyartment Nohar.	Oct. '53	918/1/-	Devi Dayal still absconding. Case subjudice against a merchant for receiving stolen property.
88,	Misapproprition of T.A. Claims of Shri A.N. Kakkar, Accountant of Director of Education Department, Jodhpur.	4.2.49	233/9/-	Matter still under Police investigation.
89.	Embezzlement in Dy. Custodian Evacuee Property Office, Jaipur:- (1) Jawahar Mal, Peon (2) Rewa Chand, Accountant (३) Kastoor Chand, Ex-Cashier.	16.8.50 to 19.11.50	512/6/3	Both the accused still at large. Case challaned in the Court. Action against officers pending with Appointments Department.
90.	Forgery by Ram Pal Sehna, Ex-English Clerk, Director of Rehabilitation, Bikaner.	25.1.50	5,500/-/-	Action uuder progress to recover the loss from the Bank of Bikaner responsible therefor.

१०८५ (अ)

परिशिष्ट ७

(कृपया अतरांकित प्रश्न संख्या ६ का उत्तर देखिये)

List of villagsse showing the different kinds of Development works undertaken during the Shramdan Fortnight and the money value estimated by the Evaluation Committee for each work.

S.No.	Name of Village.	Kind of work.	Money value as estimated by Evaluation Committee.
1	2	3	4
1.	Pusad	Excavation of Nadi.	150/-
2.	Ambabadi	-do-	450/-
3.	Rajdal	-do-	150/-
4.	Dharvi	-do-	3,100/-
5.	Arang	Construction primary school building.	200/-
6.	Kanasar	Repair of drinking water well.	2,500/-
		Excavation of Nadi	500/-
7.	Mokhab	Construction of reservoir for rain watar,	700/-
		Repair of drinking water well.	1,800/-
8.	Posal	Excavation of Nadi.	700/-
9.	Nagarda	Const. of reservoir for rain water,	2,000/-
		Sinking of new well.	4,120/-
10.	Batara	Deepening of drinking water well	1,000/-
11.	Sajitra	-do-	2,000/-
12.	Nimbla	-do-	2,000/-
13.	Agoria	-do-	705/-
14.	Giri	-do-	625/-
15.	Thumbly	-do-	1,000/-
16.	Jhamply	Excavation of Nadi.	500/-
17.	Tatan ki Dhani	-do-	100/-
18.	Sudhu ka gaon	Deepening of drinking water well.	1,700/-
19.	Sundra	Excavation of Nadi	350/-
20.	Balai	-do-	200/-
		Rapairs of well	1,000/-
21.	Lalasar	Excavation of Nadi.	500/-
22.	Kotra	-do-	50/-
23.	Mungria	-do-	1,100/-
24.	Balewa	Const. of primary school Bldg.	2,000/-
		Excavation of Nadi.	700/-
25.	Gordiya	-do-	2,000/-
		Repairs of drinking water well	600/-
26.	Harshani	Excavation of Nadi	1,000/-

परिशिष्ट १८८५ (ज)

1	2	3	4
		Const. of primary school bldg.	800/-
		Deepening of well	2,000/-
27.	Agasadi	Excavation of Nadi.	250/-
28.	Asadi	Repairs of well.	1,750/-
29.	Banera	Const. of school	400/-
30.	Mugnasar	Construction of well	300/-
31.	Dhamarii	Excavation of Nadi.	1,500/-
32.	Ramsar	-do-	1,500/-
33.	Khamyani	-do-	1,500/-
34.	Karim ka park	-do-	2,000/-
35.	Jaisander	Construction of well	1,600/-
36.	Tamlore	-do-	3,500/-
		Const. of primary building	600/-
37.	Gadraroad	Construction of school bldg.	600/-
		Construction of road.	1,100/-
38.	Sheo	Excavation of Nadi.	500/-
39.	Bandasar	Deepening of well.	1,100/-
		Const. of primary school.	600/-
40.	Undu	-do-	1,000/-
		Repair of well.	1,250/-
41.	Chcchra	Excavation of Nadi	500/-
42.	Kashmar	-do-	550/-
		Total Rs.	60,400/-

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण, सोमवार, दिनांक ११ नवम्बर, १९५७)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
८६३	८	श्री तनसिंह	१२७. श्री तनसिंह
८६८	२१	खनिज मंत्री निम्न यह बताने की	खनिज मंत्री यह बताने की
८७१	१०	to reply leter on.	to reply later on.
८७३	२	इन	इन्हें
,,	६	उस समय कर सकती थी	उस समय विचार कर सकती थी
८७५	१५	में इस एक्ट के दफा १५ के	में इस एक्ट के क्लॉज १५ के
८७८	२	Government award	Government aware
८७९	११	श्री पुरुषोत्तलाल व्यास	श्री पुरुषोत्तमलाल
८८०	२१-२२	(जौहरी बाजार, जयपुर)	(श्री अर्जुनदास की अनुपस्थिति में)
८८२	८	and other distrctts ?	and other districts
८८६	६	समितियां १०४० मकान	समितियों ने १०४० मकान
८९३	५	टैक्स बुक राष्ट्रीयकरण मंडल	टैक्स्ट बुक्स राष्ट्रीयकरण मंडल
८९४	१८	कर्मचारियों में भ्रष्टाचार इत्यादि की	कर्मचारियों में भ्रष्टाचार इत्यादि
८९७	१	आता नहीं	आता ही नहीं
८९८	६	डॉ० चद्रकला	११८. डॉ० चन्द्रकला
,,	२१	not take cayr to see	not take care to see
,,	२५	can de reduced ?	can be reduced ?
९००	६	those Sohool not	those Schools not
९०३	१०	was resposible for	was responsible for
९०६	१२	at loos or	at loss or
९०७	२	(b) Sterling Securitiesf	(b) Sterling Securities
,,	अन्तिम से ४	as iaterest and	as interest and
९१२	१२	(क) राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड	(क) राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड
,,	अन्तिम से २	अनुपस्थित रहने आज्ञा	अनुपस्थित रहने की आज्ञा
९१४	शीर्ष पंक्ति	अतारांकित प्रश्नोत्तर	राजस्थान में अभाव की स्थिति सम्बन्धी
९२०	२८	एक प्रकाल पीड़ित	एक अकाल पीड़ित
९२२	शीर्ष पंक्ति	-११ नववर, ५७-	-११ नवम्बर, ५७-

१	२	३	४
९२९	२४	एक के बजाय दो रखता	एक के बजाय दो रखना
९४०	१४	उस आसान पर	उस आसन पर
९४४	१५	पद्धति कम रखा जाय	पद्धति कम रखी जाय
,,	३०	और तीनों को उड़	और तीनों को उड़ा
९४६	शीर्ष पंक्ति	–८ नवम्बर, ५७–	–११ नवम्बर, ५७–
९५२	१२	Commenrce"	Commerce"
९५४	१०	क्लॉज़ में 'जी' एक	क्लॉज 'जी' में एक
९६३	२१	we are Co sidering	we are considering
९६४	१२	Very connecting link	Very Connecting link
,,	१४	for the Uniuersity	for the University
९७०	२१	वे एक्स-ओफिशियां	वे एक्स-ओफिशियो
९७१	१३	सेकन री बोर्ड है	सेकन्डरी बोर्ड है
९७६	१९	मे रा ह अमेन्डमेन्ट है	मेरा यह अमेन्डमेन्ट है
९९२	२९	कहीं टू लेट लेट हो	कहीं टू लेट हो
१००४	१७	करने में वह समर्थन हों	करने में वह समर्थक हों
१००५	१	सब-क्लॉड़ (२)	सब-क्लॉज़ (३)
१००६-१००७	शीर्ष पंक्ति	राजस्थान नगर सुधार विधे-११ नवम्बर, ५८-राजस्थान नगर सुध विधेयक	राजस्थान माध्यमिक –११ नवम्बर, ५७– शिक्षा विधेयक, १९५७
१०१७	३०	कल्यानकारी राज्य	कल्याणकारी राज्य
१०१८	६	prlmary	primary
१०४५	२७	to the Chiidren	to the Children
१०५०	१४	फीस बड़ाने के कारण	फीस बढ़ाने के कारण
१०५८	१	टेक्स्टस बुक्स	टेक्स्ट बुक्स
१०६०	शीर्ष पंक्ति	–८ नवम्बर, ५७–	–११ नवम्बर, ५७–
१०६२-१०६३	१८	१५५७" पढ़ा जाय।	१९५७" पढ़ा जाय।
१०६९	१६	73. Shri Harsukh Raj	73. Shri Har Sukh Rai
१०७७	शीर्ष पंक्ति	परिशि८	परिशिष्ट
,,	१७	M/s Mukand Singh Maib Tehsildar.	M/s Mukand Singh Naib Tehsildar,
१०७८	३	Shri man Singh.	Shri Man Singh,
,,	९	Shri Hari Vallash,	Shri Hari Vallabh

१	२	३	४
१०८०	११	In Nov. 52	In between Nov. 52
,,	२०	Havalder attarsal	Havaldar Chattarsal
,,	,,	13.8.51	12. 8. 51
१०८१	११	Juno, '4)	June, 49
१०८२	११	abscondiing	absconding
१०८५ (अ)	३	List of Villagsse	List of Villages.